601
5-1-65

# लोक-सभा वाद-विवाद
# का
# संक्षिप्त अनूदित संस्करण

# SUMMARISED TRANSLATED VERSION
# OF
# LOK SABHA DEBATES

[ नवां सत्र
Ninth Session ]

[खंड 34 में अंक 11 से 20 तक हैं]
Vol. XXXIV contains Nos. 11—20

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

# विषय-सूची

**अंक 18—बुधवार, 30 सितम्बर, 1964/8 आश्विन, 1886 (शक)**

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर


| *तारांकित प्रश्न सख्या | विषय | पृष्ठ |
|---|---|---|
| 478 | पैट्रो-रासायनिक उद्योग | 1821—23 |
| 479 | दिल्ली में मकानों का गिरना | 1823—25 |
| 480 | मद्य निषेध | 1825—28 |
| 482 | उर्वरक उत्पादन कार्यक्रम | 1829—31 |
| 483 | पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों के लिये शिविर | 1831—35 |
| 484 | ट्रैक्टरों का आयात | 1835—37 |
| 485 | दुर्गापुर उर्वरक परियोजना | 1837—39 |
| 487 | सिराजुद्दीन एण्ड कम्पनी की लेखा पुस्तकों की फोटो कापियां | 1839—41 |


## प्रश्नों के लिखत उत्तर-


| तारांकित प्रश्न सख्या | | |
|---|---|---|
| 481 | पाकिस्तानी पाठ्य पुस्तकें | 1841 |
| 486 | उर्वरक परियोजनायें | 1842 |
| 488 | स्कूलों में विज्ञान की शिक्षा | 1842-43 |
| 489 | दिल्ली की बाढ़ | 1843 |
| 490 | "चाइना रिकन्सट्रक्ट्स" नामक पत्रिका | 1843 |
| 492 | टोकियो ओलम्पिक खेलों के लिए भारतीय खिलाड़ियों का दल | 1844 |
| 493 | अमरीकी परिवार का भारत से जाने से इंकार करना | 1844—45 |
| 494 | दिल्ली के स्कूलों के विद्यार्थियों के लिये पीने का पानी | 1845 |
| 495 | व्हिटले परिषद् योजना | 1845—46 |
| 496 | प्रशासकीय सुधार विभाग | 1846 |
| 497 | माध्यमिक शिक्षा अनुदान आयोग | 1846—47 |
| 498 | अमरीका की भागीदारी से तेल शोधक कारखाने बनाने के लिए एक इंजी-नियरिंग और निर्माण कम्पनी की स्थापना | 1847—48 |
| 499 | उड़ीसा के मुख्य मन्त्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप | 1848 |
| 500 | दिल्ली में अनाज व्यापारियों की गिरफ्तारी | 1848—49 |
| 501 | जम्मू तथा काश्मीर | 1849—50 |
| 502 | शिक्षा मन्त्री का पूर्वी योरोप का दौरा | 1850—51 |


*किसी नाम पर अंकित यह 4- चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

# CONTENTS

*No. 18-Wednesday, September 30, 1964/Asvina 8, 1886 (Saka)*

## ORAL ANSWERS TO QUESTIONS


| **Starred Questions Nos.* | *Subject* | PAGES |
|---|---|---|
| 478 | Petro-chemical Industry | 1821—23 |
| 479 | House Collapse in Delhi | 1823—25 |
| 480 | Prohibition | 1825—28 |
| 482 | Fertiliser Production Programme | 1829—31 |
| 483 | Camps for Refugees from East Pakistan | 1831—35 |
| 484 | Import of Tractors | 1835—37 |
| 485 | Durgapur Fertiliser Project | 1837—39 |
| 487 | Photostat Copies of Serajuddin & Co. Account Books | 1839—41 |


## WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS


| *Starred Questions Nos.* | | |
|---|---|---|
| 481 | Pakistani Text-books | 1841 |
| 486 | Fertiliser Projects | 1842 |
| 488 | Science Education in Schools | 1842—43 |
| 489 | Delhi Floods | 1843 |
| 490 | Magazine "China Reconstructs" | 1843 |
| 492 | Indian Contingent to Tokyo Olympic Games | 1844 |
| 493 | Refusal of American Family to leave India | 1844-45 |
| 494 | Drinking Water for Delhi School Students | 1845 |
| 495 | Whitley Council Scheme | 1845-46 |
| 496 | Department of Administrative Reforms | 1846 |
| 497 | Secondary Education Grants Commission | 1846-47 |
| 498 | Setting up an Engineering and Construction Company to build Refineries with US Partnership | 1847-48 |
| 499 | Corruption Charges against Orissa Chief Minister | 1848 |
| 500 | Arrest of Foodgrain Traders of Delhi | 1848-49 |
| 501 | Jammu and Kashmir | 1849-50 |
| 502 | Education Minister's Tour of Eastern Europe | 1850-51 |


*The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

| अतारांकित प्रश्न संख्या | विषय | पृष्ठ |
|---|---|---|
| 1527 | राष्ट्रीय पुस्तकालय परिषद् | 1851 |
| 1528 | कालिजों के पुस्तकलयाध्यक्ष | 1851–52 |
| 1529 | स्वर्गीय श्री नेहरू की स्मृति में क्रीड़ांगन | 1852 |
| 1530 | विदेशों में शिक्षा पा रहे मैसूर के छात्र | 1852–53 |
| 1531 | गैर-सरकारी कालिजों के अध्यापक | 1853 |
| 1532 | प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों के लिये वेतन आयोग | 1853 |
| 1533 | उत्तर प्रदेश के शिवालिक क्षेत्र में तेल के लिये खुदाई | 1854 |
| 1534 | दिल्ली की भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था | 1854–55 |
| 1535 | केरल में की गई नियुक्तियां | 1855 |
| 1536 | केरल के तटीय जिलों का सर्वेक्षण | 1856 |
| 1537 | केरल में मद्य निषध के उल्लंघन के मामले | 1856 |
| 1538 | दिल्ली के स्कूल के लिये टेलीविजन | 1857 |
| 1539 | अनिवार्य राष्ट्रीय सेवा | 1857 |
| 1540 | आई० सी० एस० अधिकारियों के सेवाकाल में वृद्धि | 1857 |
| 1541 | दिल्ली में कारों की चोरियां | 1858 |
| 1542 | श्री नेहरू की स्मृति में विश्वविद्यालय | 1858–59 |
| 1543 | दिल्ली में विदेशी छात्र | 1859 |
| 1544 | भारतीय प्रशासनिक सेवा की सीमित परीक्षा | 1859 |
| 1545 | भारतीय कापीराईट अधिनियम | 1859–60 |
| 1546 | जेल सम्बन्धी नियम पुस्तिकायें | 1860 |
| 1547 | तिब्बती संस्कृति का विद्यालय | 1860–61 |
| 1548 | कानूनों के हिन्दी पाठ | 1861 |
| 1549 | विज्ञान नीति आयोग, | 1861 |
| 1550 | रूसी अध्ययन सम्बन्धी संस्था | 1861–62 |
| 1551 | राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला द्वारा शोरगुल सम्बन्धी सर्वेक्षण | 1862 |
| 1552 | दिल्ली में सरकारी जायदादों पर अनधिकृत कब्जा | 1862–63 |
| 1553 | नजरबन्द व्यक्ति | 1863 |
| 1554 | दिल्ली में हत्यायें | 1863–64 |
| 1555 | आधुनिक बंगाली विश्व कोष | 1864 |
| 1556 | पश्चिमी बंगाल को सहायता | 1864 |
| 1557 | पंजाब में इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट | 1864 |
| 1558 | ओटावा में राष्ट्रमण्डलीय शिक्षा सम्मेलन | 1865 |
| 1559 | मिनिकोय और अमीनदीवी द्वीपसमूहों में भूमि | 1865 |
| 1560 | पेनिसिलीन का निर्यात | 1865 |
| 1561 | निष्क्रान्त सम्पत्ति की नीलामी | 1866 |
| 1562 | पंजाब में माध्यमिक शिक्षा | 1866 |
| 1563 | प्रविधिक शिक्षा | 1867 |
| 1564 | रेवाड़ी (पंजाब) में हेमू का घर | 1867 |

| *Unstarred Questions Nos.* | *Subjec* | PAGES |
|---|---|---|
| 1527 | National Library Council | 1851 |
| 1528 | College Librarians | 1851–52 |
| 1529 | Stadium in Memory of the Late Shru Nehru | 1852 |
| 1530 | Mysore Students studying abroad | 1852–53 |
| 1531 | Teachers of non-Government Colleges | 1853 |
| 1532 | Pay Commission for Elementary and Secondary School Teachers | 1853 |
| 1533 | Drilling of Oil in Shivalik region in U.P. | 1854 |
| 1534 | Indian Institute of Technology, Delh | 1854–55 |
| 1535 | Appointments made in Kerala | 1855 |
| 1536 | Survey of Coastal District of Kerala | 1856 |
| 1537 | Prohibition Cases in Kerala | 1856 |
| 1538 | Television for Delhi School | 1857 |
| 1539 | Compulsory National Service | 1857 |
| 1540 | Extension to I.C.S. Officers | 1857 |
| 1541 | Car Thefts in Delhi | 1858 |
| 1542 | University in Memory of Shri Nehru | 1858–59 |
| 1543 | Foreign Students in Delhi | 1859 |
| 1544 | Limited I.A.S. Examination | 1859 |
| 1545 | Indian Copyright Act | 1859–60 |
| 1546 | Prison Manuals | 1860 |
| 1547 | School for Tibetan Culture | 1860–61 |
| 1548 | Hindi Legal Texts | 1861 |
| 1549 | Science Policy Commission | 1861 |
| 1550 | Institute of Russian Studies | 1861–62 |
| 1551 | Noise Survey by National Physical Laboratory | 1862 |
| 1552 | Unauthorised Occupation of Government Properties in Delhi | 1862–63 |
| 1553 | Persons under Detention | 1863 |
| 1554 | Murders in Delhi | 1863–64 |
| 1555 | Modern Bengali Encyclopaedia | 1864 |
| 1556 | Aid for West Bengal | 1864 |
| 1557 | Engineering Institute in Punjab | 1864 |
| 1558 | Commonwealth Education Conference at Ottawa | 1865 |
| 1559 | Land in Minicoy and Amindivi Islands | 1865 |
| 1560 | Export of Penicillin | 1865 |
| 1561 | Auction of Evacuee Property | 1866 |
| 1562 | Secondary Education in Punjab | 1866 |
| 1563 | Technical Education | 1867 |
| 1564 | House of Himu at Rewadi (Punjab) | 1867 |

| अतारांकित प्रश्न संख्या | विषय | पृष्ठ |
|---|---|---|
| 1565 | गैर-वैज्ञानिक व्यक्तियों का राष्ट्रीय रजिस्टर . | 1867–68 |
| 1566 | पैट्रोलियम प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण . . | 1868 |
| 1567 | अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह का विकास . | 1868 |
| 1568 | दण्डकारण्य का औद्योगीकरण . . . | 1868–69 |
| 1569 | अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के मुस्लिम छात्रों को रोजगार | 1869–70 |
| 1570 | हथियारों का पकड़ा जाना . . | 1870 |
| 1571 | उड़ीसा का भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी | 1870 |
| 1572 | कोचीन का तेल शोधक कारखाना . | 1870–71 |
| 1573 | अवैतनिक शिक्षक . . . | 1871 |
| 1574 | विस्थापित व्यक्तियो का श्रेणीकरण . | 1871–72 |
| 1575 | तेल की खोज के कार्य के लिये हेलीकोप्टरों का प्रयोग | 1872 |
| 1576 | दुर्लभ पाण्डुलिपियों को माइक्रोफिल्म . | 1873 |
| 1577 | कच्चे तेल को साफ करने के लिये लंका को सहायता | 1873 |
| 1578 | पोर्ट ब्लेयर में कृषि का प्रशिक्षण . | 1873–74 |
| 1579 | सेक्शन आफिसरों के वेतनों में अग्रिम वृद्धि | 1874 |
| 1580 | पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों के क्लेम . | 1874 |
| 1581 | आसाम के कालिजों के शिक्षकों का प्रतिनिधिमण्डल . | 1874–75 |
| 1582 | उत्तर प्रदेश में तकनीकी शिक्षा के राज्य बोर्ड के डिप्लोमे . | 1875 |
| 1583 | समुद्र में चलने वाले छिद्रण बजरे . | 1875 |
| 1584 | दिल्ली स्कूल के शिक्षकों के लिये पेंशन . . | 1876 |
| 1585 | आसाम पाकिस्तान सीमा के साथ साथ गैर आबाद पट्टी | 1876 |
| 1586 | कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति . . | 1876–77 |
| 1587 | हायर सेकेण्डरी स्कूलों की इमारत बनाने के लिये अनुदान | 1878 |
| 1588 | रोगाणु नाशक औषधि संयन्त्र, ऋषिकेश , | 1878 |
| 1589 | भूतपूर्व हैदराबाद राज्य सेवा कर्मचारी | 1878–79 |
| 1590 | सेवाओं का एकीकरण . . | 1879 |
| 1591 | भूतपूर्व हैदराबाद राज्य के गैर-सराजपत्रित इंजीनियर | 1879–80 |
| 1592 | दिल्ली के स्कूलों के अध्यापकों की सेवा-निवृत्ति आयु . | 1880 |
| 1593 | केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी भंडार के ट्रक की चोरी | 1880–81 |
| 1594 | डाक द्वारा शिक्षा पाठ्यक्रम . | 1881 |
| 1595 | राज्यपाल . | 1881 |
| 1596 | केरल में भ्रष्टाचार के मामले . | 1881–82 |
| 1597 | केरल के शिक्षा विभाग का पुनर्गठन | 1882 |
| 1598 | वैज्ञानिक शब्दावली . . | 1882 |
| 1599 | पुस्तकों की चलती-फिरती प्रदर्शिनी | 1883 |
| 1600 | हिन्दी संस्थाओं को सहायता . | 1883 |
| 1601 | दिल्ली में कैदी . | 1883 |

| *Unstarred Questions Nos.* | *Subject* | PAGES |
|---|---|---|
| 1565 | National Register of Non-Scientific Personnel | 1867–68 |
| 1566 | Training in Petroleum Technology | 1868 |
| 1567 | Development of Andaman and Nicobar Islands | 1868 |
| 1568 | Industrialisation of Dandakaranya | 1868–69 |
| 1569 | Employment to Muslim Students of Aligarh Muslim University | 1869–70 |
| 1570 | Seizure of Arms | 1870 |
| 1571 | Orissa I.A.S. Officer | 1870 |
| 1572 | Cochin Refinery | 1870–71 |
| 1573 | Honorary Teachers. | 1871 |
| 1574 | Classification of Displaced Persons | 1871–72 |
| 1575 | Helicopters for Oil exploration work. | 1872 |
| 1576 | Microfilms of rare manuscripts | 1873 |
| 1577 | Assistance to Ceylon for Refining Crude Oil | 1873 |
| 1578 | Teaching of Agriculture in Port Blair | 1873–74 |
| 1579 | Advance Increments to Section Officers | 1874 |
| 1580 | Claims of Refugees from West Pakistan | 1874 |
| 1581 | Assam College Teachers Delegation | 1874–75 |
| 1582 | Diplomas of State Board of Technical Education in U.P. | 1875 |
| 1583 | Ocean Going Drilling Barges | 1875 |
| 1584 | Pensions for Delhi School Teachers | 1876 |
| 1585 | Unpopulated Belt along Assam Pakistan Border | 1876 |
| 1586 | Employees Consumer Cooperative Society | 1876–77 |
| 1587 | Building Grant to Higher Secondary Schools | 1878 |
| 1588 | Antibiotics Plant, Rishikesh | 1878 |
| 1589 | Ex-Hyderabad State Service Personnel | 1878–79 |
| 1590 | Integration of Services | 1879 |
| 1591 | Non-gazetted/Engineering Personnel of Ex-Hyderabad State | 1879–80 |
| 1592 | Retirement Age of Delhi School Teachers | 1880 |
| 1593 | Theft of Central Government Employees Consumer Co-operative Store Truck | 1880–81 |
| 1594 | Correspondence Course | 1881 |
| 1595 | Governors | 1881 |
| 1596 | Corruption Cases in Kerala | 1881–82 |
| 1597 | Reorganisation of Education Department, Kerala | 1882 |
| 1598 | Scientific Terminology | 1882 |
| 1599 | Mobile Exhibition of Books | 1883 |
| 1600 | Aid to Hindi Institutes | 1883 |
| 1601 | Prisoners in Delhi | 1883 |

| अतारांकित प्रश्न संख्या | विषय | पृष्ठ |
|---|---|---|
| 1602 | दिल्ली में मकानों के प्लाट | 1884 |
| 1603 | दास आयोग का प्रतिवेदन | 1884 |
| 1604 | केन्द्रीय सचिवालय सेवा के श्रेणी एक के पद | 1885 |
| 1605 | पूर्वोत्तर भारत के लिये विश्वविद्यालय | 1885 |
| 1606 | तूतीकोरिन में तेल शोधक कारखाना | 1885 |
| 1607 | उर्वरक सन्यन्त्र, तूतीकोरिन | 1886 |
| 1608 | दिल्ली में आपराधिक जांच सम्बन्धी प्रयोगशाला | 1886 |
| 1611 | मिश्रित वक्फ सम्पत्ति | 1886—87 |
| 1612 | केन्द्रीय जोन परिषद् की बैठक | 1887 |
| 1613 | नेशनल बुक ट्रस्ट में सम्पादक | 1887—88 |
| 1614 | पंजाब का प्रादेशिक सूत्र | 1888 |
| 1615 | पश्चिम पाकिस्तान के सूचना निदेशक की काश्मीर यात्रा | 1888 |
| 1616 | स्वास्थ्य मन्त्री पर मुकदमा चलाने की आज्ञा देने से इंकार करना | 1888—89 |
| 1616-क | इण्डियन आयल कम्पनी के पैट्रोल पम्प | 1889 |
| 1616-ख | स्वर्गीय प्रधान मन्त्री का निवास स्थान | 1889 |

**निधन सम्बन्धी उल्लेख** 1890

**सभा-पटल पर रखे गये पत्र** 1890—91

**राज्य सभा से सन्देश** 1891

**गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति**

उनचासवां प्रतिवेदन 1891

**तारांकित प्रश्न संख्या 1240 के उत्तर में शुद्धि** 1892

**सदस्य के साथ कथित दुर्व्यवहार के बारे में वक्तव्य**

श्री ल० ना० मिश्र 1892—93

**प्रेस परिषद विधेयक** 1893—1905

संयुक्त समिति को निर्दिष्ट करने की राज्य सभा की सिफारिश के बारे में

सहमति प्रस्ताव 1893

श्री बड़े 1893

श्री अ० ना० विद्यालंकार 1894

श्री वारियर 1894—95

डा० राम मनोहर लोहिया 1995—96

श्रीमती इन्दिरा गांधी 1896—97

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा 1897—98

श्री जोकीम आल्वा 1898—1900

श्री बागड़ी 1900—01

| *Unstarred Questions Nos.* | *Subject* | PAGES |
|---|---|---|
| 1602 | Housing Plots in Delhi | 1884 |
| 1603 | Das Commission Report | 1884 |
| 1604 | C.S.S. Grade I | 1885 |
| 1605 | University for North-east India | 1885 |
| 1606 | Oil Refinery at Tuticorin | 1885 |
| 1607 | Fertiliser Plant, Tuticorin | 1886 |
| 1608 | Forensic Laboratory at Delhi | 1886 |
| 1611 | Composite Wakf Property | 1886–87 |
| 1612 | Central Zonal Council Meeting | 1887 |
| 1613 | Editor in National Book Trust | 1887–88 |
| 1614 | Punjab Regional Formula | 1888 |
| 1615 | Travel in Kashmir of Director of Information, West Pakistan | 1888 |
| 1616 | Refusal of Permission to sue Health Minister | 1888–89 |
| 1616-A | I.O.C. Petrol Pumps | 1889 |
| 1616-B | Residence of Former Prime Minister | 1889 |

| | |
|---|---|
| Obituary reference | 1890 |
| Papers laid on the Table | 1890–91 |
| Messages from Rajya Sabha | 1891 |
| Committee on Private Members' Bills and Resolutions<br>Forty-ninth Report | 1891 |
| Correction of Answer to Starred Question No. 1240 | 1892 |
| Statement re: alleged ill-treatment of a Member<br>Shri L. N. Mishra | 1892–93 |
| Press Council Bill | 1893–1905 |
| Motion to concur in Rajya Sabha recommendation to refer to Joint Committee | 1893 |
| Shri Bade | 1893 |
| Shri A. N. Vidyalankar | 1894 |
| Shri Warior | 1894–95 |
| Dr. Ram Manohar Lohia | 1895–96 |
| Shrimati Indira Gandhi | 1896–97 |
| Shrimati Tarkeshwari Sinha | 1897–98 |
| Shri Joachim Alva | 1898—1900 |
| Shri Bagri | 1900–01 |

| प्रेस परिषद् विधेयक–जारी | विषय | पृष्ठ |
|---|---|---|
| श्री पें० वेंकटासुब्बया | | 1901 |
| डा० सरोजिनी महिषी | | 1901–02 |
| श्री प्रकाशवीर शास्त्री | | 1902–03 |
| श्री राम सहाय पांडेय | | 1903 |
| श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी | | 1903 |
| श्री शिव नारायण | | 1903 |
| श्री चे० रा० पट्टाभि रामन् | | 1903––05 |
| देश में बाढ़ स्थिति के बारे में चर्चा | | 1905––15 |
| श्री बागड़ी | | 1905–06 |
| श्री दी० चं० शर्मा | | 1906–07 |
| श्री नवल प्रभाकर | | 1907 |
| श्री रामेश्वरानन्द | | 1907–08 |
| श्री गु० सिं० मुसाफिर | | 1908 |
| श्री श० ना० चतुर्वेदी | | 1908–09 |
| श्री यशपालसिंह | | 1909 |
| श्री गजराज सिंह राव | | 1909 |
| श्री तन सिंह | | 1910 |
| श्री सिंहासन सिंह | | 1910 |
| श्री लहरी सिंह | | 1910 |
| श्री लीलाधर कटकी | | 1910–11 |
| श्री क० ना० तिवारी | | 1911 |
| श्री काशीराम गुप्त | | 1911 |
| श्री योगेन्द्र झा | | 1911 |
| श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती | | 1911 |
| डा० च० भा० सिंह | | 1912 |
| श्री अ० प्र० शर्मा | | 1912 |
| श्री इकबाल सिंह | | 1912 |
| श्री श्रीनारायण दास | | 1912–13 |
| श्री शिव नारायण | | 1913 |
| श्री हुकम चन्द कछवाय | | 1913 |
| श्री स० मो० बनर्जी | | 1913–14 |
| श्री प्रकाबीर शास्त्री | | 1914 |
| श्री कृष्णपाल सिंह | | 1914 |
| श्री ब्रजराज सिंह––कोटा | | 1914 |
| श्री तुलशीदास जाधव | | 1914–15 |
| डा० मा० श्री अणे | | 1915 |
| श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी | | 1915 |
| डा० कु० ल० राव | | 1915 |

| Subject | Pages |
|---|---|
| Shri P. Venkatasubbaiah | 1901 |
| Dr. Sarojini Mahishi | 1901–02 |
| Shri Prakash Vir Shastri | 1902–03 |
| Shri R. S. Pandey | 1903 |
| Shri J. P. Jyotishi | 1903 |
| Shri Sheo Narain | 1903 |
| Shri C. R. Pattabhi Raman | 1903–05 |
| Discussion re: flood situation in the country | 1905—15 |
| Shri Mani Ram Baagri | 1905–06 |
| Shri Diwan Chand Sharma | 1906–07 |
| Shri Naval Prabhakar | 1907 |
| Swami Rameshwaranand | 1907–08 |
| Sardar Gurmukh Singh Musafir | 1908 |
| Shri S. N. Chaturvedi | 1908–09 |
| Shri Yashpal Singh | 1909 |
| Shri Gajraj Singh Rao | 1909 |
| Shri Tan Singh | 1910 |
| Shri Sinhasan Singh | 1910 |
| Shri Lahri Singh | 1910 |
| Shri L. D. Kotoki | 1910–11 |
| Shri Kamal Nath Tiwari | 1911 |
| Shri Kashi Ram Gupta | 1911 |
| Shri Yogendra Jha | 1911 |
| Shri Jagdev Singh Siddhanti | 1911 |
| Dr. C. B. Singh | 1912 |
| Shri A. P. Sharma | 1912 |
| Sardar Iqbal Singh | 1912 |
| Shri Shree Narayan Dass | 1912–13 |
| Shri Sheo Narain | 1913 |
| Shri Hukam Chand Kachwai | 1913 |
| Shri S. M. Banerjee | 1913–14 |
| Shri Prakash Vir Shastri | 1914 |
| Shri Krishnapal Singh | 1914 |
| Shri Brij Raj Singh Kotah | 1914 |
| Shri Tulshidas Jadhav | 1914–15 |
| Dr. M. S. Aney | 1915 |
| Pandit Jwala Prasad Jyotishi | 1915 |
| Dr. K. L. Rao | 1915 |

[ यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

# लोक-सभा
# LOK SABHA

**बुधवार, 30 सितम्बर, 1964/8 आश्विन, 1886 (शक)**
*Wednesday, September* 30, 1964 *Asvina* 8, 1886 (*Saka*)

---

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

*The Lok Sabha met at Eleven of the clock*

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर
## ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

**पैट्रो-रासायनिक उद्योग**

\+

*478. **श्री दी० चं० शर्मा :**
**श्री राम हरख यादव :**
**श्री मुरली मनोहर :**
**श्री जसवन्त मेहता :**
**श्री प्र० च० बरुआ :**
**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
**श्रीमती सावित्री निगम :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में पेट्रो रासायनिक उद्योग के विकास के लिये जापान द्वारा पूंजी लगाये जाने के बारे में बातचीत करने के लिये वहां से एक उच्चस्तरीय विनियोजन प्रतिनिधि-मंडल हाल में भारत आया था; और

(ख) यदि हां, तो उसके दौरे का क्या परिणाम निकला ?

**पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)**: (क) वित्तीय पेट्रो-केमिकल उत्पादन कार्यक्रमों से परिचित होने और सहयोग की सम्भाव्यों को ढूंढने के लिये, भारत

में जापान कन्सलटिंग इंस्टीट्यूट (Japan Consulting Institute in India) द्वारा प्रायोजित, जापान के पेट्रो-केमिकल विशेषज्ञों के 6 सदस्यों का एक तकनीकी प्रतिनिधि-मण्डल भारत में इस समय दौरा कर रहा है। यह प्रतिनिधि मण्डल 10 अक्तूबर, 1964 तक जापान को लौट जायेगा। रिपोर्ट जापान तथा सरकार भारत सरकार को भेजी जाने की आशा है और जिसके आधार पर वित्तीय सहयोग के सम्भाव्यों (Prospects) की जांच की जायेगी।

(ख) यह तब मालूम होगा जब प्रतिनिधि-मंडल जापान वापस जायेगा और अपनी रिपोर्ट एवं सहयोग के प्रस्तावों को पेश करेगा।

**श्री दी० चं० शर्मा :** क्या यह प्रतिनिधि-मण्डल हमारे पेट्रो-रासायनिक उद्योगों की समस्त बात में दिलचस्पी रखता है अथवा इनके केवल कुछ भागों में ?

**श्री अलगेशन :** उनका प्रतिवेदन मिलने के पश्चात् ही हम उनकी दिलचस्पी के बारे में जान सकते हैं।

**श्री दी० चं० शर्मा :** प्रतिवेदन प्राप्त करने, उस पर विचार करने और किसी प्रकार का अन्तिम निणय करने में सरकार कितना समय लेगी ?

**श्री अलगेशन :** यदि अक्तूबर, के अन्त तक प्रतिनिधि-मण्डल का प्रतिवेदन प्राप्त हो जायेगा तो आशा है कि इसके पश्चात् एक या दो महीने के अन्दर हम निणय करने की स्थिति में होंगे।

**श्रीमती सावित्री निगम :** इस समिति को क्या निदश पद दिये गये थे ? क्या यह समिति केवल हयोग की संभावनाओं की ही जांच कर रही है अथवा इस उद्योग को अधिकाधिक उपयोगी बनाने की संभाव्यता . . .

**अध्यक्ष महोदय :** समिति कहां पर है ? केवल एक प्रतिनिधि मण्डल देश का दौरा लगा रहा है। एक प्रतिनिधि मण्डल को निर्देश पद देने का कोई प्रश्न नहीं है।

**श्रीमती सावित्री निगम :** प्रतिनिधि-मण्डल ही सही, वह भी कुछ खास प्रयोजनों के लिये आया होगा।

**श्री अलगेशन :** मुख्य उत्तर में इसे पर्याप्त रूप से स्पष्ट कर दिया गया है। वह विभिन्न स्थानों पर जा कर हमारे तेल शोधक कारखानों को देखेगा और पेट्रो रासायनिक परियोजनाओं को स्थापित करने की संभावनाओं की जांच करेगा और फिर अनुमान लगायेगा।

**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** इसमें कितना धन लगेगा ?

**अध्यक्ष महोदय :** प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् इसका पता लगेगा।

**श्री काशी राम गुप्त :** जापान का सहयोग सरकारी स्तर पर होगा अथवा वहां के गर-सरकारी उपक्रमों के स्तर पर ?

**श्री अलगेशन :** प्रतिनिधि-मण्डल में जापान के गैर सरकारी उद्योगों के प्रतिनिधि शामिल हैं ।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या किन्हीं अन्य देशों से भी जो, पेट्रो रसायन उद्योगों में अनुभव रखते हैं, इस क्षेत्र में सहयोग के लिये कोई पेशकश प्राप्त हुई थी, अथवा मांगी गई है अथवा जापान सहयोग प्राप्त करने के कोई विशेष कारण हैं ?

**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य को समझना चाहिये कि हम केवल एक विशेष देश की बात कर रहे हैं.....

**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या जापानी सहयोग को पसंद करने के कुछ विशेष कारण हैं ?

**श्री अलगेशन :** हमने अमरीका इंगलैंड आदि देशों में विभिन्न पार्टियों से बातचीत की है। परन्तु अभी तक कोई निश्चित परिणाम नहीं निकला है ?

**डा० रानेन सेन :** इस सभा में पहले बताया गया था कि फ्रांस की फर्म से बातचीत चल रही थी । उस बातचीत में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

**अध्यक्ष महोदय :** मुख्य प्रश्न से फ्रांसीसी फर्म का कोई सम्बन्ध नहीं है।

**श्री ओझा :** क्या सरकार ने इस बारे में अन्तिम निणय कर लिया है कि कौन-कौन से पेट्रो रसायन उद्योग सरकारी क्षेत्र में होंगे और कौन कौन से गैर सरकारी क्षेत्र में ?

**श्री अलगेशन :** इसमें कुछ समय लगेगा। समस्त प्रश्न की जांच की जा रही है।

**श्री लीलाधर कटकी :** क्या प्रतिनिधि मण्डल ने आसाम तेल क्षेत्रों में पदा की गई प्राकृतिक गैस पर आधारित पेट्रो रासायनिक उद्योग स्थापित करने के प्रश्न की जांच की थी ?

**अध्यक्ष महोदय :** प्रतिनिधि-मण्डल दौरा कर रहा है ।

**श्री अलगेशन :** मुझे भय है वह आसाम का दौरा नहीं करेगा । वह कोयाली बम्बई आदि जैसे अन्य स्थानों पर जायेगा ।

**श्री रामनाथन चेट्टियार :** क्या जापानी प्रतिनिधि-मण्डल ने हमारे पेट्रो रासायनिक उद्योग में बराबर भाग लेने के प्रश्न पर जांच की थी अथवा ऋण देने के प्रश्न पर ?

**श्री अलगेशन :** मेरा निवेदन यह है कि अभी प्रतिवेदन नहीं मिला है।

**Shri Yashpal Singh :** What amount has been allocated for petro-chemical industry in the 4th Five Year Plan ?

**The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri Humayun Kabir):** It has not been settled so for. The report of the Delegation is awaited and we will consider if after it has been received.

## दिल्ली में मकानों का गिरना

*479. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिल्ली में 12 जुलाई, 1964 के प्रातः एक दुमंजिले मकान के गिर जाने के बारे में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें बताया गया है कि इस

दुर्घटना के परिणामस्वरूप 10 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी और 6 व्यक्ति घायल हो गये थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई जांच की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो जांच से क्या पता चला ?

**गृह-कार्य मत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) यह पता चला था कि वह मकान अपनी जीवन-अवधि से अधिक पुराना हो गया था, और उस मकान की दीवारें लखौरी इंटों से मिट्टी के साथ बनी थी । निगम के इंजीनियरों ने यह मत प्रकट किया कि लगातार भारी वर्षा के कारण, पानी ईंट और मिट्टी से बनी दीवारों में घुस गया था और उसने फर्श और छत के साथ दीवारों को शीघ्रता से गिरा डाला ।

**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या यह सच है कि विशेषत: दिल्ली के मकान मालिक वर्षों तक अपने मकानों की मरम्मत नहीं कराते जिसके परिणामस्वरूप मकानों की हालत खस्ता हो गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी और मकान की मरम्मत अथवा नवीकरण के लिये उन्हें बाध्य करेगी ?

**श्री ल० ना० मिश्र** : दिल्ली नगर निगम अधिनियम की धारा 348 में एक विशेष उपबन्ध है जिसके अन्तर्गत ओवरसीयर ऐसे मकानों का निरीक्षण करता है और सहायक इंजीनियर तथा कार्यपालक इंजीनियर को इनके बारे में रिपोर्ट देता है। कार्यवाही की जाती है। उनसे मकानों की मरम्मत करने के लिये कहा जाता है, यदि वे नहीं करते तो निगम स्वयं मकानों की मरम्मत करता है ।

**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या यह सच है कि गैर-सरकारी मकानों के अतिरिक्त मिन्टो रोड जैसी बस्तियों और अन्य स्थानों पर बहुत से सरकारी मकान ऐसी खस्ता हालत में हैं कि उनकी मरम्मत नहीं की जा सकती ? सरकार इन सरकारी क्वार्टरों का नवीकरण नहीं किया गया है और उनमें रहने वालों को अपनी जोखिम पर रहने के लिये कहा गया है । क्या ऐसे मकानों की गणना की जायेगी और मरम्मत कार्य आरम्भ किया जायेगा ?

**श्री ल० ना० मिश्र** : मैं खास मकानों के बारे में नहीं कह सकता परन्तु हमने सामान्य हिदायतें दे रखी हैं ।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न विशिष्ट मकानों के बारे में था ।

**श्री स० मो० बनर्जी** : यह प्रश्न उसी से उत्पन्न होता है। अन्यथा, प्रतिदिन बहुत से मकान गिर जायेंगे ।

**अध्यक्ष महोदय** : फिर उन्हें प्रश्न को और तरह रखना चाहिये था ।

**Shri Bade :** Did Corporation take any action regarding this building and was any effort made to demolish this building as it was in an unstable condition.

**Shri L. N. Mishra :** It is true that this was examined by the overseer and a complaint was also made about it, but it could not be constructed in time, now it has been renovated.

**Shri Sheo Narain :** Have Govt. extended any help to the dependents of 10 persons who died and to those who sustrained injuries ?

**Shri L. N. Mishra :** Yes, each of them has been given Rs. 500/-.

**श्री शिकरे** : यह देखते हुए कि पुराने मकानों की मरम्मत की समस्या तकरीबन प्रत्येक शहर में है और यहां तक कि बरसात के दिनों में तो बहुत से व्यक्ति हताहत होते हैं, क्या सरकार अखिल भारतीय आधार पर इस प्रश्न पर विचार करेगी और बरसात में मकानों को गिरने से रोकने के लिये कोई कानून लागू करेगी ?

**अध्यक्ष महोदय** : इस प्रश्न के अन्तर्गत यह बात किस प्रकार संभव है ?

**Shri Bagri:** The houses under the charge of the Ministry of Rehabilitation are in a dilapidated condition. May I know the action being taken by Govt. in this regard ?

**Shri L. N. Mishra :** This question pertains to a particular house. The old houses are being examined and notices are served for repairing and renovating them under the existing law.

## Prohibition

*480. **Shri Praksah Vir Shastri :**
**Shri Yashpal Singh :**
**Shri Jagdev Singh Siddhanti :**
**Shri Rameshwar Tantia:**
**Shri Bishanchander Seth:**
**Shri B. P. Yadava :**
**Shri Dhaon:**
**Shri S. M. Banerjee:**
**Shri Bagri:**
**Shri Kolla Venkaiah:**
**Shri Vishwa Nath Pandey:**
**Shri Ramachandra Ulaka:**
**Shri Dhuleshwar Meena:**
**Shri E. Madhusudan Rao:**
**Shri D. C. Sharma:**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 146 on the 3rd June, 1964 and state:

(*a*) Whether the report of the Prohibition Enquiry Committee has since been considered;

(*b*) Whether the opinions sought from the State Governments in the matter have also been received; and

(*c*) the decisions taken on the basis of the conclusions of the Committee ?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi):** (*a*) **and** (*b*). The Report is still under consideration. The views of the State Governments have not yet been received.

(*c*) Does not arise.

**Shri Prakash Vir Shastri:** May I know whether before eliciting the opinions of State Govts. on prohibition the Central Govt. have known the

opinions of the members of the Council of Ministers since some of them have spoken against prohibition policy at public places. Does Govt. want to follow the policy of prohibition or not? First of all Govt. should make it position clear.

**Shri Hathi:** After receiving the report it was circulated to the States and members of the Central Prohibition Committee. Their opinions have not been received so far. We want to call a meeting of the Central Committee to ascertain their views.

**Mr. Speaker :** The hon. Members desires to know whether Govt. taken a decision as to what its policy is.

**Shri Hathi** Govt. have already taken a decision in favour of Prohibition, but the question of implementing it at different stages is yet to be decided in consultation with the State Governments.

**Shri Prakesh Vir Shastri :** What do the experiences of Central and State Governments speak about prohibition so far enforced by them in different areas ?

**Shri Hathi :** In the report received each State has been devided into three parts, *viz.*, wet States, dry States and partially wet or dry States. The difficulties coming in the way of its implementation in each state are enumerated in this report.

**Shri Prakesh Vir Shastri :** I have not asked about report.

**Mr. Speaker :** The hon. Member might have read the experience of Bombay in this regard.

**Shri Jagdev Singh Siddhanti :** Liquor in and wisdom out.

**Mr. Speaker :** Will the hon. member preach or ask a question ?

**Shri Jagdev Singh Siddhanti :** After having finished it I was going to put the question. Why does Govt. not implement it in full measure when it is known to her ?

**Shri Hathi :** This pertains to all the States. This will be decided in consultation with all the States.

**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : भूतकाल में कुछ राज्य सरकारों ने मद्य निषेध नीति का स्पष्ट रूप से विरोध किया है । भारत सरकार से पिछले अनुभव को देखते हुए और कुछ राज्य सरकारों ने जो वक्तव्य दिये हैं उनको ध्यान में रखते हुए क्या इन राज्यों में नीति में कुछ परिवर्तन होने की संभावना है ?

**श्री हाथी** : जैसा कि मैंने बताया प्रतिवेदन विभिन्न राज्य सरकारों को भेज दिया गया है और मामले पर चर्चा की जानी है, परन्तु सरकार की नीति निश्चित है ।

**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : उन्होंने पहले ही ऐसा वक्तव्य दे दिया है कि वे नीति का अनुसरण नहीं करेंगे । इसको देखते हुए क्या कोई परिवर्तन हो सकता है ?

**अध्यक्ष महोदय** :वह अधिक अच्छा जानती है ।

**श्री कोया** : हम भी जानना चाहते हैं ।

**Shri S. M. Banerjee :** Are Govt. aware of the fact that the condition of labourers has gone from bad to worse especially in industrial cities like Kanpur as a result of the enforcement of Prohibition and the words "Aaram Haram Hai" inscribed on towering buildings have been replaced by "Delux Whisky".

**Shri Hathi :** Both the things are known to Govt. one what the hon. Member has told and the another that in certain places prohibition has gone a long way in bettering the lot of the labourers.

**Shri Bagri :** May I know the per capita consumption of liqour in different States before and after the inforcement of prohibition and if no substantial change is there or if there is an increase the reasons therefor?

**Shri Hathi :** All these details are given in the Report.

**श्री दी० चं० शर्मा :** क्या इस प्रतिवेदन में अवैध रूप से शराब बनाने को रोकने के लिये कोई सिफारिश की गई है ? क्या इसके लिये कोई ठोस सुझाव दिये गये हैं ?

**श्री हाथी :** प्रतिवेदन में इस पहलू को विस्तारपूर्वक लिया गया है और मैं समझता हूं कि मैंने इसकी एक प्रति माननीय सदस्य को भेजी है ।

**Shri Yashpal Singh :** Is it a fact that distilleries are still working in public Sector and if so, how many and at what places?

**Shri Hathi :** I can not give this information off-hand.

**Shri Hukam Chand Kachhavaiya :** May I know the quantity of illegally distilled liquor seized by Central Govt.? Have similar data been collected in States also? Is there any difference of opinion among the Central Ministers regarding Prohibition?

**Shri Hathi :** This question pertains to the report of the Prohibition Enquiry Committee. The hon. Member should give notice for this question.

**Shri Hukam Chand Kachhavaiya :** Is there any difference of opinion in the Cabinet in this regard ?

**Mr. Speaker :** Of course . if the whole cabinet sits for a month these figures can be collected.

**Shri Onkar Lal Berwa :** On the one hand Govt. talks of enforcing Prohibition while on the other hand wine worth thousands of rupees is being imported from abroad. Have Govt. put restrictions on the duty free liquor supplied to the members of the Council of Ministers?

**Mr. Speaker :** Do the Council of Ministers get free wine?

Had it been so I would have got my Share.

**श्रीमती सावित्री निगम :** यह देखते हुए कि यह प्रतिवेदन अभी भी सरकार के विचाराधीन है क्या केन्द्रीय सरकार अथवा योजना आयोग ने किसी राज्य को सुझाव दिया है कि जहां तक मद्य निषेध का संबंध है उन्हें कोई लज्जाजनक कदम नहीं उठाना चाहिये ?

**श्री हाथी :** 1963 में मुख्य मंत्रियों की बैठक में इस मामले पर चर्चा की गई थी और मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इसके बारे में जानते हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : श्रीमती यशोदा रेड्डी ।

**श्रीमती यशोदा रेड्डी** : जब महाराष्ट्र में बीयर पर से प्रतिबन्ध हटा दिया जायेगा तो उसमें कितने प्रतिशत अल्कोहल के लिये सरकार अनुमति देना चाहती है ?

**श्री हाथी** : इस में भारत सरकार द्वारा अनुमति देने की कोई बात नहीं है । यह तो राज्य सरकार का कार्य है । परन्तु समिति ने सुझाव दिया है कि अल्कोहल की मात्रा धीरे धीरे घटाई जानी चाहिये ।

**श्री पें० वैंकटासुब्बया** : मद्यनिषेध पर राममूर्ति नाम की एक समिति बैठी है और जिसने अपना प्रतिवेदन दिया है । क्या अब जो समिति बिठाई गई है और उसके प्रतिवेदन को अन्तिम रूप देने से पूर्व राममूर्ति समिति के प्रतिवेदन पर विचार किया जायेगा ।

**श्री हाथी** : हम सब बातों पर विचार करेंगे ?

**Shri A. P. Sharma** : When the Prohibition Enquiry Committee was touring round the Country, nearly all the labour organisations expressed their opinion in favour of Prohibition. Just now Minister said that Prohibition has done much good to the labourers in the industrial areas. May I know whether the Prohibition will be fully ennforced in labour areas?

**Mr. Speaker** : This is a suggestion.

**श्री जयपाल सिंह** : इस विषय पर अनेक समितियां और आयोगों ने अपने प्रतिवेदन दिये हैं। क्या समिति ने किसी अवस्था पर मद्य निषेध के वित्तीय विवरण दिये हैं या यह बताया है कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना पर इसका क्या असर पड़ेगा आदि ?

**श्री हाथी** : टेक चन्द समिति ने वित्तीय पहलुओं की भी जांच की है । इससे राज्यों को राजस्व की जो हानि होगी उसके बारे में विभिन्न आंकड़े दिये हैं ।

**श्री बसुमतारी** : आसाम में आदिम जातीय लोग सबसे बड़ी संख्या में हैं । क्या ये व्यक्ति जिनको शराब पीने की आदत है, टेकचन्द आयोग के सामने मद्य निषेध के हक में बोले ?

**श्री हाथी** : : यह जानकारी मेरे पास नहीं है ।

**श्री हेम बरुआ** : आसाम के आदिम जातीय क्षेत्रों में पूजा के लिये शराब की आवश्यकता होती है और विशेषज्ञों के अनुसार आसाम में लोगों को शराब पीनी ही पड़ती है अन्यथा वहां की शरद जलवायु, के कारण लोगों में शक्ति नहीं रहती क्या आसाम के इस पहलू पर भी विचार किया गया है ?

**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य से भी परामर्श किया जाये ।

## उर्वरक उत्पादन कार्यक्रम

*482. श्री बागड़ी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री यशपाल सिंह :
श्री मानवेन्द्र शाह :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पैट्रो-रसायनों तथा उर्वरक के 6 गैर-सरकारी अमरीकी उत्पादकों के एक दल ने भारत के उर्वरक उत्पादन कार्यक्रम में भाग लेने के लिये एक सार्थ संघ का निर्माण किया है ; और

(ख) भाग लेने सम्बन्धी प्रस्ताव की शर्तें क्या हैं और क्या सरकार ने प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है ?

**पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) और (ख) अमरीकी कनसोरटियम (American Consortium) की ओर से एक अमरीकी फर्म ने चौथी योजना की अवधि के अन्त तक दस लाख मीट्रिक टन नाइट्रोजन की मात्रा तक उर्वरकों के उत्पादन और वितरण के लिए एक प्रस्ताव पेश किया है । इस फर्म को सम्भाव्यता अध्ययन (feasibility study) करने की अनुमति दी गई है । और जो दिसम्बर 1964 के अन्त तक पूरी होगी । सम्भाव्य रिपोर्ट के प्राप्त होने के बाद ही भाग लेने से सम्बन्धित शर्तें आदि जानी जायेंगी ।

**Shri Bagri :** Water is also reguired along with fertilisers. Has Government decided to seek the assistance of these Members or of other Americans to meet the shortage of water ?

**पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबिर)**: इस प्रस्ताव का यही प्रयोजन है । हम उर्वरकों का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं ।

**Shri Bagri :** Will a decision be taken in consultation with these Members regarding profits to be earned from fertilisers and also about the amount of profit that may accrue to farmers ?

**Shri Humayun Kabir :** The question of profit for farmers will be decided by Government alone. The company would try to produce fertilisers at as cheaper rates as possible.

**Shri K. N. Tiwary :** Is any other Country except America prepared to produce chemical fertilisers and if so, the names thereof and the price of fertilisers that they will produce ?

**श्री हुमायून कबिर** : उन सभी सार्थो ने जो यहां तेल शोधक कारखाने स्थापित करने की कोशिश में हैं क्या यह सुझाव देते हैं कि वह उर्वरक उत्पादन में सहयोग देने के लिये तैयार होंगे ।

**श्री दी० चं० शर्मा** : यदि इस कन्सार्स्टिम का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो देश की उर्वरक आवश्यकता कहां तक पूरी हो सकेगी ?

**श्री अलगेशन** : चौथी योजना में नाईट्रोजन के रूप में इसका अस्थायी लक्ष्य 22 लाख टन निर्धारित किया गया है । यह प्रस्ताव 4, 5 या 6 एकक स्थापित करने के लिये है जो नाई-ट्रोजन के रूप में 10 लाख टन का उत्पादन करेंगे ।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : चूंकि वर्तमान उर्वरक में कभी लाइसेंस प्राप्त और गैर-सरकार क्षेत्र के एककों की असफलता के कारण पैदा हुई है इसलिये क्या सरकार देश में उर्वरक के निर्माय करने की बजाय विदेशी पूंजी पर निर्भर करेगी ?

**श्री अलगेशन** : यह प्रश्न विभिन्न तत्वों में सन्तुलन पैदा करने का है । कम से कम समय में देश में खाद्य उत्पादन को बढ़ाना आवश्यक है । इसलिये हम उस समस्या का कई प्रकार से मुकाबला कर रहे हैं । सरकारी क्षेत्र के उर्वरक कारखाने भी चल रहे हैं और गैर-सरकारी क्षेत्र के कारखानों के लिये भी लाइसेंस दिये गये हैं। अब हम यह देख रहे हैं कि क्या हम विदेशी सहायता से उन कारखानों को जल्द से जल्द स्थापित कर सकते हैं ?

**श्री अ० सिं० सहगल** : क्या सरकार ने अमरीकी दल के गैर-सरकारी निर्माताओं से भी समझौता किया है ?

**श्री अलगेशन** : : जी नहीं ।

**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : दूसरी योजना में उर्वरक उत्पादन में 40 प्रतिशत की कमी रही इसीलिये इसके चौथी योजना और तीसरी योजना के शेष काल में उत्पादन के लिये कन्सार्टियम से बात चीत हो रही है । क्या इस कार्यक्रम के लिये आवश्यक सामान तथा सभी कच्चा माल उस देश से पूर्णत: उपलब्ध किया जायगा या कि वह अन्य प्रकार की सहायता देने में जो कड़ाई बर्त रहे हैं वही इस मामले में बर्तेंगे ?

**श्री अलगेशन** : तीसरी योजना के लक्ष्यों के बारे में हम सभा में कह चुके हैं कि उन्हें प्राप्त नहीं किया जा सकता । यदि कन्सार्टियम के प्रस्ताव फलीभूत हो जाते हैं तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि तीसरी योजना के लक्ष्य चौथी योजन के दूसरे वर्ष में अवश्य प्राप्त हो जाएं ।

**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया ।

**श्री हुमायून कबिर** : हम दो मुख्य कठिनाइयों का सामना करने के लिये कन्सार्टियम के साथ समझौता कर रहे हैं । एक तो विदेशी मुद्रा का प्रश्न है । एक माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है कि हमें विदेशी पूंजी को निमंत्रण नहीं देना चाहिए । परन्तु वह भूल जाते हैं कि विदेशी मुद्रा के बिना हम उर्वरक कारखाने स्थापित नहीं कर सकते । कच्चा माल आदि हमारे देश में ही मिल जायेगा । जब समझौता किया जाता है तो सभी आवश्यक पहलुओं का ध्यान रखा जाता है ताकि 1968 में हम तीसरी योजना के लक्ष्य ही प्राप्त न करें वरन् उत्पादन 50 प्रतिशत और बढ़ जाये ।

**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** क्या सरकार ने इस बारे में जानकारी प्राप्त की है कि कासार्टियम में भाग लेने वाले इन बातों के बारे में क्या क्या सोचते हैं कि कौन से कच्चे माल का प्रयोग होगा, उत्पादन कायक्रम क्या होगा, पूंजीगत व्यय क्या होगा, और इस प्रस्ताव के के परिणाम स्वरूप कब तक उर्वरक कारखाने तैयार हो जायेंगे ?

**श्री अलगेसन :** कच्चा माल हमारे तेल शोधक कारखानों से ही प्राप्त होगा। हमारे विचार दो, दो लाख टन के एकक स्थापित करने का है। पूंजीगत व्यय के बारे में कुछ कहना अभी सम्भव नहीं है। इन के मुख्य अनुमान ही हैं।

**पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों के लिये शिविर**

+

*483. **श्री प्र० र० चक्रवर्ती :**
**श्री प्र० चं० बरुआ :**
**श्री स० मो० बनर्जी :**
**श्री राम सहाय पाण्डेय :**
**श्री ओंकार लाल बेरवा :**
**श्री प्र० के० देव :**
**श्री सोलंकी :**
**श्री गुशलन :**
**श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
**श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
**श्री यशपाल सिंह :**
**श्री ब० कु० दास :**
**श्री बीरेन दत्त :**

क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों को स्थान देने के लिये विभिन्न राज्यों में कितने शिविर खोले गये हैं ;

(ख) ये अस्थायी आश्रय स्थल किस नमूने के हैं ;

(ग) खाद्यान्नों तथा अन्य अत्यावश्यक वस्तुओं के सम्भरण के लिये क्या व्यवस्था है ; और

(घ) प्रत्येक शिविर में कुल कितने कितने शरणार्थी हैं और क्या कुछ शरणार्थी शिविर त्याग कर चले गये हैं ?

**पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (डा० म० मो० दास) :** (क) 96 (इसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा नियन्त्रित 8 शिविर भी सम्मिलित हैं)।

(ख) सामान्यत: आवास के लिये टैन्टों या वाशा प्रकार की झौपड़ियों की व्यवस्था है।

(ग) शिविरों में सस्ते अनाज की दुकानें खोल दी गई हैं ताकि विस्थापितों को आवश्यकतानुसार खाद्य सामग्री तथा अन्य आवश्यक चीजें उचित दर पर वहां से प्राप्त हो सकें।

(घ) एक विवरण जिसमें प्रत्येक शिविर की संख्या का ब्योरा दिया गया है सभा-पटल पर रख दिया गया है । [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०--3286/64] अब तक 9,467 परिवार भिन्न भिन्न शिविरों को त्याग कर चले गये हैं।

**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : सरकार शिविरों में रहने वाले उन पाकिस्तानी जासूसों और तोड फोड़ की कार्यवाहियां करने वालों को ढूंढने और वहां से उन्हें निकालने लिये क्या कदम उठा रही है जो शरणार्थियों को शिविर छोड़ने के लिये कह रहे हैं ?

**डा० म० मो० दास** : उन्हें खोज निकालने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं हम इस प्रयोजनार्थ कुछ अधिकारी नियुक्त कर रहे हैं ।

**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या सरकार समाज के सेवक भर्ती करके शरणार्थियों को सांत्वना देने के बारे में विचार कर रही है चूंकि वे बहुत मानसिक पीड़ा झेल चुके हैं ?

**डा० म० मो० दास** : जी हां। सेवकों के तौर पर कुछ अधिकारी इस प्रयोजनार्थ दो, दो सौ और ढाई, ढाई सौ परिवारों के लिये नियुक्त किये गये हैं ।

**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या इन बालकों के और अन्य व्यक्तियों के मरने के पश्चात् इन शिविरों में, विशेष कर मध्य प्रदेश में, रहन सहन और काम करने की स्थिति सुधर गई है और यदि हां, तो क्या इन शिविरों के रहने वालों को किसी प्रकार का रोजगार दिया जा रहा है ।

**डा० म० मो० दास** : जी हां। इन लोगों को रोजगार दिलाने के लिये पूरी पूरी कोशिश की जा रही है। इन शिविरों में रहन सहन की हालत काफी सुधर गई है ।

**Shri Onkar Lal Berwa :** Have these 218 families left due to same difficulties there and if so, has Government tried to look into their details?

**डा० म० मो० दास :** शिविरों के अधिकारियों के बहुत समझाने पर भी वह लोग अपनी इच्छा से वहां से चले गये हैं। उन के शिविरों से चले जाने का एक कारण यह था कि वहां गर्मी बहुत पड़ती है और प्रव्रजक लोग टैंटों में रहने के आदि नहीं थे । दूसरे अनायास ही जनसंख्या बढ़ जाने से जल की कमी हो जाना, तीसरे उन में पश्चिम बंगाल में अपने नातेदारों के पास जाने की प्रवृत्ति, चौथे कई लोग शिविरों में इस उद्देश्य से आ गये थे चूंकि वह समझते थे कि भारत सरकार उन्हें पुनर्वास सुविधायें देगी परन्तु जब उन्हें वह आशायें पूरी होती दिखाई न पड़ीं तो वह शिविर छोड़ गये । कुछ लोग इसलिये भी छोड़ गये कि कृषि का व्यवसाय करना चाहते थे और शारीरिक श्रम करने से हिचकिचाते थे। इन कुछ कारणों का हमें पता चला है ।

**Shri Gulshan :** What arrangements have been made for the education of refugee children?

**डा० म० मो० दास :** शरणार्थी बच्चों की शिक्षा के लिये शिविरों में प्राथमिक स्कूल खोले गये हैं ।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या सरकार का ध्यान इस शिकायत की ओर दिलाया गया है कि इन 96 शिविरों में खाद्यान्नों एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं के लिये दूकानों की संख्या पूर्णतः अपर्याप्त है और जो मूल्य उनके द्वारा लिये जाते हैं वह उन लोगों की क्षमता से परे हैं ?

**डा० म० मो० दास :** दूकानों की संख्या कम नहीं है । दूकानों की संख्या के बारे में अलग प्रश्न पूछने पर मैं बता सकूंगा ।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** तो आप कैसे कह सकते हैं कि दूकानों की संख्या पर्याप्त है ?

**डा० म० मो० दास :** चूंकि इस बारे में हमारे पास कोई शिकायत नहीं आई है । जहां तक अनाज के मूल्यों का सम्बन्ध है वह राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किये गये हैं ।

**Shri Yashpal Singh :** How many camps are proposed to be opened in U.P.?

**डा० म० मो० दास :** यह बात स्थिति पर निर्भर करती है । इस समय 2,000 शरणार्थी प्रति दिन भारत आ रहेहैं । यदि इसी तरह वह आते रहे तो उत्तर प्रदेश में ही नहीं अन्य राज्यों में भी शिविर खोलने होंगे ।

**श्री ब० कु० दास :** क्या इन में से कुछ लोगों को पुनर्वास केन्द्रों में अब तक भेजा गया है और यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है ?

**डा० म० मो० दास :** जी हां । उन्हें पुनर्वास केन्द्रों में भेजा जा रहा है ।

**श्री पें० वेंकटासुब्बया :** क्या सरकार को ज्ञात है कि नागार्जुनसागर शिविर से बहुत से शरणार्थी चले गये हैं और वह किसी अन्य स्थान में रुक गये हैं ? क्या सरकार उन के द्वारा शिवर छोड़ने के कारणों की जांच करेंगी ?

**डा० म० मो० दास :** हमने इन शिविरों के प्रभारी राज्य सरकार से विस्तृत जानकारी देने को कहा है । किन्तु भाषा की कठिनाई भी एक कारण है ।

**Shri Bade :** Is it a fact that the refugees in Dandakaranaya, Madhya Pradesh want to start small industries like carpentry and weaving for which assistance is not given to them and they have been allotted small apartments, hence they are deserting the camps ?

**डा० म० मो० दास :** छोटे उद्योग और व्यापार चलाने तथा दुकानों आदि खोलने के लिये उन्हें ऋण के रूप में सहायता दी जा रही है ।

**श्री राम सहाय पाण्डेय :** माना शिविर में हजारों शरणार्थी रखे गये थे । क्या मध्य-प्रदेश सरकार ने कोई और अन्य शिविर खोलने का वचन दिया है ?

**डा० म० मो० दास :** माना शिविर सीधे केन्द्र सरकार के अधीन है । यह मध्य सरकार के अधीन नहीं है । माना शिवर सीधे हमारे मंत्रालय के अधीन है ।

**श्रीमती रेणुकाराय :** मंत्री महोदय ने बताया है कि पानी की कमी भी एक बड़ा कारण है जिससे कि शरणार्थी शिविर छोड़ कर जा रहे हैं । मेरे विचार से उनके शिविर छोड़ने का एक कारण चिकित्सा व्यवस्था का अभाव भी है । क्या मंत्री महोदय इन राज्यों में, जिन्हें पिछला अनुभव नहीं है, नये शिविरों को चलाने के लिये केन्द्र सरकार तथा पश्चिम बंगाल सरकार के पिछले अनुभव का प्रयोग करेंगे ।

**डा० म० मो० दास:** आरंभ में ग्रीष्म ऋतु में जब शरणार्थी बड़ी संख्या में एकदम आये थे तो कुछ कठिनाई हुई थी।

**अध्यक्ष महोदय :** मंत्री महोदय माननीय सदस्य के सुझाव पर विचार करें।

**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :** मंत्री महोदय की कार्यदल (वर्क्स कोर) बनाने की जो योजना थी उसका क्या हुआ, क्या दल ने काम करना आरंभ कर दिया है और कितने शरणार्थी उस दल में कार्य कर रहे हैं ?

**डा० म० मो० दास :** माननीय सदस्य शायद राष्ट्रीय विकास दल का उल्लेख कर रहे हैं। इसे संगठित करने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं। उनकी वर्दी के लिये आर्डर दिया गया है और कार्य प्रगति पर है।

**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :** कितने व्यक्ति इसमें आ चुके हैं ?

**डा० म० मो० दास :** अभी भर्ती करने का कार्य चालू नहीं किया गया है।

**श्री हेम बरुआ :** यदि यह सच है कि केन्द्र सरकार आवश्यक सहायता देने के बाद शिविरों के प्रबन्ध का कार्य राज्य सरकारों को सौंप देती है जिसका परिणाम बच्चों की मृत्यु गंदगी और शिविरों के कुप्रबन्ध के रूप में प्रकट होता है, तो क्या सरकार उन शिविरों में राज्य सरकारों द्वारा किये जाने वाले प्रबन्ध की देखभाल तथा मार्ग दर्शन का काम अपने हाथ में लेने का विचार कर रही है।

**डा० म० मो० दास :** यह सच नहीं है कि राज्य सरकारें शरणार्थियों की सुख सुविधाओं तथा सुरक्षा के लिये कुछ नहीं कर रही हैं। व अपनी ओर से भरसक प्रयत्न कर रही है और केन्द्र सरकार शिविरों के प्रबन्ध पर कठोर नियंत्रण भी रखती है। आवश्यक होने पर हम राज्य सरकारों को आवश्यक अनुदेश देते हैं।

**Shri Rameshwaranand :** May I know whether it is a fact that some of the refugee families have returned to East Pakistan due to mismanagement of the camps, shortage of water, deaths of children or lack of proper accommodation ?

**अध्यक्ष महोदय :** क्या वे पूर्वी पाकिस्तान चले गये हैं या शिविर छोड़ कर किसी अन्य स्थान में बस गये हैं ?

**डा० म० मो० दास :** यह सच है कि कुछ परिवार वापिस पूर्वी पाकिस्तान चले गये हैं।

**श्री स० मो० बनर्जी :** क्या इन कठिनाइयों के कारण ?

**श्री बड़े :** यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या वे इन कठिनाइयों के कारण गये हैं या अन्य कारणों से ?

**डा० म० मो० दास :** कुछ लोग अपनी भूमि, सम्पत्ति तथा परिवार के सदस्यों को पाकिस्तान में छोड़ कर यहां पर कुछ भूमि मिलने के लालच से भारत आये थे। जब उन्हें यह मालूम हुआ कि यहां पर भूमि मिलने की कोई संभावना नहीं है तो उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान वापिस जाना अधिक अच्छा समझा।

**डा० रानेन सेन :** हमें दिये गये विवरण से पता चलता है कि आसाम और बिहार के निकटवर्ती राज्यों में बहुत कम शरणार्थी शिविर हैं जब कि आन्ध्र प्रदेश, तामिलनाड आदि दूर वाले क्षेत्रों में बड़ी संख्या में शरणार्थी शिविर हैं। बिहार तथा आसाम के निकटवर्ती राज्यों में शिवर स्थापित न करने के क्या कारण हैं ?

**डा० म० मो० दास :** 1950 से दिसम्बर, 1963 तक पूर्वी पाकिस्तान से लगभग 41 लाख शरणार्थी भारत आये जिनमें से 35 लाख पश्चिम बंगाल में बसाये गये, शेष अन्य सीमावर्ती राज्यों में बस गये। सीमावर्ती राज्यों में अब और शरणार्थियों को बसाने के लिये स्थान नहीं है। अतः शरणार्थियों को उन स्थानों में बसाया जा रहा है जहां भूमि उपलब्ध है।

**ट्रैक्टरों का आयात**

\+

*484. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
**श्री यशपाल सिंह :**

क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वनों की भूमि को, जहां कि पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए शरणार्थियों को बसाया जा सके, कृषि योग्य बनाने के लिये ट्रैक्टरों का आयात करने का निर्णय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिये तुरन्त ही कितने ट्रैक्टरों की आवश्यकता है; और

(ग) क्या आवश्यक विदेशी मुद्रा के लिये मंजूरी दे दी गई है ?

**पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (डा० म० मो० दास) :** (क) से (ग) जी हां, दण्डकारण्य के अतिरिक्त जहां भी नये विस्थापितों को बसाने के लिये राज्यों ने भूमि की पेशकश की है उस भूमि को कृषि योग्य बनाने के विशाल कार्यक्रम के लिये ट्रैक्टरों की आवश्यकता है। अवितालम्बनीय को ध्यान में रखते हुए अमेरिका से 15 'क्रालर' ट्रैक्टरों के आयात के लिये टैण्डर पहले ही मांगे जा चुके हैं और इसके लिये विदेशी मुद्रा दे दी गई है। इससे अतिरिक्त ट्रैक्टरों की आवश्यकता की संख्या उचित कृषि योग्य बनायी जाने वाली भूमि की प्राप्ति पर ही निर्भर होगी। भूमि-सर्वेक्षण किये जा रहे हैं और अतिरिक्त ट्रैक्टरों की आवश्यकता के सम्बन्ध में अनुमान तैयार किये जा रहे हैं। ट्रैक्टरों को सैनिक सामान के कारखानों के महानिदेशक से प्राप्त करना पड़ेगा या विदेशी मुद्रा के साधन प्राप्त होने पर विदेश से आयात किया जायेगा।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** इस कार्य के लिये तैयार किये जाने वाले विभिन्न भूमि खंडों का कुल क्षेत्रफल कितना है और क्या इसका उपयोग कृषि के लिये किया जायेगा ?

**डा० म० मो० दास :** अब तक विभिन्न राज्य सरकारों ने हमें 1,64,000 एकड़ भूमि दे दी है अथवा देने के लिये कहा है। हमारे अनुमान के अनुसार इसमें से एक लाख एकड़ भमि खेती की जाने योग्य है। हमारे कार्यक्रम के अनुसार प्रति वर्ष 60,00 एकड़ भूमि कृषि योग्य बनाई जायेगी। दण्डकारण्य में काम कर रहे। ट्रैक्टरों के 12 एककों की क्षमता काम करने योग्य मौसम में प्रति वर्ष केवल 36,000 एकड़ भूमि को कृषि योग्य बना सकने की है। शेष भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिये हमें नये ट्रैक्टरों की व्यवस्था करनी होगी।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या सरकार का ध्यान इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि इस कार्य के लिये पुनर्वास मंत्रालय ने जितने ट्रैक्टरों को तुरन्त मंगाना आवश्यक समझा था उनका आयात नहीं किया जा सका क्योंकि वित्त मंत्रालय ने विदेशी मुद्रा की मंजूरी नहीं दी ?

**डा० म० मो० दास :** यह बात सच नहीं है। 15 ट्रैक्टरों के एक एक के लिये पहले ही टैंडर मांगे गये हैं। वित्त मंत्रालय ने आवश्यक विदेशी मुद्रा की स्वीकृति दे दी है।

**Shri Yashpal Singh :** Have negotiations for the purchase of tractors been carried on with America only or with other countries, like Poland, Russia and Czechoslovakia also which are in a position to supply them at a cheaper rate equal to half of the cost of American tractors ?

**डा० म० मो० दास :** यह विदेशी मुद्रा की उपलब्धता तथा अन्य देशों द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं पर निर्भर करता है ।

**श्री मुहम्मद इलियास :** क्या यह सच है कि दण्डकारण्य में बड़ी संख्या में ट्रैक्टर बेकार पड़े हैं ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**डा० म० मो० दास :** वर्षा ऋतु में ट्रैक्टरों को नहीं चलाया जा सकता है।

**श्री मुहम्मद इलियास :** केवल वर्षा ऋतु में ही नहीं, अपितु वर्ष भर बेकार पड़े रहते हैं ।

**श्री स० मो० बनर्जी :** क्या डी० जी० ओ० एफ० दण्डकारण्य विकास प्राधिकारी को ट्रैक्टर देने की स्थिति में है। क्या यह सच नहीं है इन ट्रैक्टरों के कार्य के बारे में कुछ सन्देह होने के कारण पुनर्वास मंत्रालय उन्हें नहीं खरीद रहा है । यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर विचार किया जायेगा और डी० जी० ओ० एफ० द्वारा निर्मित ट्रैक्टरों को ले लिया जायेगा ?

**डा० म० मो० दास :** मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य की जानकारी कल्पना मात्र है ।

**श्री स० मो० बनर्जी :** इस बारे में इस सभा में चर्चा हुई थी और कहा गया था कि डी० जी० ओ० एफ० द्वारा सप्लाई किये गये ट्रैक्टर दिल्ली विकास प्राधिकारी द्वारा बेकार बताये गये। उस समय श्री मेहर चन्द खन्ना प्रभारी मंत्री थे। फिर इस मामले पर विचार करने के लिये एडमिरल शंकर की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई थी और इस समिति ने यह कहा कि वे उपयोगी सिद्ध हुए हैं। अतः मैं तथ्यों के आधार पर प्रश्न पूछ रहा हूं ।

**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य जब समझते हैं कि उनके प्रश्न का सही और तथ्यों के अनुसार उत्तर नहीं दिया गया तो वह इसके बारे में मुझे लिखे । मैं इस बारे में पता लगाऊंगा ।

**श्री स० मो० बनर्जी :** मुझे 'कल्पना' (Imagination) शब्द के प्रयोग पर आपत्ति है ।

**श्री काशी राम गुप्त** :सब से अधिक भूमि किस राज्य ने दी है और क्या उस राज्य में भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिये प्राथमिकता दी जायेगी ?

**डा० म० मो० दास** : महाराष्ट्र सरकार ने हमें 80,000 एकड़ भूमि दी है ।

**श्री काशी राम गुप्त** : इसमें से कितनी भूमि कृषि योग्य बनाई जायेगी ?

**डा० म० मो० दास** : इसका सर्वेक्षण किया जा रहा है । सर्वेक्षण पूरा होने तक कुछ नहीं कहा जा सकता है ।

**Shri Hukam Chand Kachhavaiya :** May I know when these tractors will be received, what is their number and when they will start functioning ?

**डा० म० मो० दास** : हमने टैंडर मांगे हैं । यह कहना कठिन है कि ट्रैक्टरों को भारत पहुंचने में कितना समय लगेगा ।

## दुर्गापुर उर्वरक परियोजना

\+

*485. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
**श्री धुलेश्वर मीना :**
**श्री गुलशन :**
**श्री मुहम्मद इलियास ।**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री 29 अप्रैल, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 1249 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रस्तावित दुर्गापुर उर्वरक परियोजना के बारे में भारतीय उर्वरक निगम के प्रतिवेदन पर सरकार ने इस बीच कोई अन्तिम निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

**पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) सिद्धांत रूप से यह निर्णय किया गया है कि सरकारी क्षेत्र में दुर्गापुर में एक उर्वरक कारखाना स्थापित किया जाए और इस कारखाने को पूरा करने का कार्य भारतीय उर्वरक निगम लि० को सौंपा जाए ।

(ख) इस कारखाने पर 34·50 करोड़ रुपये के व्यय होने का अनुमान है और यह ऐमोनियम फास्फेट सल्फेट के रूप में 1,00,000 मीटरी टन नाइट्रोजन तथा 1,08,500 मीटरी टन $P_2O_5$ उत्पादन करेगा ।

**श्री रामचन्द्र उलाका** : क्या इस कारखाने में निर्मित उर्वरक देश के अन्य कारखानों में निर्मित्त उर्वरक से सस्ता होगा ?

**श्री अलगेशन** : मैं इस समय यह जानकारी नहीं दे सकता ?

**श्री रामचन्द्र उलाका** : यह कारखाना कब से काम करने लगेगा ?

**श्री अलगेशन** : परियोजना प्रतिवेदन तैयार हो चुका है और उर्वरक निगम निदेशक बोर्ड की एक समिति के विचाराधीन है ।

**Shri Gulshan :** May I know when this project would be completed?

**The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri Humayun Kabir):** After the project report is sent to the Government by the Fertiliser Corporation with their recommendations, then alone Government can come to any conclusion.

**श्री मुहम्मद इलियास :** निर्माण कार्य कब आरम्भ किया जायेगा ?

**श्री हुमायून् कबिर :** यह इस बात पर निर्भर करेगा कि कब प्रस्ताव प्राप्त होते हैं और कब उन्हें स्वीकार किया जाता है ।

**डा० रानेन सेन :** क्या समाचारपत्रों के इस समाचार में कोई सत्यता है कि यह कारखाना दुर्गापुर में स्थापित नहीं किया जा रहा है, अपितु किसी अन्य स्थान पर इसे स्थापित किया जायेगा ?

**श्री अलगेशन :** यह समाचार सही नहीं है ।

**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** क्या सारा मामला उर्वरक निगम के विचाराधीन है और सरकार को उनसे कोई विशेष प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं ? या सरकार पश्चिम बंगाल सरकार या किसी अन्य सम्बन्धित पक्ष से विचार-विमर्श कर रही है और अन्तिम निर्णय कर लिया गया है अथवा किया जाना है ?

**श्री अलगेशन:** उर्वरक निगम को परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने का काम सौंपा गया था और यह स्वाभाविक है कि वह भूमि, बिजली तथा अन्य आवश्यकताओं के लिये पश्चिम बंगाल सरकार, आदि से सम्पर्क बनाए हुए है। प्रतिवेदन इस समय उर्वरक निगम निदेशक बोर्ड की एक समिति के विचाराधीन है । उनकी स्वीकृति के पश्चात् प्रतिवेदन अन्तिम अनुमोदन के लिये सरकार के पास आयेगा ।

**श्री अ० प्र० जैन :** उर्वरक निर्माण में किन किन मूल पदार्थों को इस्तेमाल किया जायेगा और उसके लिये क्या प्रक्रिया अपनाई जायेगी ?

**श्री अलगेशन :** नाइट्रोजिनस उर्वरक के उत्पादन के लिये बरौनी तेल-शोधनशाला से नाफ्था मंगाना होगा और $P_2O_5$ के निर्माण के लिये रॉक फास्फेट आयात करना होगा।

**Shri Tulshidas Jadhav :** Why this fertiliser project is not being established where there are no factories at present ?

**Shri Humayun Kabir :** To speed up fertiliser production without any delay, this project is being set up at Durgapur. The question of opening factories in the areas where there are no industries at present will be examined.

**श्री जोकीम आल्वा :** सरकार को यह जानकारी है कि अमरीकी विनियोजक कनसॉरटियम के सामने इस समय तीन-चार उर्वरक कारखाने स्थापित करने का प्रस्ताव है । उन्होंने अपनी योजनाओं पर कार्य आरम्भ कर दिया है । क्या आप उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वे यहां पर अपने कारखाने स्थापित करें ?

**अध्यक्ष महोदय :** शांति, शांति । माननीय सदस्य को सीधे माननीय मंत्री को सम्बोधन नहीं करना चाहिए । हमें यहां पर प्रक्रिया का अनुसरण करना चाहिए ।

**श्री अलगेशन** : प्रतीक्षा करने का कोई प्रश्न नहीं है। इस प्रश्न पर पूर्व प्रश्न का उत्तर दिये जाने से पहले विस्तार से विचार किया गया था। यह एक विशेष परियोजना है और गुणदोष के आधार पर उस पर विचार किया जाएगा।

**Shri Rameshwaranand :** The constant use of the fertilisers now being manufactured in the country makes the land unfertile for cultivation. May I know whether any efforts would be made to remove this defect when the new factory goes into production ?

**Mr. Speaker :** Government will certainly take it into consideration.

**Shri Rameshwaranand :** It would have been better if the Government had given this assurance themselves.

**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या सरकार ने इस कारखाने को दुर्गापुर में खोलने के लिये सभी कदम उठायें गये हैं और क्या यह भी सच है कि चतुर्थ योजना अवधि में यह कारखाना चालू हो जाएगा ?

**श्री हुमायून् कबिर** : मेरे सहयोगी ने कहा है कि सरकार ने इस परियोजना को विस्तृत अध्ययन के लिये भारतीय उर्वरक निगम को सौंपा हुआ है। उस उत्तर के बाद, यह प्रश्न पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है।

**श्री स० मो० बनर्जी** : मैं सरकार से यह आश्वासन चाहता हूं कि यह कारखाना दुर्गापुर में ही स्थापित किया जाएगा। मेरे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है कि यह कारखाना चतुर्थ योजना अवधि में चालू हो जाएगा।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्नकाल में आश्वासन नहीं दिये जाते हैं। अगला प्रश्न।

**सिराजुद्दीन एण्ड कम्पनी की लेखा पुस्तकों की फोटो कापियां**

*487. **श्री हरि विष्णु कामत :**
**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सिराजुद्दीन एंड कम्पनी की लेखा पुस्तकों की फोटो कापियां जांच के लिये प्राप्त कर ली हैं ; और

(ख) इन फोटो कापियों के आधार पर फर्म के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी)** : (क) सिराजुद्दीन एंड कम्पनी की सारी लेखा पुस्तकों की फोटो कापियां तैयार नहीं की गई हैं। कुछ दस्तावेजों की फोटो कापियां जिनकी जांच के कामों के लिये आवश्यकता थी तैयार की गई थीं।

(ख) फोटो कापियों के आधार पर उस फर्म के विरुद्ध पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी। परन्तु फर्म के मालिक पर कुछ मूल प्रविष्टियों के आधार पर अभियोग चलाया गया है।

**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या यह सच है कि सिराजुद्दीन एंड कम्पनी की लेखा पुस्तकों की कुछ प्रविष्टियों अथवा पष्ठों की कुछ फोटो कापियां कुछ समय पहले उड़ीसा मंत्रि-परिषद् को उपलब्ध

की गई थीं और इस बारे में उड़ीसा विधान मंडल में प्रश्न पूछा गया था। क्या मंत्री महोदय को उड़ीसा के गृह मंत्री श्री राउत राय द्वारा दिये गये उत्तर का पता है और क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि ये फोटो कापियां एक गैर-सरकारी व्यक्ति, कांग्रेस पार्टी के एक सदस्य जिन्हें उड़ीसा भेजा गया था, को भी उपलब्ध की गई थीं और यदि हां, तो उसका उद्देश्य क्या था ? क्या वे फोटो कापियां सभा पटल पर भी रखी जायेंगी ?

**श्री हाथी** : मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है।

**श्री हरि विष्णु कामत** : समाचार में यह समाचार था। अतः सरकार को यह जानकारी प्राप्त करनी चाहिये।

**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न।

**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या यह सच है कि केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा नियुक्त की गई पांच सदस्यीय समिति ने सिराजुद्दीन एंड कम्पनी की लेखा पुस्तकों की जांच की है और उससे संबंधित अन्य सामग्री का भी जिसमें अर्ध-न्यायिक जांच के बाद न्यायाधिपति एस० के० दास द्वारा दी गई रिपोर्ट भी शामिल है, अध्ययन किया है, और वह समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि सिराजुद्दीन एंड कम्पनी कांड की जांच करने के लिये एक जांच आयोग नियुक्त करना जरूरी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस बारे में स्पष्ट घोषणा करने के लिय तैयार है कि सरकार ऊंचे पदों पर आसीन व्यक्तियों जिनमें उड़ीसा के भूतपूर्व मुख्य मंत्री जो इस समय राजधानी में हैं बताये जाते हैं भी शामिल हैं, के किसी भी प्रकार के दबाव अथवा उड़ीसा के वर्तमान मुख्य मंत्री की एक रुपये में अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति देने की चाल के कारण अपने निर्णय में कोई परिवर्तन नहीं करेगी ?

**श्री हाथी** : इस समिति ने लेखा पुस्तकों अथवा फोटो कापियों या अन्य इस प्रकार की सामग्री की जांच नहीं की है।

**श्री हरि विष्णु कामत** : तब वह क्या कर रही है ?

**श्री हाथी** : उसने इन फोटो कापियों की जांच नहीं की है। मुझे मालूम नहीं कि माननीय सदस्य इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे कि सरकार ने जांच आयोग की नियुक्ति के बारे में निर्णय कर लिया है। सरकार के अपने निर्णय में परिवर्तन करने का प्रश्न इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता। उनके अगले प्रश्न को मैं भूल गया हूं . . . (**अन्तर्बाधायें**)।

**अध्यक्ष महोदय** : श्री हेम बरुआ उस प्रश्न की याद दिला देंगे।

**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच नहीं है कि सिराजुद्दीन एंड कम्पनी की लेखा पुस्तकों की फोटो कापियों से यह स्पष्ट हो गया था कि श्री बीजू पटनायक तथा उड़ीसा के वर्तमान मुख्य मंत्री श्री बीरेन मित्र ने अपनी राजनीतिक शक्ति तथा पद का दुरुपयोग करके धन तथा सम्पत्ति प्राप्त की है और यदि हां, तो सरकार संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही न करके अपनी संकोच तथा विलम्ब की नीति से भ्रष्टाचार को छिपाने की कोशिश क्यों कर रही है ?

**श्री हाथी** : किसी चीज को छिपाने की कोई बात नहीं है। विशेष पुलिस विभाग ने ये फोटो कापियां ली थीं और उन्हीं के आधार पर मूल कागजों की जांच की गई थी। जिन व्यक्तियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामलों का पता लगा है उनको अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिये कहा गया है।

**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : क्या सिराजुद्दीन कम्पनी तथा भूतपूर्व मुख्य मंत्री तथा वर्तमान मुख्य मंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों के संबंध में जांचों के बारे में सरकार द्वारा विभिन्न समितियों को सौंपे गय कार्यों में कोई उलझन उत्पन्न हो गई है ? क्या यह सच है कि मंत्रिमंडल की समिति इस कांड की जांच कर रही है और विशेष पुलिस विभाग भी इसकी छानबीन कर रहा है, और राज्य के कार्यों की विशेष पुलिस विभाग द्वारा जांच किये जाने के विरुद्ध जनता ने क्षोभ प्रकट किया है, और क्या स्वयं राज्य सरकार ने विशेष पुलिस विभाग को बुलाया है और इन सब चीजों से लोगों के मन में काफी भ्रम उत्पन्न हो गया है ? और यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले में क्या किया जा रहा है, किस चीज की जांच की जा रही है और क्या किया जाना है उसके बारे में कोई स्पष्ट वक्तव्य देगी ?

**श्री हाथी** : सरकार की राय में ऐसी कोई उलझन उत्पन्न नहीं हुई है । जैसा कि गृह-कार्य मंत्री ने उत्तर दिया था विधान मंडल तथा संसद् के कुछ सदस्यों ने एक ज्ञापन दिया था और उसकी जांच की जा रही है ।

**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : मंत्री महोदय द्वारा दिये गये उत्तरों से स्पष्ट है कि फोटो कापियों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है अपितु लेखा पुस्तकों में मूल प्रविष्टियों के आधार पर ही कायवाई की गई है । क्या इसका यह तात्पर्य है कि फोटो कापियां वास्तविक कापियां नहीं थीं अथवा लेखा पुस्तकों की सही नकल नही थी और फोटो या कापियां लिये जाने के पश्चात् उनके बारे में भी कुछ चालाकी की गई थी ।

**श्री हाथी** : जब भी किसी दस्तावेज पर कोई कार्यवाई की जाती है वह मूल दस्तावेज के आधार पर ही की जाती है । फोटो कापियां विभिन्न जांचों के उद्देश्य से ली जाती हैं । ये फोटो कापियां जाली नहीं हैं, अपितु मूल दस्तावेज की ही नकल हैं ।

---

# प्रश्नों के लिखित उत्तर
# WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

## पाकिस्तानी पाठ्य पुस्तकें

*481. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
**श्री धवन :**

क्या **शिक्षा** मंत्री पाकिस्तानी पाठ्य पुस्तकों संबंधी 15 अप्रैल, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 1059 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार से जांच प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ; और

(ख) सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है अथवा उसने मामले में क्या कार्यवाही की है ?

**शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला)** : (क) राजस्थान सरकार की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है ।

(ख) केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान का ध्यान इस स्थिति की ओर आकर्षित किया है और राज्य सरकार ने इस विषय में आवश्यक कार्यवाही की है तथा कर रही है; केन्द्रीय सरकार का अभी और कोई कार्यवाही करने का विचार नहीं है ।

## उर्वरक परियोजनायें

*486. श्री श्यामलाल सर्राफ :
श्री मानवेन्द्र शाह :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह ज्ञात है कि अकार्बनिक रसायन उद्योग की विकास परिषद् ने, गत जुलाई में हुई अपनी अन्तिम बैठक में, उर्वरक परियोजनाओं की क्रियान्विति में हुए विलम्ब के बारे में तथा इसके योजना के लक्ष्यों और वास्तविक उत्पादन के बीच के बढ़ते हुए अन्तर के बारे में चिन्ता व्यक्त की थी ;

(ख) यदि हां, तो इस अत्यधिक विलम्ब के क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में निर्धारित, लक्ष्यों के अनुसार परियोजनाओं की क्रियान्विति करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) और (ख) 23 जुलाई 1964 को अकार्बनिक रसायन उद्योगों के विकास परिषद की अन्तिम बैठक हुई। इस बैठक में, सामान्यतः उर्वरक उत्पादन के कार्यक्रम के बारे में विचार विमर्श हुआ और इस बहस के दौरान में यह परिणाम निकला कि तीसरी योजना के लिए निर्धारित किया गया उत्पादन लक्ष्य योजना के अन्त तक पूरा नहीं होगा। गैर-सरकारी क्षेत्र में लाइसेंस युक्त परियोजनाओं को देर से पूरा होना ही कमी का मुख्य कारण है। सरकारी क्षेत्र की कुछ परियोजनाओं के कार्यान्वित होने में देर हुई है। उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए वर्तमान कारखानों के उत्पादन को बढ़ाने एवं नये कारखानों को जल्दी से लगाने में प्रबल कदम उठाये जा र हैं।

## स्कूलों में विज्ञान की शिक्षा

*488. श्री रा० बरुआ :
श्री विश्राम प्रसाद :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यनेस्को के एक दल ने भारत के स्कूलों में विज्ञान तथा गणित की शिक्षा का आधुनिकीकरण करने वाली एक योजना के सम्बन्ध में अपना प्रतिवेदन सरकार को दे दिया है ;

(ख) क्या सरकार ने यूनेस्को के दल की इस योजना पर विचार कर लिया है और उस पर अपने निर्णयों को अंतिम रूप दे दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी क्रियान्विति के बारे में क्या निर्णय लिया गया है ?

**शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला)** : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). दल की सिफारिशों की जांच की जा रही है ।

## Delhi Floods

*489. **Shri Naval Prabhakar :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(*a*) the nature of the assistance given to the people of flood affected areas of Delhi; and

(*b*) the manner in which this assistance has been given?

**The Ministers of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi):** (*a*) *and* (*b*). A statement is laid on the Table of the House. [Placed in Library. *See* L.T. No.-3287/64].

## 'चाइना रिकन्सट्रक्ट्स' नामक पत्रिका

*490. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "चाइना रिकन्सट्रक्ट्स" नामक मासिक पत्रिका के खण्ड 13 अंक 8 की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या उसमें चीन का एक मान-चित्र है जिसमें लद्दाख को चीन का भाग दिखाया गया है ;

(ग) क्या इस पत्रिका का उक्त अंक भारत में पुस्तकों की दुकानों पर बेचा जा रहा है ; और

(घ) क्या पत्रिका के सम्पादक, मुद्रक तथा प्रकाशक के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है और क्या सरकार ने इस पत्रिका को इस कारण ही जब्त कर लिया है कि उसमें प्रतिकूल बातें दी हुई हैं और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

**गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा)** : (क) और (ख). जी, हां ।

(ग) और (घ). "चाइना रिकन्सट्रक्ट्स" के इस अंक को, चीन में प्रकाशित पत्रिकाओं के दूसरे अंकों के साथ जिनमें कि इसी तरह के मानचित्र हैं जिनमें भारत की अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं को गलत दिखाया हुआ है, अभिनिषिद्ध करने के आदेश 24-9-1964 को जारी किये गए थे । सरकार के पास कोई सूचना नहीं है कि इस रोक से पहले यह भारत में पुस्तकों की दुकानों पर बेचा जा रहा था । ऊपर की पत्रिकाओं के निषिद्ध अंकों के भारत में बिक्री और परिचलन को रोकने के लिये उचित कार्यवाही की गई है । "चाइना रिकन्सट्रक्ट्स" के सम्पादक, मुद्रक व प्रकाशक के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा सक है क्योंकि यह पत्रिका चीन के जनवादी गणराज्य में छपती और प्रकाशित होती है ।

**टोक्यो ओलम्पिक खेलों के लिए भारतीय खिलाड़ियों का दल**

*492. **श्री कपूर सिंह :**
**श्री जयपाल सिंह :**
**श्री फतहसिंह राव गायकवाड :**
**श्री हेमराज :**
**श्री मी० रु० मसानी :**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय खेलकूद परिषद ने उन सिद्धान्तों पर अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया है जिनके आधार पर टोकियो ओलम्पिक खेलों को जाने वाले भारतीय ओलम्पिक खिलाड़ियों के दल का चुनाव किया जायेगा ;

(ख) क्या इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन द्वारा एक वर्ष पूर्व निर्धारित स्तरों को अखिल भारतीय खेलकूद परिषद् ने स्वीकार कर लिया है और क्या भारतीय खिलाड़ियों को उन स्तरों को बता दिया गया है ;

(ग) क्या यह सच है कि इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन ने उन खिलाड़ियों को अस्वीकार करने पर असंतोष प्रकट कया है जिन्होंने अर्हता प्राप्त कर ली थी ; और

(घ) क्या यह भी सच है कि राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति ही ऐसा प्राधिकार है जिसको ओलम्पिक चार्टर के अधीन ओलम्पिक खेलों में टीमों को भेजने का अधिकार होता है ?

**शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन)** : (क) से (घ). टोक्यो ओलम्पिक खेलों के लिए भारतीय दल भेजने के सम्बन्ध में भारतीय ओलम्पिक संस्था ने जो स्तर सुझाए थे उन्हें अखिल भारतीय खेल-कूद परिषद ने, नवम्बर 1963 में, सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लिया था। भारतीय ओलम्पिक संस्था से प्राप्त सुझावों पर परिषद ने अपनी 28-8-1964 और 8-9-1964 को हुई बैठकों में विचार किया था और दल में भारतीय खिलाड़ियों के नाम शामिल करने के संबंध में परिषद ने जो अन्तिम सिफारिशें की थीं उनके अन्तर्गत भारतीय ओलम्पिक संस्था द्वारा निर्धारित और परिषद द्वारा अनुमोदित स्तरों को प्राप्त करने वाले सभी व्यक्ति आ गए। यह सच है कि ओलम्पिक खेलों में भाग लेने के लिए दलों को भेजने की मुख्य जिम्मेदारी राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति की है। फिर भी, ओलम्पिक खेलों के लिए भारतीय दल भेजने के लिए अपेक्षित वित्तीय सहायता और विदेशी मुद्रा के लिए ओलम्पिक संस्था की प्रार्थना पर विचार करते समय सरकार को देश की विदेशी मुद्रा की स्थिति और इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध धन को भी ध्यान में रखना होता है।

**अमरीकी परिवार का भारत से जाने से इन्कार करना**

*493. **श्री प० वेंकटासुब्बया** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री एड्रियन कोरकोरान तथा श्रीमती पैट्रिसिया कोरकोरान के अमरीकी परिवार ने भारत से अपने देश को लौटने से इन्कार कर दिया है जबकि उनको कारावास की सजा भी मिल गई थी ;

(ख) उन्होंने अमरीका वापस न लौटने के क्या कारण बताये हैं ;

(ग) क्या उनके पूर्व जीवन के बारे में कोई जांच की गई है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार उनके परिवार को शरण देने का है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क) से (घ). श्री एट्रियन कोरकोरान और उसकी पत्नि और उनकी दो लड़कियों, जो बिना किसी साधन के थे और भारत में अनाधिकृत रूप से ठहरे हुए थे, 22 सितम्बर, 1964 को संयुक्त राज्य अमरीका को निष्कासित कर दिये गये थे, क्योंकि वे यह देश छोड़ने को राजी नहीं थे । उन्होंने वापिसी अमरीका जाने के लिए राजी नहीं होने का कोई विशेष कारण नहीं दिया ।

## Drinking Water For Delhi School Students

***494.** **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
**Shri Brij Raj Singh :**
**Shri A. P. Singh :**
**Shri Yashpal Singh :**

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether Government have issued any order or made any suggestion to all the educational institutions in Delhi to make arrangements for supply of boiled drinking water to the students;

(b) whether it is also a fact that the aducational institutions have urged upon the students to bring boiled water in bottles from their homes; and

(c) if so, the reasons for the educational institutions shifting their responsibility to the guardians of the students ?

**The Minister of Education (Shri M. C. Chagla):** (a) The Delhi Administration, the Delhi Municipal Corporation and the New Delhi Municipal Committee have issued such instructions in so far as schools governed or aided by them are concerned.

(b) Yes, Sir, as a precautionary measure, pending adequate arrangements to be made by school authorities.

(c) The question does not arise as the responsibility of the health of the students is the joint responsibility of the institutions and guardians.

## व्हिटले परिषद् योजना

***495. श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों में व्हिटले परिषद् योजना लागू करने के सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी)** : (क) निगम-क्षेत्र में संयुक्त परामर्श और अनिवार्य विवाचन की योजना केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों के लिये नहीं है । परन्तु यह योजना भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों और विभागीय उपक्रमों पर लागू होती है और इसके आरम्भ करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

(ख) सरकारी कर्मचारियों के विभिन्न संगठनों से परामर्श किया गया था और उनमें से कुछ को उस योजना के कुछ पहलुओं पर आपत्ति प्रतीत होती है । इस मामले पर आगे विचार किया जा रहा है और इस पर कर्मचारियों के संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ जल्दी ही विचार-वमर्श करने की संभावना है ।

**प्रशासकीय सुधार विभाग**

*496. **श्री हरि विष्णु कामत :**
**श्री श० ना० चतुर्वेदी :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री 6 मई, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 1331 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासकीय सुधार विभाग ने पहले भेजे गये प्रतिवेदनों की जांच पूरी कर ली है ;

(ख) क्या उक्त विभाग ने प्रतिवेदनों के अतिरिक्त समस्याओं का भी अध्ययन कर लिया है ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ; और

(घ) क्या निकट भविष्य में उच्चाधिकारयुक्त प्रशासकीय सुधार समिति नियुक्त करने का विचार है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी)**: (क) जैसा कि 6 मई, 1964 को दिये गये पिछले प्रश्न के उत्तर में बताया गया है, पिछले प्रतिवेदनों की एक विस्तृत जांच प्रशासन सुधार विभाग में, ज्योंही वह स्थापित हुआ था, आरम्भ की गई थी। परन्तु यह शीघ्र ही स्पष्ट हो गया कि पिछले सारे प्रतिवेदनों को बहुत सावधानी से देखना फिजूल और निरुद्देश्य प्रयत्न होगा, और कि इन प्रतिवेदनों की बुद्धिमानी का उपयोग करने का उत्तम तरीका यह होगा कि उनको विशेष समस्याओं के अध्ययन से सम्बंधित किया जाए । फलतः जो मार्ग अपनाया गया था वह यह था कि बड़े समस्या क्षेत्रों को समझा जाये और देखा जाए कि पिछले प्रतिवेदनों ने उनके बारे में क्या कहा था । अपनाई गई कार्यविधि को ध्यान में रखते हुए, सारे पिछले प्रतिवेदनों की जांच को पूरा करने का प्रश्न नहीं उठता ।

(ख) जी हां । इसी के कारण इस विभाग के कार्यक्रम की पहली अवस्था में कुछ समस्या-क्षेत्रों को, जिन में अध्ययन की आवश्यकता है, चुना गया है ।

(ग) परिणाम का पता तब लगेगा जब कि अध्ययन परिणामों की अवस्था में पहुंच जायेंगे ।

(घ) जी नहीं । परन्तु व्यापक जांच के मूल्य को माना गया है । ऐसी जांच कराई जा सकती है या नहीं इस पर बाद में विचार किया जायेगा ।

**माध्यमिक शिक्षा अनुदान आयोग**

*497. **श्री दी० चं० शर्मा :**
**श्री दे० जी० नायक :**

क्या **शिक्षा** मंत्री 27 मई, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 18 के उत्तर के सम्बंध में यह

बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समस्त देश के अध्यापकों द्वारा भेजे गये अभ्यावेदन के अनुसार उनके लिये सेवा की अच्छी शर्तों, माध्यमिक शिक्षा की समान पद्धति और माध्यमिक शिक्षा अनुदान आयोग की स्थापना की व्यवस्था करने के मामले में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) मामला इस समय किस स्थिति पर है ?

**शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला)**: (क) और (ख) राज्य सरकारों का ध्यान अध्यापकों की सेवा शर्तों को सुधारने और सेवा की उचित सुरक्षा की व्यवस्था करने की ओर दिलाया गया है। राज्यों के अध्यापकों की सेवा शर्तों में सुधार करने की आवश्यकता का ध्यान है और अन्य कठिनाइयों, विशेषकर वित्तीय कठिनाई के होते हुए भी, वे इस दिशा में समय समय पर कार्यवाइयां भी करते रहे हैं।

राज्य शिक्षा मंत्रियों के पिछले सम्मेलन में यह सिद्धांत रूप में मान लिया गया था कि देश को 12 वर्षीय स्कूल शिक्षा की एक समान पद्धति की ओर बढ़ना चाहिए। यह लक्ष्य सदा राज्य सरकारों के सामने रहता है, जिन्हें इस सिफारिश को कार्यान्वित करना है।

इस प्रयोजन के लिए माध्यमिक शिक्षा अनुदान आयोग अथवा अन्य किसी संगठन की स्थापना का प्रश्न विचाराधीन है।

**अमरीका की भागीदारी से तेल शोधक कारखाने बनाने के लिए एक इंजीनियरिंग और निर्माण कम्पनी की स्थापना**

*498. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
**श्री भी० प्र० यादव :**
**श्री रामेश्वर टांटिया :**
**श्री बिशन चन्द्र सेठ :**
**श्री धवन :**
**श्री ओंकार लाल बेरवा :**
**श्री दे० जी० नायक :**
**श्री थेनगौंडर :**
**श्री वीरप्पा :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल शोधक कारखाने तथा अन्य संबद्ध कारखाने बनाने के लिये एक इंजीनियरिंग और निर्माण कम्पनी स्थापित करने के बारे में अमरीका को हाल में ही भागीदार बनाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो भागीदारी करार की शर्तें क्या हैं ; और

(ग) कम्पनी के सदस्य कौन-कौन होंगे तथा उसके कृत्य क्या होंगे ?

**पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबिर)** : (क) से (ग) भारत में में पैट्रोलियम, पेट्रो-रसायन और अन्य औद्योगिक परियोजनाओं के विकास में आवश्यकीय तकनीकी और इंजीनियरी

सेवाओं के हेतु एक इंजीनियरिंग कम्पनी की स्थापना के लिए 27 जून, 1964, को संयुक्त राज्य अमेरिका के बेचतल इण्टरनेशनल कारपोरेशन (Bechtel International Corporation of U. S. A.) से एक समझौते के ज्ञापन (Memorandum of understanding) पर कच्चे हस्ताक्षर किये गये। कम्पनी की साम्य पूंजी (Equity Capital) में 51 प्रतिशत हिस्से (shares) भारत सरकार के होंगे और शेष 49 प्रतिशत पूंजी बेचतल द्वारा भरी जायेगी। नई कम्पनी की विस्तृत शर्तें और कृत्यों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

**उड़ीसा के मुख्य मंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप**

*499. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :**
**श्री विश्राम प्रसाद :**
**श्री बड़े :**
**श्री यशपाल सिंह :**
**श्री सोलंकी :**
**श्री नरसिम्हा रेड्डी :**
**श्री प्र० के० देव :**
**श्री हरि विष्णु कामत :**
**श्री स० मो० बनर्जी :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा विधान सभा के विरोधी पक्ष के नेता समेत आठ विधायकों के हस्ताक्षरों से उनको एक अभ्यावेदन मिला है जिसमें उड़ीसा के मुख्य मंत्री तथा अन्य मंत्रियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने को कहा गया है ;

(ख) क्या जांच आयोग नियुक्त करने का विचार है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

**गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा)** : (क) एक अभ्यावेदन जो राष्ट्रपति जी के नाम है, प्राप्त हुआ है। यह 63 व्यक्तियों द्वारा भेजा गया है और इस में मुख्य मंत्री और अन्य मंत्रियों के विरुद्ध कुछ आरोप लगाए गए हैं। इस पर हस्ताक्षर करने वालों में उड़ीसा विधान सभा के विरोधी पक्ष के नेता और उड़ीसा के इक्कीस अन्य विधायक शामिल हैं। कुछ अन्य याचिकायें भी जिनमें उड़ीसा के मंत्रियों के विरुद्ध आरोप लगाये गये हैं, प्राप्त हुई हैं।

(ख) और (ग) मामले की जांच की जा रही है।

**Arrest of Foodgrain Traders of Delhi**

*500. **Shri Naval Prabhakar :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether Delhi Administration have arrested recently some traders for contravening the Licensing Order and for not rendering correct accounts of stock;

(*b*) if so, the quantity of foodgrains seized; and

(*c*) the number of traders arrested?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi):** (*a*) Yes Sir.

(*b*) The following quantities of foodgrains were seized :

| *Item* | *Qntls.* | *Kilos.* | *Grams.* |
|---|---|---|---|
| "Dalia" . . . . . | 9 | 73 | 500 |
| Rice . . . . . | 21 | 02 | 000 |
| Gram . . . . . | .. | 12 | 500 |
| Dal Chana . . . . . | 2 | 70 | 000 |
| Imported wheat . . . . | 37 | 80 | 000 |
| Flour . . . . . | 1 | 60 | 650 |
| Besan (Gram flour) . . . . | 2 | 70 | 500 |

(*c*) 21.

## जम्मू तथा काश्मीर

*501. श्री हरि विष्णु कामत :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री यशपाल सिंह :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री बागड़ी :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री दलजीत सिंह :
श्री रा० बरुआ :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और काश्मीर का शेष भारत में विलय करने के बारे में तथा संविधान के अनुच्छेद 370 के निराकरण के बारे में 5 जून, 1964 से अब तक और क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) संघ सरकार तथा जम्मू और काश्मीर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) मामला इस समय किस स्थिति में है ?

**गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा):** (क) से (ग) जम्मू व काश्मीर राज्य को संविधान की सातवीं अनुसूची में विधायी सूचियों के नीचे लिखे उपबन्ध लागू करने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है :—

( ) श्रम का विनियम और खानों व तेल-क्षेत्रों में बचाव सम्बन्धी संघ सूची की प्रविष्टि 55;

(ii) श्रमिकों को व्यवसायिक व तकनीकी प्रशिक्षण देने सम्बन्धी समवर्ती सूची की प्रविष्टि 25 ;

(iii) समवर्ती सूची की प्रविष्टि 30, जहां तक उसका सम्बन्ध जन्म और मरण के आंकड़ों और उन के पंजीयन से है ;

(iv) समाचार पत्रों, पुस्तकों और मुद्राणालयों सम्बन्धी समवर्ती सूची की प्रविष्टि 39;

संविधान के अनुच्छेद 370 के निराकरण के बारे में भारत सरकार को अभी राज्य सरकार से कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं।

**शिक्षा मंत्री का पूर्वी यूरोप का दौरा**

*502 **श्री प्र० चं० बरुआ :**
**श्री इ० मधुसूदन राव :**

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने हाल में ही, रूस, बल्गारिया तथा चैकोस्लोवाकिया का दौरा किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने शिक्षा के मामले में उन देशो का सहयोग प्राप्त करने के प्रश्न पर बातचीत की थी ;

(ग) किन विशिष्ट प्रस्तावों पर चर्चा हुई थी ; और

(घ) उसके क्या परिणाम निकले ?

**शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) :** (क) जी हां । शिक्षा मंत्री ने केवल रूस और बल्गारिया का दौरा किया ।

(ख) जी हां ।

(ग) जिन विषयों पर चर्चा की गई थी उनका विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

**विवरण**

**रूस में जिन विषयों पर चर्चा की गई वे हैं :—**

1. नई दिल्ली में रूसी अध्ययन के लिए एक भारतीय संस्थान की स्थापना ।
2. रूसी पाठ्यपुस्तकों और प्रामाणिक रचनाओं का, विशेषरूप से वैज्ञानिक और व्यावसायिक पाठ्य क्रम के लिए अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं में प्रकाशन ।
3. रूस में चल रही सायंकालीन कालेज और डाक द्वारा पाठ्यक्रम का अध्ययन ताकि उन्हें भारतीय विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम के लिए अपनाया जा सके।
4. भारत में विज्ञान के प्रचार और विज्ञान शिक्षण के लिए सहायता ।
5. विश्वविद्यालय और उत्तर-स्नातक स्तर के उच्च अध्ययन के लिए केन्द्रों की भी स्थापना ।

6. भारत में टेक्नालाजी के क्षेत्रीय कालेजों की स्थापना के लिए सहायता ।
7. भारत में एक मन्द तापमान भौतिकी केन्द्र की स्थापना ।
8. भारत और रूस के बीच संस्थानिक सहयोग का विकास ।
9. दोनों देशों के यूनेस्को के राष्ट्रीय आयगों के बीच सहयोग ।
10. भारतीय शिक्षा आयोग के लिए एक शिक्षा विशेषज्ञ की सेवाओं की व्यवस्था ।
11. वैज्ञानिक अनुसंधान में भारत रूसी सहयोग ।

**बल्गारिया में जिन विषयों पर चर्चा की गई वे प्रस्ताव :—**

1. सोफिया विश्वविद्यालय के लिए एक हिन्दी प्रोफेसर की सेवाओं की व्यवस्था ।
2. भारतीय वैज्ञानिकों के लिए विशिष्ट प्रशिक्षण ।

(घ) विवरण में उल्लिखित सभी प्रायोजनाओं के लिए आवश्यक सहायता देने के लिए रूस सहमत हो गया है । बल्गारिया में जिन विषयों पर चर्चा की गई थी वे सभी बल्गारिया की ओर से रखे गये थे और भारत सरकार उन पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है ।

## राष्ट्रीय पुस्तकालय परिषद्

**1527. श्री रामचन्द्र मलिक :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पुस्तकालय परामर्शदाता समिति के प्रतिवेदन के अनुरूप पुस्तकालय नीतियों का समन्वय करने के लिये राष्ट्रीय पुस्तकालय परिषद् नियुक्त कर दी है ; और

(ख) क्या उड़ीसा सरकार ने पुस्तकालय परिषद् आरम्भ कर दी है या नहीं ?

**शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) इस मंत्रालय को इस बारे में जानकारी नहीं है ।

## कालिजों के पुस्तकालयाध्यक्ष

**1528. श्री रामचन्द्र मलिक :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत भर में कालिजों के पुस्तकालयाध्यक्षों और सहायक पुस्तकालयाध्यक्षों के पद के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा क्या न्यनतम शैक्षणिक अर्हताएँ नर्धारित की गई हैं ;

(ख) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने केन्द्रीय सरकार के जरिये राज्य सरकारों को यह अनुदेश दिये हैं कि नयी नियुक्तियों के बारे में इन न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताओं पर जोर दिया जाये ; और

(ग) किन किन राज्य सरकारों ने इस सुझाव को मान लिया है ?

**शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला)** : (क) यद्यपि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भारत के सभी कालिजों के पुस्तकालय कर्मचारियों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं निर्धारित नहीं की हैं, इसने निर्णय किया है कि 1-4-1961 से जो कालिज के पुस्तकालयाध्यक्ष निम्नलिखित अर्हता प्राप्त उन्हें एक लैक्चरार के वेतन-स्तर में रखा जाये :—

(i) बी०ए०/बी० एस०सी० / बी० काम० की प्रथम/द्वितीय श्रेणी में डिग्री और एम० लाइब्रेरी साइंस में प्रथम या द्वितीय श्रेणी में डिग्री ( दो वर्षीय पाठ्यक्रम )

(ii) एम० ए०/एम०एस०सी० की प्रथम अथवा द्वितीय श्रेणी में डिग्री अथवा बी० लाइब्रेरी साइंस में प्रथम वा द्वितीय श्रेणी अथवा लाइब्रेरी साइंस में एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम ।

सहायक पुस्तकालयाध्यक्षों के बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कोई न्यूनतम शैक्षनिक अर्हता निर्धारित नहीं की है ।

आयोग वर्तमान पुस्तकालय कर्मचारियों को, जो निर्धारित अर्हता-प्राप्त नहीं हैं, पुनरीक्षित वेतन-स्तर देने को भी सहमत हो गया है यदि कालिज इस बात से संतुष्ठ हो कि उन के अनुभव और कार्य को देखते हुए उन्हें पुनरीक्षित वेतन-स्तर दिया जाना उचित है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

### स्वर्गीय श्री नहरू की स्मृत्ति में क्रीडांगन

**1529. श्री राम हरख यादव** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारत खेल-कूद परिषद् ने स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू की स्मृति में, जिनकी खेल-कूद में बड़ी रूचि थी, एक क्रीडांगन बनाने का फैसला किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का ब्योरा क्या है; और

(ग) इस क्रीडांगन के निर्माण पर अनुमानत: कितना धन व्यय होगा ?

**शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन)** : (क) से (ग) स्वर्गीय प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत खेल-कद में गहरी रूचि लेने को ध्यान में रखते हुए अखिल खेल-कूद परिषद् ने 28 अगस्त , 1964 को हुई अपनी बैठक में नेहरू स्मारक समिति को उनके नाम पर एक प्रथम श्रेणी का क्रीडांगन बनाने और खेल-कूद के लिये अन्य व्यवस्था करने की सिफारिश करने का निर्णय किया । परिषद् ने नेहरू स्मारक समिति से इस कार्य के लिये धन देने की की भी प्रार्थना की अभी तक कोई ब्योरा तैयार नहीं किया गया है ।

### Mysore students studying abroad

**1530. Shri Veerappa :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the number of students from Mysore State in foreign countries who are studying at Government expense; and

(b) the number of students belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes amongst them.

**The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) :** (a) Two students from Mysore State are studying abroad under the Ministry of Education scheme entitled Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes Overseas Scholarships Scheme. This Ministry has no information about other students in foreign countries under the schemes operated by other Ministries and State Governments, etc.

(*b*) Both these students belong to Backward Classes.

**गैर-सरकारी कालिजों के अध्यापक**

1531. **श्री थनगौण्डर :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग देश में गैर-सरकारी कालिजों में अध्यापकों के वतन स्तर पुनरीक्षित करने के बारे में विचार कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो यह कब से लागू होंगे ?

**शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) :** (क) और (ख) वर्ष 1962 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कालिज के अध्यापकों के वेतन स्तर पुनरीक्षित करने के प्रश्न की जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त की थी। समिति ने कुछ सिफारिशें की जिनको आयोग ने सितम्बर, 1963 में सिद्धान्त रूप से मान लिया और समिति द्वारा सिफारिश किये गये वेतन-स्तरों को चौथी योजना में लागू करने का प्रस्ताव है। बाद में आयोग ने 2-9-1964 की अपनी बैठक में निर्णय किया कि कालिज के अध्यापकों और विश्वविद्यालय के अध्यापकों-दोनों के वेतन स्तर के पुनरीक्षण के सामान्य प्रश्न की एक समिति द्वारा अग्रेतर जांच की जाये और इस समिति का गठन कर दिया गया है।

**प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों के लिये वेतन आयोग**

1532. **श्री राम हरख यादव :**
**श्री मुरली मनोहर :**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय प्राथमिक अध्यापक संघ ने एक ज्ञापन दिया है जिसमें प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों के लिये एक वेतन आयोग नियुक्त करने की मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस ज्ञापन के प्रति सरकार का क्या रवया है ?

**शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) :** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

## उत्तर प्रदेश के शिवालिक क्षेत्र में तेल के लिये खुदाई

1533. { श्री राम हरख यादव :
श्री मुरली मनोहर :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के शिवालिक क्षत्र में तेल के लिये खुदाई काये में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) इस क्षेत्रों में तेल के निक्षेप पाने की भावी सम्भावनायें क्या हैं ?

**पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबिर)** : (क) और (ख). देहरादून के निकट 21 सितम्बर, 1964 को पहला गहरा कुआ खोदा गया था जिसकी गहराई 1069 मीटर थी। अन्तिम रूप में इस कुएं की गहराई लगभग 5,500 मीटर होगी और इसके पूरा होने तक कोई बात निश्चित रूप से नहीं कहीं जा सकती।

## दिल्ली की भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था

1534. **श्री स्वैल** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंगलैंड की सरकार तथा ब्रिटेश उद्योग संघ ने दिल्ली की भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था को कितने विशेषज्ञ प्रोफेसरों और पयेवेक्षी प्रविधिज्ञों की सेवायें उधार रूप में दी हैं ;

(ख) इस संस्था में ये विशेषज्ञ किन शर्तों पर कार्य कर रहे हैं ;

(ग) इस समय इस संस्था में विभिन्न पदक्रमों पर कितने शिक्षक स्थायी तौर पर कार्य कर रहे हैं ; और

(घ) प्रत्येक पदक्रम के इन शिक्षकों की सेवा की शर्तें क्या हैं और उनकी पदोन्नति किस प्रकार की जाती है ?

**शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला)** : (क) :

| | |
|---|---|
| प्रोफेसर . | 11 |
| प्रविधिज्ञ . . . | 5 |

(ख) कोलम्बो योजना के अधीन किये गये सामान्य समझौते की आम शर्तें इन विशेषज्ञों के मामले में लागू होती है। तदनुसार, दिल्ली की भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था को, विशेषज्ञों के भारत में ठहरने की अवधि के दौरान, केवल स्थानीय खर्चों को ही वहन करना पड़ता है। इनमें ऐसे खर्चे सम्मिलित हैं जैसे कि आन्तरिक यात्रा पर व्यय सज्जित निवास स्थान की व्यवस्था पर व्यय अथवा उसके बदले में 25 रुपये प्रतिदिन, कार्यालय के लिये स्थान पर व्यय तथा सचिवालय सम्बन्धी सहायता पर व्यय। उनके वेतनों, भत्तों और अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा पर व्यय का भुगातन इंगलैंड की सरकार द्वारा किया जाता है।

(ग)

| पदनाम | वेतन क्रम | संख्या |
|---|---|---|
| प्रोफैसर (वरिष्ठ पदक्रम) | 1600–100–1800 | 1 |
| प्रोफैसर . . | 1100–50–1300–60–1600 | 1 |
| असोसियट प्रोफैसर . . | 1110–50–1300 | 3 |
| असिस्टेन्ट प्रोफैसर . . | 700–50–1250 | 25 |
| लेक्चरर .. . | 400/40–800–50–950 | 53 |
| असोसियेट लेक्चरर . | 375–25–500–30–590 ई० बी०––30–650 | 14 |

(घ) इस संस्था द्वारा नियुक्त शिक्षकों की सेवा की शर्तें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थायें अधिनियम, 1961 के अधीन, 1963 में संशोधित रूप में, बनाये गये परिनियमों के परिनियम संख्या 13 में किये गये उपबन्ध के अनुसार हैं।

पदोन्नति द्वारा रिक्त पदों को भरने के लिये कोई विशिष्ठ प्रतिशत संख्या निर्धारित नहीं की गई है और सामान्यतया सभी पदों को विज्ञापन दे कर भरा जाता है। तथापि, संस्था के बोर्ड आफ गवरर्नस को यह निर्णय का अधिकार है कि कोई विशेष पद संस्था के कर्मचारियों में से किसी को पदोन्नति दे कर ही भरा जाये। एसे मामलों में भी, परिनियमों के उपबन्धों के अन्तर्गत गठित की गई चयन समिति विचाराधीन पदों के लिये अभ्यर्थियों की अपेक्षित योग्यता का निर्धारण करेगी।

**केरल में की गई नियुक्तियां**

1535. **श्री अ० व० राघवन :**
**श्री पोट्टेकाट :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल लोक सेवा आयोग ने गत चार वर्षों में नियुक्ति के लिये कितने व्यक्तियों को चुना है ;

(ख) आयोग द्वारा दिये गये परामर्श पर सरकार ने कितने व्यक्तियों को नियुक्त किया है; और

(ग) कितने मामलों में सरकार ने आयोग के परामर्श को स्वीकार करना सम्भव नहीं पाया है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी)**: (क) से (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

**केरल में तटीय जिलों का सर्वेक्षण**

1536. **श्री अ० व० राघवन :**
**श्री पोट्टेकाट्ट :**

क्या **पैट्रोलियम** और **सायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के तटीय जिलों में तेल का पता लगाने के लिये कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण का क्या परिणाम निकला ?

**पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबिर) :** (क) जी हां। केरल के तटीय जिलों में भूतत्वीय तथा गुरुत्वाकषण सर्वेक्षण किये गये हैं।

(ख) सर्वेक्षणों से पता चला है कि वहां पर अपेक्षाकृत थोड़ी मोटाई की तलहटी चट्टानें (सेडीमेन्टरी रांक फारमेशन्स) हैं जो कि थोड़ी सी समुद्र तट की ओर झुकी हुई हैं।

**केरल में मद्यनिषेध के उल्लंघन के मामले**

1537. **श्री अ० व० राघवन :**
**श्री पोट्टेकाट्ट :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष में केरल में मद्यनिषेध के उल्लंघन के कितने मामले पकड़े गये हैं ;

(ख) इन मामलों में कितने व्यक्तियों का हाथ है;

(ग) इस अवधि में कितने सरकारी कर्मचारियों पर मद्यनिषेध के उल्लंघन के अभियोग लगाये गये हैं ;

(घ) अब तक कितने मामले निपटाये जा चुके हैं; और

(ङ) कितना जुरमाना वसूल किया गया है, और पुलिस तथा मद्यनिषेध अधिकारियों को इन मामलों का पता लगाने के लिये कितना रुपया पुरस्कार स्वरूप दिया गया है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) :** (क) 4795।

(ख) 5017

(ग) 6

(घ) 3126

(ङ) 1,41,270 रुपये जुरमाने के रूप में एकत्रित किये गये हैं तथा पुलिस और मद्यनिषेध अधिकारियों को 12,775 रुपये पुरस्कार के रूप में दिये गये हैं।

## TELEVISION FOR DELHI SCHOOL

**1538. Shri Naval Prabhakar :** Will the Minister of Education be pleased to state :

(a) whether it is a fact that no television set was allotted to Girls Higher Secondary School, Ramesh Nagar, Delhi for teaching science;

(b) if so, when a set is likely to be made available to the school; and

(c) the number of Schools in west Delhi in which arrangements for teaching science exist?

**The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) :** (a) Yes, Sir.

(b) Their case will be considered some time next year.

(c) 56.

## अनिवार्य राष्ट्रीय सेवा

1539. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
**श्री भी० प्र० यादव :**
**श्री धवन :**
**श्री बिशनचन्द्र सेठ :**

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी नये ग्रेजुएट इंजीनियरों और डाक्टरों के लिये अनिवार्य राष्ट्रीय सेवा की किसी योजना पर भारत सरकार विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या इस योजना को क्रियान्वित करने के लिये उपयुक्त विधान बनाया जायेगा ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) :** (क) से (ग) ग्रेजुएट इंजीनियरों और डाक्टरों के लिये अनिवार्य राष्ट्रीय सेवा की व्यवस्था करने के लिये उपयुक्त विधान बनाने की वांछनीयता पर सरकार विचार कर रही है। योजना अभी तक ठोस रूप में तैयार नहीं हुई है अत: उसके बारे में विस्तृत विवरण अभी नहीं दिया जा सकता।

## आई० सी० एस० अधिकारियों के सेवा काल में वृद्धि

**1540. श्री स० मो० बनर्जी :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1964 में कुछ आई० सी० एस० अधिकारियों के सेवाकाल को 60 वर्ष की आयु के पश्चात् भी बढ़ाया गया ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे अधिकारियों के क्या नाम हैं ; और

(ग) 60 वर्ष की आयु के पश्चात् भी उनको सेवा में रखने के क्या कारण हैं ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) :** (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

## दिल्ली में कारों की चोरियां

1541. श्री रा० गि० कुबे :
श्री राम सेवक यादव :
डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री मह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में किशोर अवस्था वाले व्यक्तियों का ऐसा गिरोह हैं जो कि मनोरंजनार्थ कार यात्रा करने के लिये कारें चुरा लते हैं और बाद में उन्हें छोड़ देते हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि हाल ही में दक्षिण दिल्ली में जब एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी तो चार लड़के शीघ्रतापूर्वक कार को छोड़ कर भागते हुये देखे गये थे; और

(ग) क्या यह भी सच है कि इन में से कुछ लड़के प्रभावशाली परिवार के हैं और इसलिये पुलिस अधिकारी उचित रूप से जांच करने से हिचकिचाते हैं ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क) दिल्ली पुलिस को ऐसे किसी गिरोह के होने का पता नहीं है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) उक्त भाग (ख) में उल्लिखित मामले की पुलिस जांच कर रही है ।

## University in Memory of Shri Nehru

1542. **Shri Prakash Vir Shastri.**
**Shri Jagdev Singh Siddhanti:**
**Shri Yashpal Singh :**

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether some new Universities have been opened during this year ;

(b) whether besides these, some more universities are expected to be opened during the rest of this year ; and

(c) whether a scheme to start a science university in memory of the late Shri Nehru is under consideration ?

**The Minister of Education (Shri M.C. Chagla)** : (a) Yes, Sir. The following six Universities have been opened during this year :

1. Andhra Pradesh Agricultural University, Rajendra Nagar, Hyderabad.
2. Bangalore University, Bangalore.
3. Indore University, Indore.
4. Jiwaji University, Gwalior.
5. Ravishankar University, Raipur ; and
6. The University of Agricultural Sciences. Hebbal, Bangalore.

(b) No, Sir.

(c) A scheme to start a multi-faculty University with accent on technological and professional studies is under consideration.

**दिल्ली में विदेशी छात्र**

1543. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी के बहुत से विदेशी छात्रों ने शिकायत की है कि नव-निर्मित्त अन्तर्राष्ट्रीय छात्रों के छात्रावासों में पैसे अधिक लिये जाते हैं और सुविधायें कम हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का क्या विचार है ?

**शिक्षा मंत्रालय में सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हजरनवीस):** (क) और (ख). सुविधायें कम होने सम्बन्धी कोई शिकायत नहीं आई है परन्तु आरम्भ में पैसे अधिक लिये जाने के बारे में कुछ छात्रों से शिकायतें प्राप्त हुई थीं। छात्रों को बता दिया गया था कि उन पैसों में सेवाओं आदि का व्यय भी शामिल है, और वह सन्तुष्ट हो गये थे।

**भारतीय प्रशासनिक सेवा की सीमित परीक्षा**

1544. **श्री दी० चं० शर्मा :**
**श्री रामचन्द्र उलाका :**
**श्री धुलेश्वर मीना :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिये सीमित परीक्षा रखने सम्बन्धी योजना को पुनः प्रयोग में लाने के बारे में क्या प्रगति हुई ; और

(ख) इस बारे में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) :** (क) और (ख). हाल ही में एक के अतिरिक्त अन्य सभी राज्य सरकारों से उत्तर प्राप्त हो गये हैं। राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया समरूपी नहीं है ।

राज्य सरकारों के सुझावों को ब्यौरेवार अध्ययन किया जा रहा है और इस मामले में अन्तिम निर्णय करने से पूर्व उन में से कुछ के साथ अग्रेतर पत्र-व्यवहार करना होगा।

**भारतीय कापीराईट अधिनियम**

1545. **श्री यशपाल सिंह :**
**श्री विश्राम प्रसाद :**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जल दस्यु पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण एवं विक्रय की एक हस्तक्षेप अपराध बनाने की दृष्टि से भारतीय कापीराईट अधिनियम में संशोधन करने के बारे में विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस विधान को कब प्रस्तुत किया जायेगा ?

**शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला)** : (क) मामला विचाराधीन है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

### जेल सम्बन्धी नियम-पुस्तिकाय

1546. **श्री यशपाल सिंह :**
**श्री विश्राम प्रसाद :**
**श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने सभी राज्य सरकारों को मंत्रणा दी है कि वह आदर्श जेल सम्बन्धी नियम-पुस्तिका समिति की सिफारिशों के प्रकाश में जेल सम्बन्धी नियम-पुस्तिकायें का मूलभूत पुनरीक्षण करें तथा यदि आवश्यक हो तो उनके मसौदे फिर से तैयार करें ;

(ख) यदि हां, तो समिति ने कौन-कौन सी कमियां बताई हैं ; और

(ग) क्या मार्गदर्शन की दृष्टि से राज्यों को कोई आदर्श नियम पुस्तिका परिचालित की गयी है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)**: (क) जी नहीं । राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वह अखिल भारत जेल नियम-पुस्तिका समिति की सिफारिशों को आवश्यक रूप भेदों के साथ कार्यान्वित करें। उन्हें यह सुझाव भी दिया गया है कि वह अपने-अपने राज्य के लिये एक नियम-पुस्तिका का मसौदा तयार करें या जिन सिफारिशों की वह सुकर समझें उनके आधार पर अपनी वर्तमान जेल नियम-पुस्तिकाओं में रूप भेद करें ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जी हां ।

### School for Tibetan Culture

1547. **Shrimati Savitri Nigam :**
**Shri Vishram Prasad :**

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether Government are considering a proposal for the establishment of a shool for Tibetan culture for Tibetan children where the students after completing the school education might be given instruction in religion and culture ;

(b) whether a syllabus is to be prescribed for that purpose ; and

(c) if so, the place where and the date when it is to be established and the expenditure involved thereon ?

**The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) :** (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

**कानूनों के हिन्दी पाठ**

1548. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
**श्री भी० प्र० यादव :**
**श्री धवन :**
**श्री बिशनचन्द्र सेठ :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चार हिन्दी भाषी राज्य अपने अपने परिनियमों के कानूनों के हिन्दी पाठ तैयार करने के लिये एक संयुक्त आयोग स्थापित करने के लिये सहमत हो गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) :** (क) जी हां।

(ख) ब्यौरा अभी तैयार किया जा रहा है ।

**विज्ञान नीति आयोग**

1549. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
**श्री बिशनचन्द्र सेठ :**
**श्री भी० प्र० यादव :**
**श्री धवन :**

क्या **शिक्षा** मंत्री 27 मई, 1964 को दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या 6 के उत्तर के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत के वैज्ञानिक श्रमिकों के संगठन द्वारा दिये गये विज्ञान नीति आयोग सम्बन्धी सुझाव को स्वीकार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सुझाव को कार्य रूप देने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

**शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला):** (क) जी नहीं। मामला अभी विचाराधीन है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**कृषी अध्ययन सम्बन्धी संस्था**

1550. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
**श्री बिशनचन्द्र सेठ :**
**श्री भी० प्र० यादव :**
**श्री धवन :**
**श्री प्र० च० बरुआ :**
**श्री मोहन स्वरूप :**

क्या **शिक्षा** मंत्री 15 अप्रल, 1964 को दिय गये अतारांकित प्रश्न सख्या 2185 के

उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में रूसी अध्ययन सम्बन्धी संस्था स्थापित करने के बारे में रूस की सरकार की प्रतिक्रिया प्राप्त हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इसके कब तक चालू हो जाने की सम्भावना है ?

**शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला)** : (क) जी हां ।

(ख) अस्थायी योजना के अनुसार संस्था में दो पाठ्यक्रमों को आरम्भ करने की सुविधा उपलब्ध होगी—3 वर्ष का स्नातक पाठ्यक्रम और एक वर्ष की अवधि का अल्प पाठ्यक्रम । स्नातक पाठ्यक्रम दिल्ली विश्वविद्यालय की आनर्स डिग्री के बराबर होगा जिसमें आधा पाठ्यक्रम रूसी भाषा एवं साहित्य के बारे में होगा और आधे से कुछ कम पाठ्यक्रम रूसी इतिहास, अर्थ शास्त्र आदि के बारे में होगा । अल्प पाठ्यक्रम छात्रों को रूसी भाषा में पर्याप्त ज्ञान, प्रदान करने के लिये होगा ताकि वह रूस में उच्च शिक्षा पाने योग्य हो सकें और व्यापार, कूटनीति आदि विषयों के काम करने लायक हो सकें । पाठ्यक्रमों का विस्तृत ब्यौरा थोड़े समय पश्चात् रूसी एवं भारतीय विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया जायेगा ।

(ग) इसके जुलाई, 1965 से चालू हो जाने की सम्भावना है ।

**राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला द्वारा शोरगुल सम्बन्धी सर्वेक्षण**

1551. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला द्वारा दिल्ली तथा बम्बई में किये गये शोर सम्बन्धी सर्वेक्षण के बारे में प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन से इस बात का पूर्णतः खण्डन हो जाता है कि मनुष्य शोर के अभ्यस्त हो जाते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कानून बना कर बड़े-बड़े शहरों और नगरों में शोरगुल समाप्त करने का है ?

**शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला)**: (क) राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला द्वारा जो सर्वेक्षण किया गया था उसका उद्देश्य शोरगुल के विभिन्न स्तरों का निर्धारण करना था । शोरगुल की व्यक्ति पर प्रक्रिया का निर्धारण, इसके कार्यक्षेत्र में नहीं था । इसलिये सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप शोरगुल के अभ्यस्त हो जाने के विचार के समर्थन अथवा खण्डन सम्बन्धी निवचन का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**दिल्ली में सरकारी जायदादों पर अनधिकृत कब्जा**

1552. **श्री कपूर सिंह :**
**श्री सोलंकी :**
**श्री नरसिम्हा रेड्डी :**
**श्री बूटा सिंह :**

क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली तथा नयी दिल्ली की शरणार्थी बस्तियों में इस प्रकार की सरकारी

जायदादों की लगभग संख्या क्या होगी जो कि अनधिकृत लोगों के कब्जे में है ;

(ख) क्या सरकार ने ऐसे अनधिकृत लोगों से किसी प्रकार का किराया अथवा तोड़ फोड़ का मुआवजा वसूल किया है, यदि हां, तो उसकी राशि क्या है ; और

(ग) क्या किराया अथवा अन्य कुछ इन लोगों की ओर बकाया है, यदि हां, तो वह विस्तार से क्या है ?

**पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी)**: (क) सरकारी नीति के अनुसार 31 दिसम्बर, 1960 से पूर्व जो भी लोग सरकारी जायदादों में रह रहे थे, उन्हें नियमित कर दिया गया है। उन से 28 फरवरी, 1963 तक प्रारम्भिक कीमत तथा किराया इत्यादि लेकर वे उन्हें दे दी गयी हैं। अन्य मामलों में सम्पति खरीदने वालों को बेच दी गयी हैं, काबिज लोगों से वही निपटते हैं। अब अनधिकृत लोगों की संख्या बहुत कम है ।

(ख) और (ग). काफी अनधिकृत लोगों से बकाया राशि वसूल कर ली गयी है और यह राशि बहुत थोड़ी है । इसके लिए अलग से कोई आंकड़े तैयार नहीं किये गये ।

## नजरबन्द व्यक्ति

1553. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
**श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
**श्री कोल्ला वेंकैया :**
**श्री बागड़ी :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 अगस्त, 1964 को भारत प्रतिरक्षा नियमों तथा निवारक नजरवन्दी अधिनियम के अन्तर्गत नजरबन्द लोगों की कुल संख्या क्या है ;

(ख) इनमें विधान संसद् सदस्यों तथा विधान सभाओं के सदस्यों की संख्या क्या है ; और

(ग) क्या इन सब लोगों के मामलों का पुनरीक्षण हो चुका है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी)**: (क) से (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है और उसे यथासमय सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

## दिल्ली में हत्यायें

1554. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः मास में दिल्ली में हुई हत्याओं की संख्या क्या है ; और

(ख) उन के कारण क्या हैं ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क) 38।

| | | |
|---|---|---|
| (ख) | घरेलू विवाद | 5 |
| | शत्रुता | 10 |
| | धन प्राप्ति | 4 |
| | यौन सम्बन्ध | 7 |
| | मिश्रित कारण | 12 |

**आधुनिक बंगाली विश्वकोष**

1555. **श्री प्र० के० देव** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आधुनिक बंगाली विश्वकोष का निर्माण किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना के लिए केन्द्रीय सरकार ने क्या सहायता की है ; और

(ग) अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में से कौन-कौन सी भाषाओं का विश्व कोष तैयार किया जा रहा है और प्रत्येक के लिए केन्द्रीय सरकार से क्या सहायता प्राप्त हुई है ?

**शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन)** : (क) जी हां ।

(ख) 56,250 रुपये।

(ग) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3288/64**]।

**पश्चिमी बंगाल को सहायता**

1556. **श्री प्र० के० देव** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी बंगाल से भारी संख्या में विस्थापितों के आ जाने के कारण पश्चिमी बंगाल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया है ?

**पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी)**: (क) और (ख). पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों के पुनर्वास के लिए पश्चिमी बंगाल सरकार की ओर से वित्तीय सहायता के लिए आवेदन समय-समय पर आता रहता है । छानबीन करने बाद अपेक्षित धन राशि की स्वीकृति दे दी जाती है।

**Engineering Institute in Punjab**

1577. **Shri Vishwanath Pandey** : Will the Minister of **Education** be pleased to state ;

(a) whether it is a fact that an Engineering Institute will be established in Punjab in collaboration with West German Government ;

(b) if so, when and its location; and

(c) the expenditure to be incurred thereon ?

**The Minister of Education (Shri M. C. Chagla)**: (a) A proposal for such an Institute is under the consideration of the State Government.

(b) and (c). The detailed plans and estimates are awaited.

### ओटावा में राष्ट्रमण्डलीय शिक्षा सम्मेलन

1558. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओटावा में हाल ही में हुए तृतीय राष्ट्रमण्डलीय शिक्षा सम्मेलन में हुई चर्चा के परिणामस्वरूप शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रमण्डलीय देशों से कुछ और सहायता मिलने की आशा है ; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की तथा कितनी सहायता मिलेगी ?

**शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) :** (क) जी, हां ।

(ख) सम्मेलन में विभिन्न विषयों पर सिफारिशें की गई थीं जैसे कि शिक्षकों का प्रशिक्षण और उनकी व्यवस्था, पाठ्यक्रम का विकास, छात्रवृत्तियां तथा अधिछात्रवृत्तियां, पाठ्य-पुस्तकों की व्यवस्था, मंत्रणा, सामाजिक शिक्षा, ग्राम्य जन समुदायों की शिक्षा, शिक्षा की सामूहिक पद्धत्ति के उपयोग में सहयोग, प्रविधिक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि । सम्मेलन में जिन सदस्य देशों ने भाग लिया था उन के द्वारा सम्मेलन की सिफारिशों के मंजूर किये जाने के पश्चात् ही यह जाना जा सकता है कि भारत को कितनी तथा किस प्रकार की सहायता मिलेगी ।

### मिनिकौय और अमीनदीवी द्वीपसमूहों में भूमि

1559. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ सरकार ने मिनिकौय तथा अमीनदीवी द्वीपसमूहों में उन द्वीपों से बाहर के व्यक्तियों द्वारा भू-सम्पति खरीदने पर प्रतिबन्ध लगाने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) :** (क) जी, हां ।

(ख) द्वीपनिवासियों के हितों का संरक्षण करने के लिये जो कि अनुसूचित आदिम जातियों के हैं।

### Export of Penicillin

1560. **Shri Bagri :** Will the Minister of **Petroleum & Chemicals** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 721 on the 5th April, 1963 and state :

(a) Whether some market has been found for the export of Penicillin manufactured in India ; and

(b) If so, the countries to which it is being exported ?

**The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Alagesan) :** (a) and (b). The possiblities of exporting antibiotics (including penicillin) are still being explored both by the public and private sector undertakings.

## Auction of Evacuee Property

**1561. Shri Bagri :** Will the Minister of **Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the evacuee land and other properties left by Muslims in Punjab are being auctioned ;

(b) if so, whether the persons, already in possession of those properties, will be given some compensation; and

(c) whether the properties will be auctioned in consultation with the occupants ?

**The Minister of Rehabilitation (Shri Mahavir Tyagi) :** (a) to (c) : All the surplus acquired evacuee rural agricultural lands/houses etc. in Punjab were transferred for disposal to the State Government in a Package Deal in June, 1961. Similarly all undisposed of acquired evacuee urban lands and built up properties were transferred to them in another Package Deal on Ist April, 1963. After the transfer of these properties/lands, to the State Government, it is now for that Government to formulate its scheme for their disposal.

## पंजाब में माध्यमिक शिक्षा

1562. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में माध्यमिक शिक्षा को मान्यता देने तथा उसे बढ़ावा देने के लिये तृतीय पंचवर्षीय योजनाकाल में पंजाब सरकार को कोई वित्तीय सहायता दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस अवधि में इस कार्य के लिये पंजाब को कुल कितनी धनराशि दी गई है ?

**शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) :** (क) और (ख). जी, हां ।

केन्द्रीय सरकार द्वारा पुरोनिधान की गई निम्नलिखित योजनाओं के लिये सहायता दी गई है :

(एक) शैक्षणिक तथा व्यावसायिक मार्गदर्शन के राज्य ब्यूरो ;

(दो) राज्य शिक्षा मूल्यांकन एकक;

(तीन) बहुप्रयोजनीय स्कूलों की स्थिति को दृढ़ करना ;

(चार) माध्यमिक स्कूलों की स्थिति को दृढ़ करने का विशेष कार्यक्रम ।

1963–64 के अन्त तक प्रथम तीन योजनाओं के लिए 78037 रुपये 68 पैसे की वित्तीय सहायता दी गई थी । चतुर्थ योजना के लिये केवल चालू वित्तीय वर्ष में ही वित्तीय सहायता देनी प्रारम्भ की गई है ।

'राज्य–क्षेत्र' की योजनाओं के लिये भी राज्यों को सहायता दी जाती है । यह मालूम नहीं है कि इस शीर्ष के अधीन माध्यमिक शिक्षा के लिये पंजाब सरकार को ठीक कितनी सहायता दी गई है ।

## प्रविधिक शिक्षा

**1563. श्री रामचन्द्र मलिक** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोलीटेक्निक पाठ्यक्रमों में व्यावहारिक प्रशिक्षण की जो व्यवस्था है उसे सुधारने की दृष्टि से यह निर्णय किया गया है कि किसी औद्योगिक कारखानों में कम से कम छः महीने का प्रशिक्षण अनिवार्य होगा तथा इसके लिये प्रत्येक पोलीटेक्निक संस्था कुछ उद्योगों तथा उपक्रमों के साथ सम्बद्ध होनी चाहिये ;

(ख) क्या प्रविधिक शिक्षा के क्षेत्र की संस्थाओं और उद्योग के सहयोग से जून, 1964 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था, गुइन्डी, मद्रास, में जो त्रि दिवसीय गोष्ठी हुई थी उस में दिये गये सुझावों में से एक सुझाव यह भी था; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या ब्योरे हैं ?

**शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला)** : (क) केन्द्रीय सरकार ने अभी तक ऐसा कोई निर्णय नहीं किया है।

(ख) जी, हां ।

(ग) गोष्ठी का यह मत था कि क्योंकि विद्यमान डिप्लोमा पाठ्यक्रम में पर्याप्त व्यहारिक प्रशिक्षण सम्मिलित नहीं है अतः पाठ्यक्रमों की अवधि को बढ़ाया जाना चाहिये तथा कम से कम छः महीने के कारखाने के अन्दर के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिये और प्रत्येक पोलीटेकनिक संस्था कुछ सीमित संख्या में औद्योगिक उपक्रमों के साथ सम्बद्ध होनी चाहिये ।

## रेवाड़ी (पंजाब) में हेमू का घर

**1564. श्री रामचन्द्र मलिक** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इसका क्या कारण है कि भारत सरकार के पुरातत्व विभाग ने रेवाड़ी (पंजाब) में हेमू के, जो कि पानीपत के द्वितीय युद्ध का नेता था, घर को सुरक्षित रखने की व्यवस्था अभी तक नहीं की है ?

**शिक्षा मंत्रालय में सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हजरतवीस)** : क्योंकि रेवाड़ी में ऐसा कोई घर नहीं है जो कि निर्विवाद रूप सेहेमू के नाम से सम्बद्ध हो अतः घर के सुरक्षित रखने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

## गैर-वैज्ञानिक व्यक्तियों का राष्ट्रीय रजिस्टर

**1565. श्री रामचन्द्र मलिक** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों से लौटने वाले भारतीय प्रोफेसरों, इतिहासकारों और ऐसे अन्य साहित्यिक तथा गैर-वैज्ञानिक व्यक्तियों का नाम दर्ज करने के लिये एक दूसरा राष्ट्रीय रजिस्टर रखने का संघ सरकार का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो इस समय इस मामले की क्या स्थिति है ?

**शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला)** : (क) ऐसा प्रस्ताव है कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद को, जो कि वैज्ञानिकों के पूल के पंजीकरण तथा परिचालन के साधन की व्यवस्था पहले ही कर चुकी है, विदेशों से लौटने वाले उच्च अर्हताप्राप्त गैर-वैज्ञानिक व्यक्तियों का एक रजिस्टर भी रखना चाहिये ।

(ख) ब्यौरे की जांच की जा रही है ।

**पैट्रोलियम प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण**

1566. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
**श्री धुलेश्वर मीना :**

क्या **शिक्षा** मंत्री 15 अप्रैल, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2184 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेषज्ञ समिति की पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी की प्रशिक्षण सुविधाओं में वृद्धि करने की समस्या से सम्बन्धित सिफारिशों पर इस बीच सरकार ने विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उन पर सरकार का निर्णय क्या है ?

**शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला)** : (क) और (ख). इस विषय पर 23 सितम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1104 के मेरे उत्तर की ओर माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

**अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह का विकास**

1567. **श्री मुहम्मद इलियास** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूहों के अग्रेतर विकास की सम्भावना की जांच करने के लिये सरकार ने एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस समिति का काय कब आरम्भ होगा ?

**पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी)** : (क) अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूहों के संसा नों के विकास के लिये एक एकीकृत योजना तैयार करने केहेतु विकास के विभिन्न पहलुओं से सम्बन्धित मंत्रालयों और योजना आयोग के अधिकारियों का एक दल गठित किया गया है ।

(ख) दल की एक प्रारम्भिक बैठक हो गई है तथा दिसम्बर में उसके द्वीपसमूहों के दौरे पर जाने की आशा है ।

**दण्डकारण्य का औद्योगीकरण**

1568. **श्री मुहम्मद इलियास** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दण्डकारण्य क्षेत्र का शीघ्रतापूर्वक औद्योगीकरण करने के लिये सरकार ने कोई कार्यक्रम तैयार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

**पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी)** : (क) और (ख). दण्डकारण्य परियोजना के मुख्य उद्देश्य के अनुसार, इसके प्रथम चरण में पुनर्वास के लिये मुख्यतः कृषि योजना बनाई गई थी । यह महसूस

किया गया था कि बड़े पैमाने के उद्योगों को प्रारम्भ करने के लिये संचार व्यवस्था में सुधार करना होगा, मलेरिया का उन्मूलन करना होगा तथा एक समेकित वृहद योजना तैयार करनी होगी। तथापि, दण्डकारण्य विकास प्राधिकार द्वारा, कुछ कुटीर कारखानों के अतिरिक्त, नौ छोटे पैमाने के औद्योगिक केन्द्र स्थापित किये गये हैं। इन कारखानों में इन वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा है--- एम्यूनीशन बक्से, लकड़ी का फर्नीचर तथा नालीदार फर्नीचर, दरवाजे खिड़कियां और उनमें लगाई जाने वाली चीजें, ट्रकों के ढांचे, कृषि उपकरण, दरवाजों की चेनें, कीलें, चोभे, धोतियां, साड़ियां तथा अन्य किस्मों का कपड़ा, आस्कू पद्धति द्वारा तार के खम्भे, साल और टीक की गोल इमारती लकड़ी तथा चिरे हुए तख्ते, तेल तथा खल। काम के अगले मौसम में इन केन्द्रों के विस्तार करने का तथा अन्य और केन्द्रों को स्थापित करने का प्रस्ताव है।

2. इससे क्षेत्र के एकीकृत विकास की सम्भाव्यताओं का विस्तृत तथा यथार्थ मूल्यांकन करने के लिये व्यावहारिक आर्थिक अनुसन्धान राष्ट्रीय परिषद से इस क्षेत्र का सवक्षण करने की प्रार्थना की गई थी। परिषद के प्रतिवेदन में यह बताया गया था कि वहां पर खनिज पदार्थ तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन भारी मात्रा में उपलब्ध हैं और सीमेंट, कागज तथा अन्य उद्योगों की स्थापना द्वारा उनके उपयोग का सुझाव दिया गया था। इसमें यह भी सिफारिश की गई थी कि खनिज संसाधनों की क्रमबद्ध तथा नियमित क्षेत्रीय खोजबीन की जानी चाहिये तथा इस प्रदेश का पूर्ण प्रौद्योगिक सर्वेक्षण किया जाना चाहिये।

3. दण्डकारण्य विकास प्राधिकार के पुनरीक्षित परियोजना प्रतिवेदन में भी दण्डकारण्य विकास प्राधिकार द्वारा ही अथवा अन्य केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार की संस्थाओं के सहयोग में छोटे पैमाने और बीच के पैमाने के उद्योगों की स्थापना के बारे में कहा गया है। उद्योग तथा सम्भरण मंत्रालय की लघु उद्योग सेवा संस्था के एक दल ने हाल ही में इस क्षेत्र में छोटे पैमाने के उद्योगों की सम्भाव्यताओं का अध्ययन किया है तथा उनके प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है।

4. सरकार ने जल-विद्युत तथा सिंचाई क्षमता का मल्यांकन करने के लिये एक अनुसन्धान दल की तथा परियोजना क्षेत्र का प्रौद्योगिक आर्थिक मूल्यांकन करने के लिये एक अन्तर्विभागीय विशेषज्ञ दल की भी नियुक्ति की है।

5. इन दलों के प्रतिवेदनों के प्राप्त हो जाने के पश्चात् एकीकृत विकास की, जिसमें औद्योगिक विकास भी सम्मिलित है, एक विस्तृत तथा दीर्घकालीन योजना तैयार की जायेगी।

6. दीर्घ-कालीन योजना के तैयार हो जाने के पश्चात् इस बात पर भी पूर्ण रूप से विचार किया जायेगा कि किन क्षेत्रों में दण्डकारण्य परियोजना प्रशासन स्वयं ही उद्योगों की स्थापना कर सकता है, किन क्षेत्रों में अन्य सरकारी विभागों द्वारा उद्योगों की स्थापना कराई जानी चाहिये और किन क्षेत्रों में गैर-सरकारी क्षेत्र को उद्योगों की स्थापना के लिये आकर्षित करने के प्रयत्न किये जाने चाहिये।

**Employment to Muslim Students of Aligarh Muslim University**

**1569. Shri Prakash Vir Shastri :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it has been brought to his notice that the Vice-Chancellor, Aligarh Muslim University had written a lteetter to the leading business organisations all over the countr y for giving employment to Muslim students; and

(b) if so, whether any enquiry has been made into the circumstances under which this letter was written ?

**The Minister of Education (Shri M. C. Chagla):** (a) the Vice-Chancellor, Aligarh Muslim University has written a letter to the leading business organisations all over the country for giving employment to the students of his University, including Muslim students.

(b) The matter is within the competence of Vice-Chancellor and the question of making an enquiry does not arise.

## Seizure of Arms

**1570. Shri Brij Raj Singh :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether some cartridges alleged to be of Chinese origin were seized from a motor vehicle near the Indian Military Academy, Dehra Dun on the 11th August, 1964 ;

(b) whether any investigations have been made in the matter; and

(c) if so, the result thereof ?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi):** (a) to (c). Some ammunition was recovered on 11th August, 1964 from a place near the Indian Military Academy, Dehra Dun but not from a Motor Vehicle. Investigations are in progress in regard to their origin .

## उड़ीसा का भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी

1571. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री सोमनाथ मिश्रा आई० ए० एस०, जो कि केन्द्रीय सरकार के आदेशों पर मुअत्तिल किये गये थे, के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई मुकदमा चलाया गया है ; और

(ख) क्या इस अधिकारी के विरुद्ध जांच पूरी हो गई है और यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) इस अधिकारी के विरुद्ध जांच पूरी हो गई है और यह निर्णय किया गया है कि इस मामले को राज्य सरकार के पास आवश्यक वैभागिक कार्यवाही करने के लिये भेज दिया जाये ।

## कोचीन का तेल शोधक कारखाना

1572. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
**श्री प्र० चं० बरुआ :**

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन में तेलशोधक कारखाना स्थापित करने के लिये अमरीका की गैर सरकारी कम्पनियों से 180 लाख डालर का ऋण प्राप्त किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो किन शर्तों पर ?

**पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) :** (क) जी हां ।

(ख) कोचीन रिफाइनरीज़ लिमिटेड ने अमरीका की बैंकों से 60 लाख डालर अल्पकालीन ऋण के रूप में और 120 लाख रु० दीर्घकालीन ऋण के रूप में लेने के लिये करार किये हैं। अल्पकालीन ऋण की अदायगी 8 किस्तों में की जायेगी। प्रथम किस्त 1 जनवरी, 1967 को दी जायेगी और अन्तिम किश्त 1 जुलाई, 1970 को दी जायेगी। दीर्घकालीन ऋण की अदायगी 21 किश्तों में की जायेगी। इस ऋण की पहली किश्त 1 जुलाई, 1970 को दी जायेगी और अन्तिम किश्त 1 जुलाई, 1980 को दी जायेगी। इन ऋणों का ब्याज 5 3/4 प्रति शत प्रति वर्ष के हिसाब से दिया जायेगा।

**अवैतनिक शिक्षक**

1573. **श्री बृजराज सिंह** : क्या शिक्षा मंत्री राज्य सभा के 27 फरवरी, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 318 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उच्च माध्यमिक स्कलों के अवैतनिक शिक्षकों और प्रिंसिपलों की निस्वार्थ सेवाओं के लिये किसी प्रकार की मान्यता दी जाती है ;

(ख) क्या 1 मई, 1963 से दिल्ली में सरकारी उच्च माध्यमिक स्कूलों के अवैतनिक शिक्षकों की संख्या ट गई है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) जिस व्यक्ति ने अवैतनिक प्रिन्सिपल के रूप में काम करने की पेशकश की थी उसकी सेवाओं को स्वीकार न करने के क्या कारण है ?

**शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला)** ) : (क) से (ग). केवल एक अवैतनिक अध्यापक था जिसने 6–3–1963 से 23–3–1964 तक काम किया। उसकी इन सेवाओं के लिये उसका धन्यवाद किया गया था।

(घ) प्रिन्सिपल का पद श्रेणी (दो) का मानपत्रित पद है और उसे संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित भर्ती के नियमों के अनुसार भरना अपेक्षित है। एक व्यक्ति जिसने अवैतनिक प्रिन्सिपल के रूप में कार्य करने की पेशकश की थी उसके पास निर्धारित अर्हताएं नहीं थी।

**विस्थापित व्यक्तियों का श्रेणीकरण**

1574. **श्री ल० कु० दास** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1964 के बाद पूर्वी पाकिस्तान से भारत में आये विस्थापित व्यक्तियों का कोई श्रेणीकरण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो व्यवसाय वार उनकी क्या संख्या है; और

(ग) कितने व्यक्तियों को पुनर्वास लाभ के लिये पात्र समझा गया है ?

**पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी)** : (क) और (ग). जो. व्यक्ति पूर्वी पाकिस्तान से आये हैं और उनमें से जिन्हें पारवर्ती / सहायता शिविरों में दाखिल किया गया है उनके बारे में विस्तृत विवरण एकत्र करने के लिये कार्यवाही की गई है। तथापि, जिन प्रव्रजकों ने शिविरों में दाखला नहीं लिया है उनके बारे में यह जानकारी इकट्ठी नहीं की जाती है।

पारवर्ती / सहायता शिविर में 63,708 परिवारों में से 34,010 परिवारों के सम्बन्ध में पूर्वी पाकिस्तान में उनके व्यवसाय के बारे में प्रारम्भिक पूछताछ की गई है। इन परिवारों के अलग अलग व्यवसाय इस प्रकार हैं :—

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | कृषक | 28,114 | परिवार |
| 2. | व्यापारी | 2,077 | ,, |
| 3. | मधियारे | 953 | ,, |
| 4. | सेवा श्रेणी | 615 | ,, |
| 5. | शिल्पकार तथा बुनकर | 993 | ,, |
| 6. | विभिन्न व्यवसाय | 26 | ,, |
| 7. | दीर्घकालीन दायित्वों वाले परिवार, अर्थात् जिस परिवार में कोई कमाने योग्य पुरुष न हो | 1,232 | ,, |
| | | 34,010 | परिवार |

ऊपर दी गई श्रेणियां अस्थायी हैं और शिविरों में रहने वाले परिवारों की अग्रेतर छानबीन के परिणामस्वरूप उनमें परिवर्तन किया जा सकता है। यह छानबीन आरम्भ कर दी गई है।

(ग) केवल उन परिवारों को छोड़ कर जिन्हें छान बीन के पश्चात् अबास्तविक परिवार पाया गया है पारवर्ती/ सहायता शिविरों के सभी परिवार पुनर्वास लाभों के लिये पात्र हैं।

### तेल की खोज के कार्य के लिये हेलीकोप्टरों का प्रयोग

**1575. श्री द्वारका दास मंत्री** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रूस से, तेल की खोज के क्षेत्र में काम करने के लिये विशेष प्रकार के हेलीकोप्टर देने के लिये कहा है ;

(ख) यदि हां, तो कितने हेलीकोप्टर मांगे गये हैं ;

(ग) क्या रूस से कोई उत्तर प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उनका क्या विवरण है ?

**पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) से (घ). रूस को अभी कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं भेजा गया है। तथापि मामले पर रूसी अधिकारियों से अनौपचारिक बात चीत की गई है। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग तेल की खोज के कार्य के लिये 3 हेलीकोप्टर प्राप्त करने की संभावना का पता लगा रहा है।

## दुर्लभ पाण्डुलिपियों की माइक्रोफिल्म

1576. **श्री द्वारका दास मंत्री :**
**श्री बै० ना० कुरील :**
**श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संस्कृत, फारसी और अरबी की दुर्लभ पाण्डुलिपियों तथा अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर माइक्रोफिल्म तैयार करने की कोई परियोजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिये किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन ने सहायता देने की पेशकश की है; और

(ग) यदि हां, तो सहायता का स्वरूप क्या है ?

**शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला)** : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) इस प्रयोजन के लिये संयुक्त राष्ट्र शिक्षा, विज्ञान तथा सांस्कृतिक संगठन ने एक चलता फिरता माईक्रोफिल्म यूनिट और 4 महीने के लिये एक विशेषज्ञ की सेवाएं उपलब्ध कराई हैं।

## कच्चे तेल को साफ करने के लिये लंका को सहायता

1577. **श्री द्वारका दास मंत्री** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने लंका की सरकार को कच्चा तेल साफ करने के लिये सहायता देने की पेशकश की है ;

(ख) यदि हां, तो सहायता का स्वरूप क्या है; और

(ग) उसकी शर्तें क्या हैं ?

**पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायूं कबिर)** : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

## पोर्ट ब्लेयर में कृषि का प्रशिक्षण

1578. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पोर्टब्लायर, अन्दमान द्वीपसमूह के सरकारी स्कूलों में उच्च माध्यमिक श्रेणियों में शिक्षण के विषयों में से कृषि भी एक विषय है;

(ख) यदि हां तो कृषि के छात्रों द्वारा व्यावहारिक क्षेत्र कार्य के लिये इन स्कूलों के पास कोई कृषि फार्म है ?

(ग) क्या कृषि के विद्यार्थियों द्वारा किसी अन्य फार्म पर कोई व्यावहारिक कार्य किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो उन फार्मों के क्या नाम हैं और 1963–64 में उन फार्मों पर विद्यार्थियों ने कितने दिन काम किया ?

**शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

**सेक्शन आफिसरों के वेतनों में अग्रिम वृद्धि**

1579. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी विभागों में सेक्शन आफिसरों को कुछ खास अवस्थाओं पर अग्रिम वृद्धियां देने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क) जी, हां ।

(ख) दो अवस्थाओं पर सेक्शन आफिसरों को अग्रिम वृद्धियां देने का निर्णय किया है बशर्ते कि वे कुछ खास शर्तें पूरी करते हों और इसके लिये आवश्यक आदेश जारी किये जा रहे हैं ।

**Claims of Refugees from West Pakistan**

1580. **Shri Bagri** : Will the Minister of **Rehabilitation** be pleased to state :

(*a*) the number and value of the claims submitted so far by the refugees coming from West Pakistan ;

(*b*) the number of claims so far settled ;

(*c*) the number of claims outstanding ; and

(*d*) the time by which these would be settled ?

**The Minister of Rehabilitation (Shri Tyagi)** : (*a*) 4,65,000 claims were registered. No statistics regarding amount claimed were maintained. Out of these 3,90,000 claims were verified and accepted their assessed value was about Rs. 500 crores besides 8·65 lakh standard acres of agricultural land.

(*b*) and (*c*). After verification of claims, the displaced persons were required to file Compensation Application Forms. The total number of Compensation Applications and the Rehabilitation Grant Applications registered in various regions upto the 31st July, 1964 is 5,05,559. Out of these 5,03,226 cases have already been finalised. The number of cases which are still pending finalisation is 2,333.

(*d*) Within a period of about six months.

**आसाम के कालिजों के शिक्षकों का प्रतिनिधिमण्डल**

1581. **श्री हेम बरुआ** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में आसाम के समस्त कालिजों के शिक्षकों की संस्था की ओर से एक प्रतिनिधिमण्डल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

के सभापति से मिला और एक ज्ञापन पत्र दिया जिस में यह सुझाव दिया गया कि आसाम कालिजों के शिक्षकों को ऊंचे वेतन क्रम दिये जायें क्योंकि वहां पर अजीबोगरीब परिस्थितियां हैं; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला)** : (क) जी, हां ।

(ख) अभ्यावेदन को विचार के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की बैठक में रखा जायेगा जो 7 अक्तूबर, 1967 को होगी ।

**उत्तर प्रदेश में तकनीकी शिक्षा के राज्य बोर्ड के डिप्लोमे**

**1582. श्री राम हरख यादव :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विद्यार्थियों का क्या स्थान है जो उत्तर प्रदेश में आजम गढ़ और अन्य स्थानों पर पोलीटक्निक संस्थाओं की डिप्लोमा परीक्षाओं में उत्तीण होते हैं ?

(ख) क्या यह सच है कि संघ सरकार ने राज्य, बोड तकनीकी शिक्षा, उत्तर प्रदेश द्वारा सिविल, मकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इजीनियरिंग में की गई अन्तिम डिप्लोमा परीक्षाओं के उत्तीर्ण प्रमाणपत्रों को अस्थायी रूप से मान्यता दी है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला)** : (क) इजीनियरिंग में ओवरसीयर्स, पर्यवेक्षकों आदि जसे अधीनस्थ पदों और सेवाओं के लिये इन अभ्यर्थियों को अर्हताप्राप्त समझा जायेगा ।

(ख) जी, हां ।

(ग) पोलीटक्निकों के पूर्ण विकास होने और तकनीकी तथा व्यवसायी अर्हताओं के निर्धारण सम्बन्धी बोर्ड द्वारा उनके स्तरों का अनुमान लगाने के पश्चात् स्थायी मान्यता दी जायेगी ।

**समुद्र में चलने वाले छिद्रण बजरे**

**1583. श्री दे० जी० नायक :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस से अवगत है कि बर्मा शैल आयल कम्पनी के लिये ब्रिटन में गहरे जल में काम करने वाले समुद्रगामी छिद्रण बजरे बनाये जायेंगे; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार केम्बे और कछ की खाड़ी में तट दूर छिद्रण के कार्य के लिये इन बजरों को खरीदना चाहती है ?

**पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) इस समय इन्हें खरीदने का विचार नहीं है ।

## दिल्ली स्कूल के शिक्षकों के लिये पेंशन

1584. **श्री योगेन्द्र झा :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच दिल्ली में सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के अध्यापकों के लिये पेंशन योजना चालू कर दी गई है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या योजना का विस्तार करने का विचार है ;

(ग) उक्त योजना की क्रियान्विति से किन कठिनाइयों का अनुभव हुआ है ;

(घ) क्या उक्त योजना के अन्तर्गत अध्यापकों की सेवानिवृत्त आयु को बढ़ाने के प्रश्न पर भी विचार किया गया था; और

(ङ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

**शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) :** (क) से (ग) सरकार संघ राज्य क्षत्रों के सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के अध्यापकों के लिये एक सेवानिवृत्त लाभ योजना (जिसमें पेंशन का प्रश्न भी शामिल हैं ) लागू करने के एक प्रस्ताव पर विचार कर रही हैं।

(घ) और (ङ) प्रश्न इस अवस्था में नहीं उठते ।

## आसाम पाकिस्तान सीमा के साथ साथ गैरआबाद पट्टी

1585. **श्रीमती रेणुका बड़कट की :**
**श्री प्र० चं० बरुआ :**
**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
**श्रीमती सावित्री निगम :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आसाम पाकिस्तान सीमा के साथ साथ एक मील चौड़ी गैरआबाद पट्टी बनाने के प्रस्ताव को स्वीकार किया था; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को क्रियान्वित करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) :** (क) और और (ख) मामले पर आसाम सरकार के परामर्श से विचार किया जा रहा है।

## कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति

1586. **श्री विश्राम प्रसाद :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड की कुल सदस्य-संख्या कितनी है और इस समिति ने अब तक कितने शेयर बेचे हैं;

(ख) निदेशक-बोर्ड के सदस्य कौन-कौन हैं और यह बोर्ड कब बनाया गया था;

(ग) सरकार ने इस समिति को कितनी राजसहायता दी है;

(घ) गोल मार्केट क्षेत्र में इस समिति का शाखा भंडार न खोलने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस समिति की वार्षिक सामान्य बैठक न बुलाने के क्या कारण हैं ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क) 21 सितम्बर, 1964 को लगभग 32,400 कर्मचारियों को सदस्य बनाया जा चुका है। बेचे गये शेयरों की संख्या लगभग 40,000 है।

(ख) पहला निदेशक-बोर्ड जून, 1963 में बनाया गया था। इसका गठन निम्न प्रकार है :

| | |
|---|---|
| 1. श्री वी० विश्वनाथन (भूतपूर्व सचिव, गृह-कार्य मंत्रालय) | सभापति |
| 2. श्री धर्मवीर (मुख्यायुक्त, दिल्ली प्रशासन) | सदस्य |
| 3. श्री एस० रंगानाथन (सचिव, उद्योग मंत्रालय) | ,, |
| 4. श्री वी० टी० दहेजिया (सचिव, वित्त मंत्रालय) | ,, |
| 5. श्री वी० शंकर (सचिव, असैनिक उड्डयन मंत्रालय) | ,, |
| 6. श्री डी० एस० जोशी (सचिव, वाणिज्य मंत्रालय) | ,, |
| 7. श्री बी० एन० लोकुर (सचिव, विधि मंत्रालय) | ,, |
| 8. श्री एम० ए० कादिर (अतिरिक्त सदस्य, रेलवे बोर्ड) | ,, |
| 9. श्री फतेह सिंह (संयुक्त सचिव, गृह-कार्य मंत्रालय) | ,, |
| 10. श्री जी० ए० रामरखियानी (मुख्य कल्याण अधिकारी, गृह-कार्य मंत्रालय) | ,, |
| 11. श्री पी० लाल (उप-सचिव, रेलवे मंत्रालय) | ,, |
| 12. श्री एस० सुन्द्रेसन (उप-सचिव, वित्त मंत्रालय) | ,, |
| 13. श्री आर० पी० कौशिक (अवर सचिव, लोक-सभा सचिवालय) | ,, |
| 14. श्री एन० एल० गुप्ता (सेक्शन आफिसर और वरिष्ठ कर्मचारी परिषद् के सदस्य, प्रतिरक्षा मंत्रालय) | ,, |
| 15. श्री पी० सी० सेठ [असिस्टेंट, वित्त मंत्रालय (प्रतिरक्षा) और अध्यक्ष, सरोजिनी नगर निवासी संघ] | ,, |
| 16. श्री आर० पी० डबराल (सदस्य कनिष्ट कर्मचारी परिषद्, वित्त मंत्रालय) | ,, |
| 17. श्री ओ० टी० जे० जकारियास (आफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, गृह-कार्य मंत्रालय) | ,, |

(ग) सरकार ने समिति के वरिष्ठ कर्मचारियों पर व्यय के लिये अभी तक राज-सहायता के रूप में 92,451 रुपये मंजूर किये हैं।

(घ) समिति ने रामकृष्णपुरम्, श्रीनिवासपुरी, मोती बाग, किदवाई नगर आदि जैसी दूरवर्ती बस्तियों में रहने वाले सदस्यों को आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी और पहले इन हीं बस्तियों में शाखायें खोलीं। क्योंकि गोल मार्केट क्षेत्र रायसीना रोड स्थित भंडार के निकट है, यहां पर रहने वाले सदस्य इस भंडार से समान ले सकते हैं। तथापि, यथा समय, गोल मार्केट क्षेत्र में एक शाखा भंडार खोला जायेगा।

(ङ) समिति समिति के उप-नियमों के अनुसार यथा समय वार्षिक सामान्य बैठक बुलायेगी।

**uilding Grant to Higher Secondary Schools**

1587. **Shri Prakash Vir Shastri :** Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Punjab Education Code, as applicable to Delhi, provides for the sanction of non-recurring grants to privately managed Higher Secondary Schools for the construction of buildings, purchase of furniture, equipment etc. ;

(b) if so, the authority in Delhi which has been entrusted with the responsibility for the sanctioning of such non-recurring grants; and

(c) whether any privately managed recognised and aided Higher Secoddary School has been refused such grants and, if so, the reasons therefor ?

**The Minister of Education (Shri M.C. Chagla) :** (a) to (c). The requisite information is being collected and will be laid on the table of the Sabha in due course.

**रोगाणु नाशक औषधि संयंत्र, ऋषिकेश**

1588. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऋषिकेश के रोगाणुनाशक औषधि संयंत्र के लिये मशीनें और उपकरण आ गये हैं;

(ग) यदि हां, उत्पादन कब से आरम्भ होगा; और

(ग) संयत्र की लागत क्या है और यह संयंत्र किस के सहयोग से लगाया जा रहा है ?

**पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन) :** (क) ऋषिकेश में रोगाणुनाशक औषधि संयंत्र के लिये अधिकांश मशीनों और उपकरणों के लिये क्रयादेश दे दिये गये हैं। इसका एक भाग वहां पहुंच गया है और बाकी ठेके के मुताबिक पहुंच जायेंगे।

(ख) इस संयंत्र को वर्ष 1966 के मध्य में परीक्षणात्मक उत्पादन के लिये चालू किया जायेगा।

(ग) इसको रूसी सहयोग से स्थापित किया जा रहा है और अनुमानित लागत (स्थान को छोड़कर) लगभग 18.70 करोड़ रुपये है।

**भूतपूर्व हैदराबाद राज्य सेवा कर्मचारी**

1589. **डा० मेलकोटे :**
**श्री हेडा :**
**श्री हनुमन्त राव :**
**श्री गुलशन :**

क्या **गृह-कार्य**मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने भूतपूर्व हैदरावाद राज्य के आन्ध्र राज्य में विलय के पूर्व

भूतपूर्व हैदराबाद राज्य के सेवा कर्मचारियों को एक आश्वासन दिया था कि सेवाओं के एकीकरण और पदों की समानता के बारे में उनके साथ उचित व्यवहार किया जायेगा; और

(ख) इस बारे में अब तक कितनी प्रगति की गयी है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) :** (क) राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार को राज्यों के एकीकरण से प्रभावित सभी सेवा कर्मचारियों को उचित और समान व्यवहार सुनिश्चित करना होता है ।

(ख) सम्बन्धित कर्मचारियों से प्राप्त 868 अभ्यावेदनों में से 15 सितम्बर, 1964 तक 755 मामलों में आदेश जारी किये गये ।

**सेवाओं का एकीकरण**

1590. **डा० मेलकोटे :**
**श्री हेडा :**
**श्री हनुमन्त राव :**
**श्री गुलशन :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गजेटेड इंजीनियरिंग कर्मचारियों की सेवाओं के एकीकरण और पदों की समानता के सम्बन्ध में 1962 के डब्ल्यू० पी० संख्या 1187 में आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय की एक प्रति प्राप्त हो गयी है;

(ख) क्या सरकार को तलंगाना क्षेत्र के विपरीत रूप से प्रभावित इंजीनियरों से भी अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्रवाई की गयी है अथवा की जायेगी ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) :** (क) जी, हां ।

(ख) कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ।

(ग) अभ्यावेदन और उच्च न्यायालय के निर्णय की एक प्रति विचार और विमर्श के लिये केन्द्रीय मंत्रणा समिति को भेज दी गयी है । समिति की सिफारिशें प्राप्त हो जाने पर अन्तिम आदेश दिये जायेंगे ।

**भूतपूर्व हैदराबाद राज्य के गैर-राजपत्रित इंजीनियर**

1591. **श्री हेडा :**
**डा० मेलकोटे :**
**श्री हनुमन्त राव :**
**श्री गुलशन :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र सरकार ने 1963 तक राज्य पुनर्गठन अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत

भूतपूर्व हैदराबाद राज्य और आन्ध्र क्षेत्र के गैर-गजेटेड इंजीनियरों की एक सामान्य श्रेणी सूची नहीं बनायी;

(ख) क्या यह सूची अप्रैल, 1964 तक प्रकाशित नहीं की गयी और इंजीनियरों की इस सूची में उनकी अन्तर्वर्ती स्थिति देखे बिना ही तदर्थ पदोन्नति की गयी;

(ग) क्या आन्ध्र सरकार ने इस सूची के प्रकाशन से पूर्व इंजीनियरों की तदर्थ पदोन्नति में अभी तक परिवर्तन नहीं किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में केन्द्रीय सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी)** : (क) सूची अप्रैल, 1963 में बनायी गयी थी ।

**(ख)** अस्थायी सामान्य श्रेणी सूची अप्रैल, 1964 में प्रकाशित की गयी थी और इतने समय में अस्थायी तौर पर पदोन्नतियां की गयीं ।

(ग) और (घ). अस्थायी पदोन्नतियों में भारत सरकार के आदेशों के अनुसार, अस्थायी श्रेणी सूची के विरुद्ध कर्मचारियों से अभ्यावेदन प्राप्त होने के बाद राज्य मंत्रणा समिति के परामर्श से, परिवर्तन किया जायेगा ।

**दिल्ली के स्कूलों के अध्यापकों की सेवा-निवृत्ति आयु**

1592. **श्री कजरोलकर** : क्या शिक्षा मंत्री 22 अप्रैल, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2400 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापकों के सेवा निवृत्ति-वयस 63 वर्ष है;

(ख) क्या यह भी सच है कि राजधानी शिक्षक संघ, दिल्ली राज्य से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, जिसमें दिल्ली में गैर-सरकारी स्कूलों में अध्यापकों की सेवानिवृत्ति-वयस 60 वर्ष से बढ़ा कर 63 वर्ष करने की मांग की गयी है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

**शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, हां । अन्य लोगों से भी ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ।

(ग) मामला विचाराधीन है ।

**केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी भंडार के ट्रक की चोरी**

1593. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
**श्री प्र० चं० बरुआ :**
**श्रीमती सावित्री निगम :**

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि क्या उनके मंत्रालय के तत्वावधान में चलाये जा रहे केन्द्रीय

सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी भंडार का एक ट्रक अगस्त, 1964 के चौथे सप्ताह से गायब है ;

(ख) यदि हां, तो यह ट्रक किन परिस्थितियों में खोया गया है ;

(ग) ट्रक की लागत कितनी है; और

(घ) इसका पता लगाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क) और (ख). जी, हां । यह ट्रक सदैव की भांति रायसीना रोड स्थित भंडार के सामने खड़ा किया गया था और 23 अगस्त, 1964 की रात्रि को यह चोरी हो गया ।

(ग) ट्रक की लागत 41,221 रुपये है और यह पूरी कीमत के लिये बीमाशुदा है ।

(घ) फौरन ही इस मामले की पुलिस में रिपोर्ट की गई और वे इसकी जांच कर रहे हैं ।

## डाक द्वारा शिक्षा पाठ्यक्रम

1594. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्नातकोत्तर अध्ययन के लिये कोई डाक द्वारा शिक्षा पाठ्यक्रम लागू किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) किन विश्वविद्यालयों में ?

**शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला)** : (क) इस समय डाक द्वारा स्नातकोत्तर शिक्षा पाठ्यक्रम लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

## Governors

**1595. Shri Sidheshwar Prasad :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state the number of those present Governors whose tenure of office has been extended and the period for which it has been extended ?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi) :** Two Governors have been requested to continue in office after the expiry of their term till their successors are appointed.

## केरल में भ्रष्टाचार के मामले

1596. **श्री ग्र० व० राघवन :**
**श्री पोट्टेकाट्ट :**

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल सरकार के समक्ष पिछले चार वर्षों से भ्रष्टाचार के कितने मामले लम्बित पड़े हैं; और

(ख) इतने समय से लम्बित मामलों को शीघ्र निपटाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी)** : (क) वर्ष 1960 से 1963 तक की अवधि में इन मामलों की संख्या 184 है जिसमें से 113 याचिकायें हैं ।

(ख) भ्रष्टाचार के मामलों की शीघ्र जांच करने के लिये पुलिस की X शाखा के सभी पदों को, पुलिस के सहायक अधीक्षक से लेकर नीचे तक सुदृढ़ कर दिया गया है । पुलिस की उस शाखा में एक पुलिस अधीक्षक है जिनकी जिला स्तर पर पुलिस के उप-अधीक्षक द्वारा सहायता की जाती है ।

भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के अन्तर्गत अनुशासनात्मक और आपराधिक मामले में कार्यवाही करने के लिये एक जांच आयुक्त और विशेष न्यायाधीश भी नियुक्त किया गया है, जिसको गवाहों को उपस्थित होने के लिये विवश करने और साक्ष्य देने के अधिकार दिये गये हैं ।

**केरल के शिक्षा विभाग का पुनर्गठन**

1597. **श्री अ० व० राघवन :**
**श्री पोट्टेकाट्ट :**

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में शिक्षा विभाग का पुनर्गठन करने के लिये नियुक्त विशेषाधिकारी ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी सिफारिशों को क्रियान्वित किया गया है ?

**शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला)**: (क) केरल सरकार ने मंत्रालय को सूचित किया है कि उन्होंने एक अन्तरिम और एक अन्तिम प्रतिवेदन दे दिया है ।

(ख) केरल सरकार ने प्रतिवेदन में निहित कुछ सिफारिशों को स्वीकार करते हुए आदेश जारी कर दिये हैं । कुछ अन्य सिफारिशें सिद्धान्ततः मान ली गयी हैं और इनको चतुर्थ पंच-वर्षीय योजना में शामिल किया जायेगा । बाकी बातें राज्य सरकार के विचाराधीन हैं ।

**Scientific Terminology**

**1598. Shri Hukam Chand Kachhavaiya :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the number of expert committees constituted to evolve scientific terminology in the Central Hindi Directorate in 1963 and 1964 ;

(b) the subjects with which they were connected; and

(c) the names of members in those committees subject-wise?

**The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan)** : (a) to (c) . A statement is attached. [*Placed in Library See No. L.T.*-3289/64].

## Mobile Exhibition of Books

**1599. Shri Hukam Chand Kachhavaiya :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether the Central Hindi Directorate has recently organised a mobile exhibition of books ;

(b) if so, the names of towns where this exhibition would be taken to; and

(c) the estimated expenditure to be incurred on it ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan) :** (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

## हिन्दी संस्थाओं को सहायता

**1600. श्री हुक्म चन्द कछवाय :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1963-64 में विभिन्न हिन्दी संस्थाओं को कुल कितनी सहायता और अनुदान दिया गया और इन संस्थाओं के क्या नाम हैं ?

**शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) :** एक विवरण संलग्न है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3290/64]

## Prisoners in Delhi

**1601. Shri Hukam Chand Kachhavaiya :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state;

(a) whether it is a fact that prisoners in Delhi Central Jail quarrelled among themselves recently resulting in serious dagger injuries to one prisoner;

(b) if so, from there the prisoner got the dagger and the causes of the quarrel ; and

(c) whether any enquiry was conducted and if so, the result thereof ?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs : (Shri Hathi) :** (a) Yes. The injuries were not inflicted with a dagger.

(b) The three prisoners who quarrelled on 3-9-1964 belonged to two factions having long-standing enmity between them.

What was used in the quarrel was not a dagger but a piece of iron about 5 inches in length which had been sharpened on both the sides and covered by a piece of cloth tied to one end. It is not too difficult to procure such a piece of iron inside the jail where a number of industries are functioning.

(c) The matter was reported to the police that very day. A case under Section 307 read with Section 34 I.P.C. has been registered and the weapon of offence has also been recovered The case is under investigation by the police.

## दिल्ली में मकानों के प्लाट

1602. **श्री मोहन नायक** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकार मध्यम और निम्न श्रेणी के लोगों के लिये विकसित बस्तियों में मकानों के प्लाट लॉट के आधार पर बेच रहा है;

(ख) क्या यह सच है 15 प्रतिशत प्लाट अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों के लिये रक्षित रखे गये हैं;

(ग) यदि हां, तो रक्षित प्लाटों के लॉट निकालने का क्या तरीका है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क) दिल्ली विकास प्राधिकार केवल कम आयु वाले व्यक्तियों को अर्थात् जिनकी वार्षिक आमदनी 6,000 रु० से अधिक नहीं है, रिहायशी विकसित प्लाट लॉट के तरीके से बेचता रहा है ।

(ख) जी हां । केवल ऊपर (क) में जिक्र किये गये प्लाटों में से ।

(ग) यदि रक्षित प्लाटों से आवेदकों की संख्या अधिक होती है तो पहले अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों से प्राप्त हुए आवेदन पत्रों के सम्बन्ध में पृथक् लॉट निकाले जाते हैं । जो व्यक्ति रक्षित कोटे में प्लाट लेने में असफल रहते हैं उन्हें सामान्य 'ड्रा' में शामिल कर लिया जाता है जहां उन्हें अन्य आवेदकों के साथ अवसर मिलता है । तथापि, यदि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों से प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या उनके लिये रक्षित प्लाटों की संख्या से कम होती है तो सभी आवेदकों को एक प्लाट मिल जाता है और लॉट केवल इसलिये निकाला जाता है कि किस आवेदक को कौनसा प्लाट मिलेगा ।

## दास आयोग का प्रतिवेदन

1603. **श्री हरि विष्णु कामत :**
**श्री यशपाल सिंह :**
**श्री बूटा सिंह :**
**श्री ही० ना० मुकर्जी :**
**श्री रंगा :**
**श्री अल्वारेस :**

क्या गृह-कार्य मंत्री दास आयोग के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में 9 सितम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 63 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेष अधिकारी का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी)**: (क) और (ख). कुछ मामलों में विशेष कार्य अधिकारी ने अपना प्रतिवेदन पंजाब के मुख्य मंत्री को दे दिया है और ऐसा समझा जाता है कि पंजाब सरकार द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

## केन्द्रीय सचिवालय सेवा के श्रेणी एक के पद

1604. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **गृहकार्य** मंत्री 27 मई, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 47 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1955 में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सदस्यों के लिये डिप्टी सेक्रेट्री और इससे ऊपर के पदों के लिये 45 पद मंजूर किये गये थे और केन्द्रीय सचिवालय के ढांचे में काफी विस्तार के बावजूद भी इस संख्या में कोई वृद्धि नहीं की गई है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सचिवालय में विस्तार को और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सभी संगठित सेवाओं की कनिष्ठ और वरिष्ठ श्रेणियों में स्थायी पद एक बड़ी संख्या में होते हैं सरकार केन्द्रीय सचिवालय सेवा के "सिलेक्शन ग्रेड" की संख्या का पुनर्विलोकन करने के लिये क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र):** (क) केन्द्रीय सचिवालय सेवा में 45 स्थायी पदों की व्यवस्था की गई है और 1955 से अब तक इस संस्था में कोई वृद्धि नहीं हुई है ।

(ख) 1955 के लिये संख्या सरलता से उपलब्ध नहीं है । 1958 में डिप्टी सेक्रेट्रियों की संख्या 207 थी जब कि अब यह संख्या 219 है । यह नहीं कहा जा सकता कि उस स्तर पर बड़ा विस्तार हुआ है । प्रत्येक सेवा में स्थायी पदों की संख्या उस सेवा की प्रशासनिक आवश्यकताओं पर निर्भर करती है ।

## पूर्वोत्तर भारत के लिये विश्वविद्यालय

1605. **श्री दी० च० शर्मा :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

('क) क्या भारत के पूर्वोत्तर प्रदेश के लिये विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रश्न की जांच करने के लिये शिक्षा मंत्रालय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नियुक्त समिति ने शिलांग के पास एक संघीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की सिफारिश की है ;

(ख) क्या सिफारिश पर विचार कर लिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

**शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) :** (क) जी हां ।

(ख) और (ग) समिति की सिफारिश विचाराधीन हैं ।

## तूतीकोरिन में तेल शोधक कारखाना

1606. **श्री मुथिया :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास मद्रास राज्य में तूतीकोरिन में एक तेलशोधक कारखाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) क्या इस मामले में विदेशी सहायता मिलने की कोई संभावना है ?

**पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) :** (क) जी हां ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

## उर्वरक संयंत्र, तूतीकोरिन

1607. **श्री मुथिया :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मद्रास राज्य में तूतीकोरिन में सरकारी क्षेत्र में एक उर्वरक संयंत्र स्थापित करना चाहती है क्योंकि मेसर्स कोठारी एंड संज ने लाइसेंस वापस कर दिया है ;

(ख) क्या संयंत्र तीसरी योजना में स्थापित किया जायेगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या योजना को चौथी योजना में शामिल किया जायेगा ?

**पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन) :** (क) से (ग). अमरीकन कम्पनियों का एक दल 10 लाख मीट्रिक टन नाइट्रोजन के उत्पादन और वितरण के सम्बन्ध में जांच कर रहा है। यह जांच दिसम्बर, 1964 के अन्त तक पूरी हो जायेगी। दल के प्रतिवेदन के मिलने के पश्चात् ही स्थिति स्पष्ट होगी।

## दिल्ली में आपराधिक जांच सम्बन्धी प्रयोगशाला

1608. **श्री बृजराज सिंह कोटा :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में एक आपराधिक जांच सम्बन्धी प्रयोगशाला स्थापित की जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

**गृह--कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) :** (क) जी हां।

(ख) प्रस्तावित प्रयोगशाला में जीव-विज्ञान, भौतिक और रसायन विभाग होंगे और ये सब एक अर्हताप्राप्त डाक्टर के अधीन होंगे।

## मिश्रित वक्फ सम्पत्ति

1611. **श्री लहरी सिंह :** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभिरक्षक, निष्क्रान्त सम्पत्ति द्वारा अब तक कुल कितने मूल्य की मिश्रित वक्फ सम्पत्ति हस्तांतरित की गई है ; और

(ख) क्या इन सम्पत्तियों के निष्क्रांत अंशों को फिर से ग्रहण किया जायेगा और पहले की तरह उनका किराया उगाहया जायेगा और इस प्रयोजन के लिये इकट्ठी की गयी निधि में जमा किया जायेगा ?

**पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी) :** (क) और (ख). यह प्रश्न शायद वक्फ-अलाल-औलाद से सम्बन्ध रखता है। ये सम्पत्तियां भी अभिरक्षक में निहित हैं। ये वक्फ प्राथमिक रूप से वकिफ के वंशजों के लाभ के लिये हैं परन्तु उनमें धर्मार्थ के लिये भी उपबन्ध हैं और अन्त में ईश्वर को समर्पित हैं। इन सम्पत्तियों को मुआवजा अधिनियम के अन्तर्गत अर्जित नहीं किया जा सकता क्योंकि इनमें धर्मार्थ और गैर-निष्क्रान्त हिताधिकारियों के हित हैं। इसलिये इन सम्पत्तियों में निष्क्रांत हिताधिकारियों के हित को गैर-निष्क्रांत हिताधिकारियों के पक्ष में छोड़ देने का निर्णय किया गया था। अभिरक्षक द्वारा अब तक कुल कितने मूल्य की वक्फ सम्पत्ति हस्तांतरित की गई,

इसके सम्बन्ध में जानकारी देना संभव नहीं है, क्योंकि इन सम्पत्तियों के लिये अलग हिसाब नहीं रखा गया है। इसके अतिरिक्त यह जानकारी इतनी लाभप्रद नहीं है कि इसपर इतना समय और परिश्रम लगाया जाये।

### केन्द्रीय जोन परिषद की बैठक

1612. **श्री पें0 वेंकटासुब्बया :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भूपाल में केन्द्रीय जोन परिषद की बैठक हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो किन मुख्य विषयों पर चर्चा हुई ; और

(ग) क्या निर्णय किया गया ?

**गृह-कार्य मत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) :** (क) जी हां।

(ख) 19 सितम्बर, 1964 को भूपाल में हुई केन्द्रीय जोन परिषद की सातवीं बैठक में जिन मदों पर चर्चा की गई उनकी सूची संलग्न है। **(पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये सख्या एल० टी० 3291/64)**

(ग) जी, हां।

(घ) अन्तिम रूप से निर्णय करने के शीघ्र पश्चात् कार्यवाही की एक प्रति संसद पुस्तकालय में रख दी जायेगी।

### Editor in National Book Trust

1613. **Shri Yashpal Singh :**
**Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
**Shri Solanki :**
**Shri Brij Raj Singh :**
**Shri Raja Ram :**
**Shri Ramachandra Ulaka :**
**Shri Y.S. Chaudhary :**
**Shri Rameshwaranand :**
**Shri Wadiwa :**
**Shri Gauri Shankar Kakkar :**
**Shri Kashi Ram Gupta :**
**Shri S.M. Banerjee :**
**Shri Prakash Vir Shastri :**
**Dr. B.N. Singh :**
**Shri D. J. Naik :**
**Shri Bagri :**
**Shri P. H. Bheel :**

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the post of Editor in the National Book Trust was converted into the post of Production Manager and a new post of Editor in the grade of Rs. 720—1000 was created towards the end of 1962 ;

(b) whether it is also a fact that the Chairman Shri Keskar, had appointed Shri Suresh Chandra Asthana to that post ;

(c) whether it is also a fact that Shri Suresh Chandra Asthana resigned from the post in April, 1963 and if so, for what reasons ;

(d) whether it is also a fact that Shri Asthana was reappointed as Editor in the National Book Trust on the 7th June, 1963 on Rs. 750 p.m.; and

(e) if so, the reasons for not appointing some other qualified person to this post and keeping it vacant for Shri Asthana ?

**The Minister of Education (Shri M.C. Chagla) :** (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) Yes, Sir. According to his letter of resignation, Shri Asthana resigned for "purely personal reasons".

(d) Yes, Sir.

(e) Shri Asthana resigned on 25th April 1963 and was reappointed to the post on 7th June 1963 on a temporary basis. The interval was too short for the post to be filled by another person. The post was, however, advertised in the meantime and filled on a long term basis in July 1963 on the recommendation of a Selection Committee duly appointed for the purspose.

**पंजाब का प्रादेशिक सूत्र**

1614. **श्री कपूर सिंह :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में पंजाब सरकार ने हिदायतें दी हैं कि पंजाबी प्रदेश में ज़िलों के स्तर पर भी पंजाबी को अनन्य सरकारी भाषा समझने की जरूरत नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो ये हिदायतें प्रादेशिक सूत्र से कहां तक मेल खाती हैं ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) :** (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**पश्चिम पाकिस्तान के सूचना निदेशक की काश्मीर यात्रा**

1615. **श्री हरि विष्णु कामत :**
**श्री यशपाल सिंह :**

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम पाकिस्तान के सूचना निदेशक श्री आगा अशरफ ने हाल ही में जम्मू तथा काश्मीर में लम्बी चौड़ी यात्रा की ; और

(ख) यदि हां, तो उनको ऐसा करने की अनुमति देने के क्या कारण थे ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) :** जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**स्वास्थ्य मंत्री पर मुकदमा चलाने की आज्ञा देने से इन्कार करना**

1616. **श्री यशपाल सिंह :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 16 सितम्बर , 1964 को समाचारपत्रों में प्रकाशित यह समाचार सच है कि

नई दिल्ली नगर पालिका समिति के प्रधान को स्वास्थ्य मंत्री पर मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो अनुमति न देने का क्या कारण था; और

(ग) समिति के प्रधान किन आरोपों का खंडन करना चाहते थे ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)** (क) से (ग). भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी और नई दिल्ली नगर पालिका समिति के प्रधान श्री गजराज सिंह, अखिल भारतीय सेवाओं (आचरण) के नियम, 1954 के नियम 16 के अन्तर्गत, स्वास्थ्य मंत्री द्वारा एक बैठक में कथित कुछ टिप्पणियों के सम्बन्ध में, कानूनी उपचार के लिये सरकार की अनुमति चाहते थे। श्री गजराज सिंह से इस मामले को दबाने के लिये कहा गया और वह राजी हो गये हैं।

**इण्डियन आयल कम्पनी के पेट्रोल पम्प**

1616-क. **श्री दे० द० पुरी :**
**श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इन्डियन आयल कम्पनी द्वारा दिल्ली और नई दिल्ली में गैर सरकारी पार्टियों को पेट्रोल पम्प देने के सम्बन्ध में क्या कसौटी अपनाई जाती है ?

**पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबिर)** : पेट्रोल पम्प के व्यापारियों के चुनने सम्बन्ध में इन बातों का ख्याल रखा जाता है : वित्तीय समांगता, वाणिज्यिक सम्पर्क तथा बिक्री बढ़ाने की योग्यता।

**Residence of Former Prime Minister**

1616—B **Shri Prakash Vir Shastri :** Will the Minister of **Education** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 149 on the 14th September, 1964 and state :

(a) the total area of residence of former Prime Minister, late Shri Nehru and the value of land at market rate;

(b) the area out of it covered by the building, cost of it on construction and its present value at market rate ;

(c) whether any scheme of extension of the building is being formulated by Government to make it a memorial to late Shri Nehru; and

(d) if so, the nature thereof ?

**The Minister of Education (Shri M.C. Chagla) :** (a) The total area of the land and its Book value are 44·74 acres and Rs. 39,660·00 respectively. Market value of the land has not been assessed.

(b) The covered area and its cost of construction as per Book value are 25009 sq. ft. and Rs. 4,42,315·00 respectively. Market value has not been assessed.

(c) No scheme of extension of building is being formulated by Government at present.

(d) Does not arise.

---

# निधन सम्बन्धी उल्लेख

## Obituary Reference

**अध्यक्ष महोदय** : मुझे सभा को दुखद सूचना देनी है कि श्री एन० शिवराज का 29 सितम्बर, 1964 को नई दिल्ली में देहावसान हो गया। वह केन्द्रीय विधान सभा और इसी लोक सभा के सदस्य रह चुके थे।

अब सभा शोक व्यक्त करने के लिये थोड़े समय के लिए मौन खड़ी रहे।

**इसके पश्चात् सदस्य कुछ समय तक मौन खड़े रहे।**

**The members then stood in silence for a shortwhile.**

---

# सभा पटल पर रखे गये पत्र

## Papers Laid on be Table

### केरल के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश

**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)** मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं : --

(1) केरल राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 10 सितम्बर, 1964 की उद्घोषणा के खंड (ग) (4) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 213(2)(क) के अधीन केरल के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित निम्नलिखित अध्यादेशों की एक-एक प्रति :--

(एक) 14 मई, 1964 को प्रख्यापित किया गया आबकारी विधियां (संशोधन और मान्यकरण) आर्डिनेन्स, 1964 (1964 का केरल आर्डिनेन्स संख्या 2)

**[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 3280/64]**

(दो) 6 जून, 1964 को प्रख्यापित किया गया राजस्व वसूली विधियां (संशोधन) आर्डिनेन्स, 1964 (1964 का केरल आर्डिनेन्स संख्या 3)।

**[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 3281/64]**

### की गयी कार्यवाही सम्बन्धी प्रतिवेदनों के अध्याय 5 में सम्मिलित प्राक्कलन समिति की सिफारिशों के उत्तर

**श्री अ० चं० गुह** (बारसाट) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :--

(2) की गई कार्यवाही सम्बन्धी रिपोर्टों के अध्याय 5 में सम्मिलित प्राक्कलन समिति की सिफारिशों के उत्तर, जो सम्बन्धित रिपोर्टों में शामिल करने के लिए सरकार द्वारा समय पर नहीं भेजे गये थे, बताने वाले निम्नलिखित चार विवरण :--

(एक) प्राक्कलन समिति (तीसरी लोक सभा) की 39वीं रिपोर्ट के 5वें अध्याय में सम्मिलित सिफारिशों के उत्तर दर्शाने वाला विवरण।

**[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 3282/64]**

(दो) प्राक्कलन समिति (तीसरी लोक-सभा) की 38वीं रिपोर्ट के 5वें अध्याय में सम्मिलित सिफारिशों के उत्तर दर्शाने वाला विवरण ।

**[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 3283/64]**

(तीन) प्राक्कलन समिति (तीसरी लोक-सभा) की 61वीं रिपोर्ट के 5वें अध्याय में सम्मिलित सिफारिशों के उत्तर दर्शाने वाला विवरण ।

**[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 3284/64]**

(चार) प्राक्कलन समिति (तीसरी लोक-सभा) की 57वीं रिपोर्ट के 5वें अध्याय में सम्मिलित सिफारिशों के उत्तर दर्शाने वाला विवरण ।

**[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 3285/64]**

---

## राज्य सभा से सन्देश

## MESSAGES FROM RAJYA SABHA

**सचिव :** मुझे सचिव, राज्य सभा, से निम्नलिखित सन्देश प्राप्त हुए हैं :—

(एक) कि राज्य सभा अपनी 28 सितम्बर, 1964 की बैठक में लोक-सभा द्वारा 6 मई, 1964 को पास किये गये वक्फ (संशोधन) विधेयक, 1964 से बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई ।

(दो) कि राज्य सभा अपनी 28 सितम्बर, 1964 की बैठक में लोक-सभा द्वारा 21 सितम्बर, 1964 को पास किये गये कम्पनीज़ (संशोधन) विधेयक, 1964 से बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई ।

(तीन) कि राज्य सभा को लोक-सभा द्वारा 22 सितम्बरे, 1964 को पास किए गये विधि मान्य निविदा (अन्तर्लिखित नोट) विधेयक, 1964 के बारे में लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है ।

---

## गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

## COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

### उनचासवां प्रतिवेदन

**श्री कृष्णमूर्ति राव** (शिमोगा) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का उनचासवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

---

## ताराँकित प्रश्न संख्या 1240 के उत्तर में शुद्धि

## CORRECTION OF ANSWER TO STARRED QUESTION NO. 1240

**शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला)**: श्री बासप्पा द्वारा पूछे गये एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में मैंने कहा था कि केन्द्रीय संस्थाओं में 100 उम्मीदवारों को स्नातक अध्ययनों के लिये और 25 को डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिये और दाखिला देना है। उसके लिये स्नातक होना आवश्यक है। परन्तु वस्तुस्थिति यह है कि योजना के मसौदे के अनुसार प्रत्येक प्रोदेशिक संस्था में लगभग 100 उम्मीदवारों को प्रति वर्ष दाखिला मिलेगा जिन में से 25 स्नातक होंगे और 75 डिप्लोमा वाले। स्नातकों और डिप्लोमाधारियों में अनुपात प्रत्येक संस्था में स्थानीय स्थितियों के अनुकूल होगा।

---

## सदस्य के साथ कथित दुर्व्यवहार के बारे में वक्तव्य

## STATEMENT RE: ALLEGED ILL-TREATMENT OF A MEMBER

**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)**: राज्य सरकार से सूचना मांगने पर हमें पता चला है कि श्री प्रिय गुप्त, संसद सदस्य के साथ पूर्निया जेल में कभी दुर्व्यवहार नहीं किया गया। इस विषय में ज़िला दण्डाधीश के साथ शिकायत भी नहीं की गयी। वास्तव में 22 सितम्बर, 1964 को जिला दण्डाधीश पूर्निया जेल में गये और श्री प्रिय गुप्त से पूछा कि क्या वह आराम से हैं। उस समय श्री प्रिय गुप्त ने दुर्व्यवहार के बारे में शिकायत नहीं की।

**श्री हेम बरुआ** (गोहाटी) : यह शिकायत है कि श्री प्रिय गुप्त को बिना अनुमति के पूर्निया जेल से किसी अन्य जेल में भेज दिया गया था। चूंकि उस जेल में उन्हें लेने से वहां के अधिकारियों ने इन्कार कर दिया था इसलिये उन्हें वापिस पूर्निया जेल में भेज दिया गया। परन्तु पूर्निया जेल में भी उन्हें वापिस लेने को वह तैयार नहीं हुए। तब श्री प्रिय गुप्त को काफी देर धूप में खड़ा रहना पड़ा। क्या इस बारे में जांच की गई है ?

**श्री ल० ना० मिश्र** : ऐसी बात नहीं हुई है। उन्हें कटिहार में गिरफ्तार किया गया था। बाद में उन्हें पूर्निया भेज दिया गया जहां जिला जेल है।

**श्री स० मो० बनर्जी**(कानपुर) : क्या केन्द्रीय सरकार ने अपने किसी अभिकरण द्वारा यह जांच कराई है या जिला दण्डाधीश द्वारा राज्य सरकार को दी गयी सूचना के आधार पर ही वह कह रहे हैं ?

**श्री ल ०ना० मिश्र** : राज्य सरकार भी हमारा ही एक अभिकरण है। श्री प्रिय गुप्त ने इस विषय में शिकायत नहीं की ।

**श्री हरिविष्णु कामत**(होशंगाबाद) : मुझे एक विश्वस्त सूत्र से पता चला है कि श्री प्रिय गुप्त के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। क्या सरकार इस बारे में एक स्वतन्त्र जांच करवाने के लिये तैयार है ?

**अध्यक्ष महोदय** : केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार के जरिये ही जांच करवा सकती है। उनके पास इसके अतिरिक्त अन्य क्या साधन है। यदि आपके पास कोई ठोस प्रमाण हो तो आप मुझे बतायें तो मैं गृह मंत्रालय को तथ्यों की जानकारी के लिये कहूंगा।

**Shri Bagri :** This kind of illtreatment with Members is an insult to the House itself. Has the Government ascertained that all the necessary facilities that ought to be given to an hon. Member while transferring him from one Jail to another were actually given to Shri Priya Gupta?

**Mr. Speaker :** This is a different question.

---

## प्रैस परिषद् विधेयक—जारी

## PRESS COUNCIL BILL—*Contd.*

**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा श्री चे० रा० पट्टाभिरामन द्वारा 29 सितम्बर, 1964 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार करेगी, अर्थात् :—

"कि यह सभा राज्य सभा द्वारा अपनी 15 सितम्बर, 1964 की बैठक में स्वीकार किये गये और 17 सितम्बर, 1964 को इस सभा को भेजे गये प्रस्ताव में की गई राज्य सभा की इस सिफारिश से कि यह सभा प्रैस की स्वतन्त्रता बनाये रखने और भारत में समाचारपत्रों का स्तर बनाये रखने और ऊंचा करने के प्रयोजन के लिये प्रैस परिषद् की स्थापना करने वाले बिल सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में सम्मिलित हो, सहमत है और संकल्प करती है कि उक्त संयुक्त समिति में काम करने के लिए लोक-सभा के निम्नलिखित 30 सदस्य मनोनीत किये जायें, अर्थात्

श्री अलवारेस, श्री च० का० भट्टाचार्य, श्री नि० चं० चटर्जी, श्री त्रिदिव कुमार चौधरी, श्री युद्धवीर सिंह चौधरी, श्री दास, श्री इलायापेरुमल, श्री अन्सार हरवानी, श्री कांबले, श्री केप्पन, श्री कपूर सिंह, श्री मे० क० कुमारन, श्री नि० रं० लास्कर, श्री शिवचरण माथुर, श्री मथुरा प्रसाद मिश्र, श्रीमती शारदा मुकर्जी, श्री मोहन नायक, श्री मानसिंह पृ० पटेल, श्री किशन पटनायक, श्री शिवराम रंगो राने, श्री साधु राम, श्री श्याम लाल सर्राफ, पंडित कृ० चं० शर्मा, श्री शशि रंजन, श्री विद्याचरण शुक्ल, डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी, श्री तुला राम, श्री बासप्पा, श्री वीरभद्र सिंह और श्री चे० रा० पट्टाभिरामन ।

**Shri Bade** (Khargone) : The Joint Committee should consider those provisions of the Bill which empower the administration to interfere. I think they should be removed. And also, the two members of Parliament should be elected ones and not nominated by the Speaker. I have seen that administration's interference in Press affairs brings in the element of politics and party pressurs and takes away the liberty of Press. Therefore, administration's interference ought to be minimised. Administrators should not be appointed for times of India and Bennet Coleman Company. Chairman ought to be elected by the Council rather than being nominated by the Chief justice of India.

The Joint Committee should go into the question of monopolistic tendencies in the press line. Newspapers should not be allowed to present news in whichever way they choose. I do not agree with the proposal of giving right to the Council to set up educational and training institutions. Freedom of Press should be maintained but a check should be maintained to see which type of news are published and also the way they are presented to the public.

**Shri A. N. Vidyalankar** (Hoshiarpur) : Broadly I support this Bill but I feel that the aims that have been enunciated are too high as campared to the powers that have been given to the Council. Either we should not pitch our objectives so high or administrative machinery should be made more effective. The powers of the Council should conform to its responsibilities.

The People of the press should be made to make available any piece of information to either the Council or the Chairman himself.

The Journalists and correspondents should be given protection against their employers so that they may mantain the freedom of Press. The freedom of press is being gradually restricted by the monopolistic tendencies. Monopolistic tendencies are also on the increase. Indian Express Groyanka group, Times of India—Bennet Coleman Group and Hindustan Times Group. These three groups control as many as 67 percent circulations. These monopolists publish news as they suit their ends. Editors, correspondents, etc. enjoy a little freedom of conscience in the matter of publication of news. The Council that is being set up will try to remove these tendencies. But for that purpose representation to the Council should be given to all the affected people and not to a few.

More attention should be paid to the mofussil and vernacular papers than to the metropolitan press. Mofussil papers are very much hard pressed due to non-availability of facilities and other factors. Hence their interests should be properly looked after.

I also feel that the Chairman of the Council should not be appointed by the Chief Justice of India and similarly the Speaker should not nominate the Members.

With these words I Support the Bill.

**श्री वारियर** (त्रिचूर) : प्रैस आयोग की सिफारिश पर प्रैस परिषद् स्थापित की जा रही है जो प्रैस की स्वतन्त्रता को कायम रखेगी और प्रैस के बारे में जो सुधार या नियंत्रण लाने की आवश्यकता होगी उन्हें लायेगी। इस परिषद् का मुख्य उद्देश्य प्रैस में एकाधिकार की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को रोकना होगा। यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण पहलू है। आज यह छिपी हुई बात नहीं है कि प्रैस में एकाधिकार बढ़ रहा है। और बड़े बड़े व्यापारी या उद्योगपति जो वह चाहें समाचारपत्रों में निकालते हैं और जो न चाहें उसे नहीं निकालते। अभी पता चला है कि इंडियन एक्सप्रेस टाईम्स आफ इंडिया को अपने साथ आत्मसात का रहा है। मुझे याद है कि पंडित नेहरू एक बार बम्बई में 2 घंटे तक बोलते रहे 3 लाख लोगों के बीच में परन्तु दूसरे दिन उस के बारे में वहां के किसी समाचार में खबर ही नहीं छपी। इसलिये यह प्रवृत्ति देश के लिये लोकतंत्र के लिये बहुत घातक है। वह लोग अपने अहित की खबर प्रकाशित ही नहीं करते हैं। परन्तु खेद का विषय है कि इस बारे में स्वयं सरकार ने स्पष्ट तौर पर नहीं कहा है कि वह एकाधिकार की प्रवृत्ति को हर प्रकार से रोकेंगे। सरकार को चाहिये कि वह दृढ़तापूर्वक घोषित करे कि वह इस एकाधिकार की प्रवृत्ति को हर तरह से रोकेंगे।

हम एकाधिकार के पूर्णतः विरुद्ध हैं। आज आप दैनिक समाचाप पत्रों को देखिये जो खुले आम जो राय देना चाहते हैं उसे देते हैं और जनता उसे पढ़ती है। वह लोग राष्ट्रीय

नीति के आधार भूत सिद्धान्तों से भी परिचित नहीं है। वह कई बार राष्ट्र विरोधी बातें कहते हैं।

सरकार को कोई कड़ा विधान सभा के सामने लाना चाहिये और प्रैस परिषद् को प्रैस उद्योग में एकाधिकारी प्रवृत्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिये कहा जाना चाहिये ताकि एक दिन वे सरकार पर ही काबिज न हो जायें। इन लोगों का सरकार की नीतियों में कोई विश्वास नहीं है। समाचारपत्रों में हमें अकसर सरकारी उपक्रमों आदि की असमर्थता के ही समाचार पढ़ने को मिलते हैं।

विधेयक में कुछ बातें ऐसी हैं जो प्रैस आयोग की सिफारिशों से मेल नहीं खाती हैं। संयुक्त समिति को इनकी अच्छी तरह जांच करनी चाहिये। विशेषकर खण्ड 4 और खण्ड 13 में पत्रकारों को संरक्षण प्रदान करने के लिये उचित संशोधन किया जाना चाहिये। पत्रकारों के लिये मैडिकल तथा विधि व्यवसाय की तरह की कोई आचार संहिता नहीं होनी चाहिये अन्यथा नये आदमी इस व्यवसाय को अपनाने में संकोच करेंगे।

प्रैस परिषद् में श्रमजीवी पत्रकारों को और अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाना चाहिये क्योंकि यह विधेयक मुख्यतः श्रमजीवी पत्रकारों से ही सम्बन्ध रखता है।

**Dr. Ram Manohar Lohia** (Farrukhabad) : Financially the newspapers may be under the control of the capitalists but from the point of view of their contents they have praise for the Government's policies, programmes and their line of thinking. So far as news are concerned, it is the monopoly of the Government and so far as proprietorship or profit from this industry is concerned it is the monopoly of the capitalists. Government to day has become the biggest news supplier to the newspapers and even at the District level, journalists are at the mercy of district officers. We have to break the monopoly both of the Government and the capitalists over the newspaper world. The capitalists should no longer be the owners of the papers so that from the point of view of profit and otherwise they will tend to run their papers honestly. My second suggestion is that the Government should not be given the right to appoint an administrator in the case of a newspaper company. Otherwise the views of the opposition would not find any place in the newspapers. The opposition should, therefore, be very careful about this matter. If the administrator is to be appointed, this office should go to any member from the opposition parties. Or the Press Council should be entrusted with this work.

The newspapers are in the habit of suppressing news which they do not like to publish. The news about the strike in Calcutta on 25th was under reported in the Indian press. Because the press did not want to give impetus to the agitations by the people. I had voiced my opposition to the Bill for increasing the salaries and allowances of Members of Parliament in the initial stages but news appeared in the press that I was loitering some where else as if I was happy about this whole affair in an attempt to degrade me in the eyes of the public.

A news had appeared about me in the press in a prominent way some time before that I would not be allowed to return alive for my tour of Bihar that time. The people had been prejudiced against me by the distorted news in the Indian Press about the interview that I gave to the Associated Press of Mississipi in U.S.A. about the former Prime Minister Shri Jawaharlal Nehru, which was not allowed to be published. I would like to urge that as a matter of

[Dr. Ram Manohar Lohia]

principle, no commemorative stamps and coins should be issued or no memorials should be erected until three hundred years elapse after the death of a person. People should be allowed to exercise their discretion about taking a decision about such things themselves. Therefore any thing should not be done in haste. This period would automatically decide whether a particular person was a man of history or whether his reputation survived only during his life time. Otherwise the generation after 30 or 40 years would bring our misdeeds into limelight. The Prime Minister, Shri Shastri, had issued a statement that jeeps would be withdrawn from the community block organisations. It was a wise step. But later on some Minister of the Government made it known that the jeeps could not be withdrawn because the panchayat councils had a major hand in the administration of those organisations. But this latter statement was not prominently displayed in the papers. The motive behind all this is to lure the people away with such pious intenions and not to act upon them in actual practice. Such moves will mar the initiative of the people and the nation will not be able to make any advancement in future.

The news lose much of their originality because of the use of a foreign language. We cannot get original news unless the telegraph service and the teleprinter service bid goodbye to the use of English and adopt Hindi or any regional language as their media. This is the responsibility of the Government and not the Press Council. This should be done without any delay.

**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : सरकार इस विषय को बहुत महत्व देती है इसीलिये 10 वर्ष के बाद यह विधेयक पुनः लाया गया है। लोकतंत्र में जनता तथा प्रैस को अपने अधिकारों का संयम से प्रयोग करना होता है । परन्तु यहां पर पत्रकारों तथा समाचारपत्र उद्योग ने इस बारे में संयम से काम नहीं लिया है । इसी को ध्यान में रखते हुए प्रैस आयोग नियुक्त किया गया था और उसकी एक महत्वपूर्ण सिफारिश यह थी कि राज्य प्रैस परिषद् स्थापित की जाये। यह नहीं है कि हमारे देश में समाचारपत्रों का स्तर ऊंचा नहीं है। फिर भी कभी कभी स्वीकृत मापदण्डों के उल्लंघन के मामले हो जाते हैं। इसलिये हमें इन चीजों को रोकने के लिये इस प्रकार की व्यवस्था करना जरूरी है। कुछ समाचारपत्रों में यह विचार व्यक्त किया गया है कि गलत तत्व इन नियमों का गलत अर्थ लगायेंगे परन्तु ऐसा सभी कानूनों के बारे में किया जा सकता है । कानूनों अथवा नियमों के बिना सभ्य लोग शांति से नहीं रह सकते हैं । अतः यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है कि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की स्वतन्त्रता पर हाथ न डालने पाये ।

इस विधेयक का उद्देश्य प्रैस के अधिकारों तथा उसके विचार स्वातंत्र्य की रक्षा करना है। आशा है कि इस विधान से पत्रकारिता की स्वस्थ परम्पराओं को प्रोत्साहन मिलेगा। यदि विधेयक में कोई त्रुटि नजर आयेगी तो संयुक्त समिति में अवश्य ही उस पर विचार किया जायेगा। यह प्रैस परिषद् पत्रकारों तथा समाचारपत्र उद्योग दोनों के हितों का ध्यान रखेगी।

हमारे बड़े बड़े समाचारपत्रों ज्यादातर विदेशी भाषा में छपते हैं और वे ऐसे स्थानों से निकलते हैं जो कि हमारी अधिकतर जनसंख्या का प्रतिनिधित्व नहीं करते। ऐसी स्थिति में यह खतरा बना रहता है कि कुछ ही व्यक्तियों की विचारधारा को जनता की आवाज के रूप में देश पर थोप दिया जाये। ऐसी प्रवृत्तियां स्वतंत्र तथा स्वस्थ कम्पीटीशन द्वारा रोकी जा सकती हैं। इसलिये यह जरूरी हो जाता है कि छोटे तथा मध्यम समाचारपत्रों को प्रोत्साहन दिया

जाये। मुझे आशा है कि दिवाकर समिति इस मामले की जांच करके हमें व्यवहारिक सुझाव देगी जिससे कि छोटे पक्षों की कठिनाइयों को दूर किया जा सके।

प्रैस परिषद् तभी लाभदायक सिद्ध हो सकती है जबकि इसे पर्याप्त शक्तियां दी जायें। इसका सभापति भारत के मुख्य न्यायाधिपति द्वारा नामनिर्देशित किये जाने की सिफारिश इसी लिये की गई है कि वह एक चरित्रवान तथा निष्पक्ष व्यक्ति होना चाहिये। हमारा देश बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है इसलिये प्रैस को अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को ध्यान में रखना चाहिये। आशा है प्रस्तावित परिषद् उस दिशा में लाभकारी सिद्ध होगी। इसी उद्देश्य से यह विधेयक लाया गया है और अब इस संयुक्त समिति को सौंपा जा रहा है। देश की एकता बनाये रखने तथा राष्ट्र के कार्यों में जनता का सहयोग प्राप्त करने में हमारा प्रैस बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।

**Shrimati Tarkeshwari Sinha** (Barh) : Press is a very good media to reveal the true voice of India and to urge and encourage our national efforts. But during the last few years, some newspapers have not been conducting themselves in a befitting manner. They have been polluting the atmosphere in the country by publishing sub-standard and harmful news which have a demoralising effect on the minds of our country men. They have, therefore, stood in the way of a healthy atmosphere being developed in this country.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

The complete lack of responsibility and the unreasonableness of the news appearing in some of these papers can be judged from the following example that I am now going to quote. A news appeared in the "Blitz" of 14th March that a yajna was being performed to hasten the end of Shri Jawaharlal Nehru. And this paper claims to have a circulation of lakhs of copies. That news created sensation in the whole country. My name was not clearly mentioned in that paper, but the readers could very easily grasp that I was associated with that yajna. A question was raised in the U.P. Assembly and after enquiry, it was found that that news was to tall baseless and false. That news degraded me in the eyes of the enlightened people. It is, therefore, very difficult for a straight forward person like me to live peacefully in such an atmosphere.

It is all the more surprising that our big leaders give shelter to such nefarious newspapers. Sometime back, an unimportant paper published a mud slinging article on the Speaker of Lok Sabha. Even such a high person is not spared by these papers. Complimentary copies of such objectionable papers are sent to Members of Parliament. It is very sad that big leaders give interviews to such papers and give them official news. Our home Minister himself gave an interview to the "Blitz" and praised the role of that paper in the exposure of economic and political corruption in the country. If persons of his eminence will give shelter to such papers, we cannot change the face of our country. If some defamatory news is published and later found absolutely false, then there should be some law to penalise the proprietor of that newspaper or periodical. The Joint Committee should consider over this matter and empower the Press Council to penalise a responsible paper for publishing and claiming responsibility for publishing such unfounded news. A Bill has been brought before the Nigerian Parliament also to prosecute and fine irresponsible newspapers.

[Shrimati Tarkeshwari Sinha]

I welcome the provision that the Press Council is going to be made a statutory body. This body will have a legal sanction. It is again a very good provision that the Chairman of the Press Council will be nominated by the Chief Justice of India. However, I submit, in this connection, that care should be taken to see that the retired judges of the High Courts should not be nominated as the Chairman of the Council, otherwise it will be a subject of public criticism

This institution will perform the duties of a court and there will be no appeal against its decision. A person may not be able to represent his case before this Council. Therefore, the Joint Select Committee should examine the possibility of allowing the concerned party to be represented before the Council by a lawyer or a legal adviser , if the party so desired.

Where there are provisions to appeal before the higher courts against the decisions of lower courts, there is no reason why the decisions of the Press Council should not be a subject to appeal.

The Press Council should also examine the question of giving such help to small and medium size newspapers as might be considered necessary for their development.

**श्री जोकीम अल्वा** (कनारा ) : उपाध्यक्ष महोदय यद्यपि विधेयक में वे सब बातें नहीं हैं जो होनी चाहिये थीं' विधेयक स्वागत के योग्य है । मैं श्रीमती इन्दिरा गांधी को सूचना और प्रसारण मंत्रालय का भार संभालने के लिये बधाई देता हूं ।

प्राचीन काल में पत्रकारिता एक मिशनरी संस्था के रूप में कार्य करती थी । उस समय श्री बी० जी० हार्निमैन, श्री खाडिलकर जैसे महान् पत्रकार हुए हैं जिन्हें आज कोई नहीं जानता है । ये पत्रकार निस्वार्थ भाव से तथा निडर हो कर अपने विचार व्यक्त करते थे । उन दिनों पत्रकार 100 रुपये मासिक से भी कम पारिश्रमिक पर कार्य करते थे किन्तु तब भी वे किसी के दबाव में काम नहीं करते थे । आज के युग में ऐसे भी पत्रकार हैं जो 6,000 रुपये तक वेतन पाते हैं किन्तु वे कुछ एकाधिकारियों के दबाव में आकर कार्य करते हैं । मैं यह बात निःसंकोच भाव से कह सकता हूं कि इनमें से कुछ लोगों में वास्तविक राष्ट्रीय की भावना नहीं होती है

हमारे पत्रकारिता जगत में दो बुराइयां, अर्थात् समाचारपत्रों पर एकाधिपत्य तथा उत्तेजनात्मक पत्रकारिता व्याप्त हैं । पत्रकारिता पर नियंत्रण रखने के लिये बाहरी सहायता मिलती है । बड़े बड़े समाचारपत्र अखबारी कागज का अधिकांश भाग स्वयं खरीद कर अन्य छोटे-छोटे समाचारपत्रों को पनपने नहीं देते हैं ।

सरकार द्वारा 'टाइम्स आफ इण्डिया' को किसी अन्य समाचारपत्र ग्रुप को खरीदने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये । यदि सरकार द्वारा इस की अनुमति दी जाती है तो जिन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये हमने संघर्ष किया है वे निष्फल सिद्ध होंगे । "टाइम्स आफ इण्डिया' के विरुद्ध आरोपों की जांच हो रही है । इसमें जो व्यक्ति दोषी पाये गये उन्हें कारावास की सजा मिलनी चाहिये । मैंने श्री कृष्ण मेनन के चुनाव के समय भी जनता के सामने यह बात स्पष्ट रूप से कही थी कि "टाइम्स आफ इण्डिया" तथा 'इण्डियन एक्सप्रेस' के मालिकों को काले कारनामों के लिये कारावास की सजा दी जानी चाहिये ।

बड़े समाचारपत्रों के एकाधिकारवादी मालिकों द्वारा अखबारी कागज का दुरुपयोग किया जा रहा है। सरकार द्वारा छोटे समाचारपत्रों की उपेक्षा करके सारी रियायतें बड़े समाचार-पत्रों को दी जाती हैं। अखबारी कागज न मिलने के कारण छोटे समाचारपत्र अधिक समय तक अपना प्रकाशन जारी नहीं रख, सकते हैं। यदि ये रियायतें छोटे समाचारपत्रों को दी जायें तो वे देश में एक शक्ति के रूप में उपयोगी कार्य कर सकते हैं।

छोटे समाचारपत्रों के हितों की रक्षा करने के लिये प्रेस परिषद् को उन समाचारपत्रों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करनी चाहिये जो छोटे समाचारपत्रों को अखबारी कागज के वैध कोटे से वंचित करके अवैध रूप से कागज को चोरबाजारी में बेचते हैं। बड़े समाचारपत्रों को सभी प्रकार की सुविधायें प्राप्त हैं तथा उन्हें छपाई की मशीनें खरीदने के लिये अधिक से अधिक आयात लाइसेंस दिये जाते हैं। परन्तु इस प्रकार की सुविधायें छोटे समाचारपत्रों को प्राप्त नहीं हैं। प्रेस परिषद् को छोटे समाचारपत्रों के लिये कुछ करना चाहिये।

यद्यपि इंग्लैंड में वर्ष 1959 के रायल कमीशन ने कहा था कि प्रेस परिषद् को अधिकार होगा कि कि वह समाचारपत्रों के स्वामित्व की जांच कर सकेगी किन्तु परिषद् ऐसा करने में असफल रही। यदि वे इंग्लैंड में ऐसा नहीं कर सके तो क्या हम भारत में ऐसा कर सकते हैं? यदि हम प्रयत्न करें तो हम इसे संभव बना सकते हैं। सरकार को इन चन्द एकाधिकारियों का पक्ष न लेकर जनता का साथ देना चाहिये।

यदि कोई व्यक्ति एक अच्छा समाचारपत्र निकालने के लिये तन, मन, धन से रात दिन प्रयत्न करता है तो उसके विरुद्ध, योग्य पत्रकार श्री सदानन्द की तरह, कार्यसवाही नहीं की जानी चाहिये।

प्रस्तावित प्रेस परिषद् को "नेशनल हैरल्ड" जैसे समाचार पत्रों को सहायता देने के लिये कुछ करना चाहिए, इस समाचारपत्र को अन्य बड़े समाचारपत्रों को दी जाने वाली सुविधायें नहीं दी जाती हैं।

पी० टी० आई० तथा यू० एन० आई० जैसी समाचार एजेंसियों "टाइम्स आफ इण्डिया" तथा 'हिन्दुस्तान टाइम्स" जैसे समाचारपत्रों के मालिकों के हाथ के खिलौने हैं। वे सभा की कार्यवाही को कभी भी विस्तारपूर्वक प्रकाशित नहीं करते क्योंकि ऐसा करना उनके मालिकों के हितों के विरुद्ध समझा जाता है। समाचारपत्रों के इस प्रकार के रवैये से जनता सभा की वास्तविक कार्यवाही से वंचित रह जाती है। सरकार को इस दिशा में प्रभावी कदम उठाने चाहिये।

मैं ने पहले भी कहा था और आज फिर कहता हूं कि कभी कभी हमें सरकारी क्षेत्र में सभी भाषाओं में दैनिक समाचारपत्र प्रकाशित करने पडेंगे क्योंकि यही एक ऐसा तरीका है जो एकाधिकारी समाचारपत्रों का प्रभाव सरकार पर से समाप्त कर सकता है। यदि इस प्रकार कम एक भी समाचारपत्र प्रकाशित कर दिया जाये तो प्रेस के बड़े बड़े एकाधिकारवादी मालिक समाप्त हो जायेंगे क्योंकि सरकारी क्षेत्र के समाचारपत्रों का सम्पादन योग्य नव युवक श्रमजीवी पत्रकारों द्वारा किया जायेगा। सरकार पर किसी भी रूप में बड़े समाचारपत्रों के मालिकों का प्रमुख प्रभुत्व नहीं रहना चाहिए।

**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य 15 मिनट बोल चुके हैं और अन्य सदस्य भी विधेयक पर बोलना चाहते हैं।

**श्री जोकीम आल्वा** : संसद् को, विभिन्न दलों की परवाह किये बिना, समाचारपत्रों के एकाधिकारवादी प्रभुत्व के विरुद्ध लड़ना चाहिये ; अन्यथा देश के लिये यह घातक सिद्ध होगा। जब तक सरकार समाचारपत्रों के स्वामित्व को अपने हाथ में नहीं ले लेती तब तक प्रेस परिषद् सफलता की दिशा में अधिक कार्य नहीं कर सकती है ।

यह स्पष्टय है कि एकाधिकारवादी गतिविधियों के कारण ही उत्तेजनात्मक पत्रकारिता की उत्पत्तिहुई है । इसका हमारे देश में होना हमारे गौरव के लिये अपमान की बात है । इस से ऐसा लगता है कि हम अपने प्रजातंत्र के आदर्शों को भूल गये हैं।

मैं अन्त में यह कहना चाहता हूं कि आज हमें पुरानी बुराइयों को समाप्त कर के एक स्वस्थ आधुनिक समाज का निर्माण करना है । स्वस्थ समाज के निर्माण में समाचारपत्रों का बड़ा योगदान रहता है ।

**Shri Bagri** (Hissar) : Mr. Deputy-Speaker is one of the powers necessary for building a nation. Therefore a country should have newspapers in the language understandable by common man. No country can have good newspapers unless it has its own language, that is the language of the common man. It is essential that the newspapers should reach the general public in their own language. Government should see to it that the newspapers in India are made the papers of the people, the peasants and so on.

Unfortunately in India Press is dominated by the capitalists and the monopolists. They can twist the facts as they like them. It seems as if Government and the newspapers are the league with each other. The collaboration is based on capitalism. They are exploiting the people of the country. Newspapers give wrong picture of the situation and take undue advantage of it.

Government should ban the publication of obscene advertisement in the newspapers because it spoils the character of the young generation of the country.

Most of the quota of the newsprint is obtained by the big press lords and sold in black market. All kinds of facilities are given to big newspapers wheras the small newspapers are deprived of these facilities. The discrimination towards the language papers in the matters like the supply of newsprint and giving advertisements should be stopped.

**Shri Tan Singh** (Barmer) : There is a paucity of good and healthy literature in India because the politics has come in in newspapers and the newspapers are not allowed to express their views freely. In order to produce good literature the newspapers should be encouraged.

It is very unfortunate that economic monopolies are in the press. But more unfortunate than the existence of economies in the Press is the monopoly of ideas propagated. The ruling party is responsible for this monopoly. The proposed Council should ensure that healthy ideas conducive to the promotion of the democratic thinking are propagated.

It is not a good step to associate the name of the Chief Justice with the proposed Press Council. It is not essential the person nominated by the Chief Justice will be above board. Government should be bold enough to nominate a person as the Chairman of the proposed Press Council.

The provision regarding the reprimanding of newspapers by the proposed Council is useless because the Council will have no power to do it in cases of offences for which there is no punishment provided in law.

A suitable method should be formulated to take bold steps for removing the growing economic monopolies in the Press wherever it is noticeable.

**श्री पें० वेंकटासुब्बया** (अडोनी) : यह जो विधेयक सूचना तथा प्रसारण मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है मैं उसका समर्थन करता हूं । इस विधेयक को बहुत पहले आ जाना चाहिये था। इस विधेयक के उल्लेख से हमें उन समस्त अखबारों तथा महान सम्पादकों की याद हो आती है जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के संग्राम में पूर्ण रूप से अपना अंशदान दिया । आज स्थिति यह है कि अखबारों पर एकाधिकार है और वे उतना लाभदायक ढंग से कार्य नहीं कर रहे जितना कि जनता के हित में उन्हें करना चाहिये। उसे देखते हुए यह आवश्यक ही है कि एक प्रेस परिषद् की स्थापना कर दी जाय ।

इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि संयुक्त समिति को यह देखना चाहिये कि जहां तक व्यवहार्य हो उन छोटे समाचारपत्रों को, जो प्रादेशिक भाषाओं में उपयोगी कार्य कर रहे हैं, पूरा प्रोत्साहन दिया जाये। यह बताया गया है कि परिषद् के 13 सदस्य पत्रकार होंगे और उन में से छः से कम सम्पादक नहीं होंगे । बड़े-बड़े समाचारपत्रों द्वारा चलाये जा रहे समाचारपत्रों के सम्पादक अपना स्वतंत्र मत व्यक्त करने में समर्थ नहीं हैं और वे समाचारपत्रों के प्रबन्धकों द्वारा निर्धारित नीति से प्रभावित रहते हैं। अतः उनके प्रतिनिधियों की संख्या छः से घटा कर तीन कर दी जाये और श्रमजीवी पत्रकारों तथा देशी भाषा के समाचारपत्रों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाये :

समाचारपत्रों में देश का उचित स्वरूप, इसकी आर्थिक नीतियां लोकतंत्री, समाजवाद में इसकी आस्था और सरकार के कार्य तथा उसकी नीतियों को, निष्पक्ष रूप से अच्छी तरह प्रकाशित किया जाये। मेरा सुझाव है कि समाचारपत्रों को सभी प्रकार का प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये । मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मुख्य न्यायाधीश परिषद् के सभापति को नामजद करेगा। मुझे पूर्ण आशा है कि इस दिशा में प्रेस परिषद् स्वस्थ जनमत का निर्माण करेगी । मैं इन शब्दों से विधेयक का समर्थन करता हूं ।

**डा० सरोजिनी महिषी (धारवाड़ उत्तर)** : समाचारपत्रों का स्वतंत्रता के पूर्व समय में काफी महत्वपूर्ण स्थान रहा है । समाचारपत्रों ने स्वतंत्रता से पहले के दिनों में और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के समय में लोगों में सामाजिक जागृति पैदा करने और उनको लोकतंत्र का महत्व बतलाने में बड़ा महत्वपूर्ण काम किया है । इनको सभी सुविधायें मिलनी चाहियें और स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ-साथ समाचारपत्रों को भी स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिये। परन्तु यह भी प्रयत्न होना चाहिये कि इस स्वतंत्रता का इस्तेमाल ठीक ढंग से किया जाये। क्योंकि कई जगह इसका दुरुपयोग किया जा रहा है ।

इस बात के बावजूद की देश में समाचारपत्रों, दैनिक पत्रों और पत्रिकाओं की संख्या बहुत अधिक है, पता चलता है कि जहां तक देश में समाचारपत्रों की संख्या और इसके पाठकों की संख्या के अनुपात का सम्बन्ध है, इस में बड़ा अन्तर है । यह अनुपान इतना चिन्ताजनक है कि किसी भी भारतीय समाचारपत्र की अधिकतम परिचालन संख्या डेढ़ लाख से अधिक नहीं है । इसके साथ ही स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद हमें जनता में पढ़ने की आदत डालनी चाहिये ।

[डा० सरोजिनी महिषी]

हमारे देश में ऐसे छोटे छोटे भाषायी समाचारपत्र हैं जो आलोचना करके और हानिप्रद आलोचना को प्रोत्साहन देकर ही अपना अस्तित्व कायम रखना चाहते हैं । अतः इस विशिष्ट बात की ओर भी ध्यान देना चाहिये । कुछ समाचारपत्रों को, विशेषतः भाषाई समाचारपत्रों को बड़ी कठिनाइयां हो रही हैं । अखबारी काग़ज़ का अभ्यंश अथवा विज्ञापन केवल बड़े-बड़े समाचारपत्रों को ही मिलते हैं । छोटे छोटे समाचारपत्रों को भी प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये ।

परिषद् का एक कार्य यह होगा कि ऐसी बातों पर निगरानी रखे जिस से लोक हित के समाचारों के प्रकाशन अथवा प्रसार में बाधा होती हो । परिषद् को यह भी देखना चाहिये कि विदेशों संबंधी समाचार प्रकाशित करने की सुविधाएं सभी समाचारपत्रों को दी जायें । परिषद् को यह एक महत्वपूर्ण कार्य करना होगा । परिषद् का दूसरा काम लोगों को समुचित रूप से पत्रकारिता की शिक्षा देने और प्रशिक्षण देने के लिये उपयुक्त सुविधाओं की व्यवस्था करना है । यह बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है क्योंकि हमारे अधिकांश विश्वविद्यालयों में पत्रकारिता का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था नहीं है ।

परिषद् को निन्दा करने का अधिकार खंड 13 के अन्तर्गत दिया गया है । सार्वजनिक रूप में निन्दा करने का ही यह अधिकार है, परिषद् को कोई अनुशासनात्मक अधिकार नहीं दिये गये हैं, परिषद् केवल नैतिक रूप से निन्दा करने का अधिकार ही प्राप्त कर सकती है । परिषद् मुकदमा चला सकती है और इस पर भी मुकदमा चलाया जा सकता है । इन बातों का केवल यही हल नहीं है अपितु इनके बीच का कोई और रास्ता भी निकाला जाना चाहिये । प्रेस परिषद् को अपना कार्य बड़े योग्य ढंग से चलाना चाहिये और इसको पत्रकारिता के क्षेत्र में बड़ी स्वस्थ परम्परायें तथा प्रथायें स्थापित करनी चाहिये । इसको अन्य अनुषंगिक अधिकार भी दिये जायें । अन्त में मैं सूचना तथा प्रसारण विभाग की सारी मशीनरी को सुधारने की दिशा में नये मंत्री ने जो साहस पूर्ण कदम उठाया है उसके लिये उन्हें मुबारकबाद देती हूं ।

**Shri Prakesh Vir Shastri** (Bijnor) : I welcome the spirit of the Bill as it has been introduced with a view to safeguard the Independence of the Press. But I am of the opinion that formation of the Press Council will give birth to wrong tradition. Let me mention an incident of Kashmir. Two papers have recently been put to hardship there. The editors of the papers were arrested under the D.I.R. because they showed a little dislike of the Government Policy. At the same time Sheikh Abdulla's paper 'Muhaz' is carrying on intense propaganda against India and the State Government, but no action has been taken against it. I would also like to draw the attention of the Minister of Information and Broadcasting that the language papers are not getting the fair deal. They are not supplied the newsprint and the advertisements.

The language papers are also not getting a fair deal in regard to representation in the matters such as the courage of the Cairo Conference. The representatives of language Press participating in the said conference were discriminated against in the matter of provision of foreign exchange to meet their daily expenses, as if their needs are less than those who represent English papers. Discrimination was shown even when new railway trains like the "Taj Express" was started. Another instance is provided by their inadequate representation in the first air fight to London via Moscow started by Air India.

I leave the foreign matters, and come to the domestic bill. Here also the step motherly treatment is done towards the language papers. I am of the opinion that a news agency should be set up which should supply news to the various parts of the country in Devanagari script so that Tamil, Telugu or Kannad speaking people might be able to read the news in their respective languages.

**Shri R. S. Pandey** (Guna) : I heartily welcome this Bill. This is the first time which has come before the House after Shrimati Indra Gandhi had become Minister. It is good that we have become serious about the progress of Journalism in this country. It must be realized that the papers were a channel to safeguard the interest of the prople.

I am of the opinion that the total investments made in all the papers, particularly the dailies, should be converted into a trusteeship. Their day-to-day affairs should be conducted by the trustees who should be appointed by the Chief Justice.

Weeklies are freely indulging in politics. They are more prone to sensationalism and items of a fictitious and defamatory character. They often indulged in 'Character assassination'. The proposed Press Council would have to keep a strict check over them.

**Shri J. P. Jyotishi** (Sagar) : I am in favour of Independent Journalism, but at the same time there should be some control to ensure that no misrepresentation is done and the ideas of wrong type should not be propagated.

I may also state the persons to be appointed to the Press Council should be persons of a high calibre about whose verdict nobody should have any doubt. They should be above board.

I also want to impress that the Government must pay greater attention to the language papers, particularly. Majority of the people in this country read Hindi papers, they should be given some special facilities. By this way only we could develop healthy journalism in this country. We should welcome the men of integrity in the field of journalism. With these words I welcome the bill and thereby the establishment of a Press Council.

**Shri Sheo Narain** (Bansi) : I am grateful to you Sir, for the opportunity you have given to me to speak. Let me submit Sir, that in the democratic India the Press had tremendous responsibilities. The fact has been that press has been as good a responsible organ as the Government itself. I may submit that the Government must redress all legitimate grievances of the Press and the Press, on its part, must realise its responsibilities.

In this connection I may also point out that the small newspapers must also get a chance to develop. In case we desire that democracy should flourish in this country then we shall have to put in our efforts to raise the standard of journalism. With these words I support this Bill.

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन)** : सब से पूर्व मैं उन माननीय सदस्यों के प्रति अपना आधार प्रदर्शित करता हूं जिन्होंने अपने बहुमूल्य सुझाव प्रस्तुत किये। मेरा निवेदन है कि प्रेस परिषद् का उद्देश्य समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को कायम रखना और समाचार पत्रों के स्तर को बनाये रखना तथा ऊंचा उठाना है। परिषद् में एक अध्यक्ष और 25 सदस्य होंगे । अध्यक्ष भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा मनोनीत

[श्री चे० रा० पट्टाभिरामन]

किया जायेगा । इन 25 सदस्यों में से 13 सदस्य श्रमजीवी पत्रकार होंगे, जिनकी संख्या कुल सदस्य संख्या के आधे से भी अधिक है । अध्यक्ष को मनोनीत करने के काम मुख्य न्यायाधिपति पर छोड़ दिया गया है, अन्यथा कार्य-पालिका द्वारा इसके मनोनीत किये जाने के सम्बन्ध में आपत्ति उठाई जाती ।

जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि प्रेस परिषद् को दिये गये अधिकार पर्याप्त नहीं हैं, एक 13(2) हैं जिस के अन्तर्गत उपयुक्त मामलों में परिषद् एक या दो बार यथास्थिति निन्दा करने के बाद केन्द्रीय सरकार को अपनी सिफारिश भेज सकती है । फिर बाद में केन्द्रीय सरकार कुछ कार्रवाई कर सकती है । समाचारपत्रों का रजिस्ट्रार समाचारपत्र उद्योग के विकास के उस पहलू की ओर विशेष ध्यान दे रहा है। प्रेस परिषद् का एक काम यह होगा कि ऐसे स्वामित्व के मामलों को अध्ययन करें और सरकार को आवश्यक सुधारात्मक उपायों के बारे में सिफारिश करे ।

महलनबीस समिति ने भी एकाधिकारों के अस्तित्व के बारे में कहा है । प्रेस आयोग ने सिफारिश की है कि समाचारपत्रों के रिजिस्ट्रार को समाचारपत्रों के परिचालन पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिये और यदि वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि एक विशेष क्षेत्र में अथवा एक विशेष भाषा में एकाधिकारवाद पनप रहा है, तो उसको चाहिये कि वह इस तथ्य को प्रस्तावित प्रेस परिषद् के ध्यान में लाये, जिसको इस बारे में जांच करनी चाहिये। विधेयक में प्रेस परिषद् को एक यह महत्वपूर्ण कार्य सौपा गया है कि ऐसी बातों का अध्ययन करें जिन से एकाधिकार या केन्द्रीयकरण की प्रकृति पैदा होती है ।

जहां तक अखबारी कागज के संभरण का संबंध है, जितना कागज मंजूर किया जाता है उतना ही बांट दिया जाता है। यह भी एक मामला है जिसे प्रेस परिषद् अपने अधिकार में ले सकती है। अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि संयुक्त समिति इस मामले के महत्वपूर्ण पहलू पर सोच समझ कर विचार करे। कुछ ऐसे मामले भी हैं, जिनमें अखबारी कागज तथा अभ्यंश लिये बिना ही समाचार-पत्र प्रकाशित होते हैं और छापे जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों को अभ्यंश कैसे मिला। इस मामले की जांच की जा रही है। ऐसी बात नहीं है कि मैं इसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा हूं ।

प्रेस परिषद् में प्रसिद्ध व्यक्ति होंगे । इनमें से अधिकांश व्यक्तियों का संबंध पत्रकारिता से या पत्रकारिता संबंधी अन्य किसी व्यवसाय से होगा। इसमें कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसे पत्रकारिता का अनुभव न हो या जिसकी पत्रकारिता के क्षेत्र में ख्याति न हो। श्रमजीवी पत्र-कारों के भारतीय फेडरेशन ने स्वयं इच्छा व्यक्त की है कि परिषद् का अध्यक्ष भारत के सर्वोच्च न्यायाधिपति द्वारा मनोनीत किया जाये ।

पत्रकारिता के उच्चप्रशिक्षण के लिये एक संस्था की बहुत अधिक आवश्यकता है। विश्व-विद्यालयों अथवा अन्य किसी स्थान पर पत्रकारिता का व्यवसायिक प्रशिक्षण देने की कोई व्यवस्था नहीं है। विचार विनिमय के सामान्य माध्यम तेजी से बदल रहे हैं, और यह आवश्यकता है कि इस बारे में पत्रकारों को अपनी जानकारी नवीनतम बनाये रखने के लिये आवश्यक सुविधायें दी जायें ।

भारत में विभिन्न भाषाओं के समाचारपत्रों ने, विशेषत: आपातकाल में बड़े उत्तरदायित्व-पूर्ण ढंग से कार्य किया है। यह बात भी सच है कि अन्य क्षेत्रों की भांति पत्रकारिता के क्षेत्र में भी कुछ गद्दार लोग हैं, किन्तु व्यवसाय में चन्द गद्दार लोगों के होने के कारण ही हम समूचे व्यवसाय की निन्दा नहीं कर सकते। राष्ट्र विरोधी, साम्प्रदायिक तथा अश्लील कामों में भाग लेने की प्रवृत्ति की ओर निश्चय ही ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकार इससे विमुख नहीं है। यह प्रवृत्ति सरकार की अपेक्षा प्रेस परिषद् द्वारा रोकी जाए।

प्रेस परिषद् एक स्वायत्तशासी निकाय होगा जिस पर समाचारपत्रों तथा पत्रिकाओं के आचरण का ऊंचा स्तर कायम रखने का उत्तरदायित्व होगा। यह समाचारपत्रों का एक ऐसा निकाय होगा जो अपने गलती करने वाले सदस्यों को संयम में रखेगा ताकि संविधान द्वारा दी गई समाचार पत्रों की स्वतन्त्रता का दुरुपयोग न किया जा सके। वास्तव में यह समाचारपत्रों का स्व-विनियामक निकाय है और इसका सब स्वागत करेंगे।

**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :—

"कि यह सभा राज्य सभा द्वारा अपनी 15 सितम्बर, 1964 की बैठक में स्वीकार किये गये और 17 सितम्बर, 1964 को इस सभा को भेजे गये प्रस्ताव में की गई राज्य सभा की इस सिफारिश से कि यह सभा प्रेस की स्वतन्त्रता बनाये रखने और भारत में समाचारपत्रों का स्तर बनाये रखने और ऊंचा करने के प्रयोजन के लिये प्रेस परिषद् की स्थापना करने वाले बिल संबंधी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में सम्मिलित हो, सहमत है और संकल्प करती है कि उक्त संयुक्त समिति में काम करने के लिये लोक-सभा के निम्नलिखित 30 सदस्य मनोनीत किये जायें, अर्थात्

श्री अल्वारेस, श्री च० का० भट्टाचार्य, श्री नि० च० चटर्जी, श्री त्रिदिव कुमार चौधरी, श्री युद्धवीर सिंह चौधरी, श्री दास, श्री इलायापेरुमल, श्री अंसार हरवानी, श्री कामले, श्री केप्पन, श्री कपूर सिंह, श्री मे० क० कुमारन, श्री नि० रं० लास्कर, श्री शिवचरण माथुर, श्री मथुरा प्रसाद मिश्र, श्रीमती शारदा मुकर्जी, श्री मोहन नायक, श्री मानसिंह पृ० पटेल, श्री किशन पटनायक, श्री शिवराम रंगो राने, श्री साधू राम, श्री श्याम लाल सर्राफ, पंडित कृ० चं० शर्मा, श्री शशि रंजन, श्री विद्याचरण शुक्ल, डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी, श्री तुलाराम, श्री एस० वीरबासप्पा, श्री वीरभद्र सिंह और श्री चे० रा० पट्टाभिरामन।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

**Motion is adopted.**

## देश में बाढ़ स्थिति के बारे में चर्चा

## DISCUSSION RE : FLOOD SITUATION IN THE COUNTRY

**Shri Bagri** (Hissar) : Leaving aside only two States of the country, there are floods in the remaining 18 States. I may submit that the flood situation in the country is a matter of grave concern. It is a very big problem today. It is really very surprising to find out that the various states had not

furnished detailex and up-to-date information to the Central Government regarding the flood situation in their areas. Panjab, Rajasthan, Bihar, U.P. and Delhi suffered a great loss due to floods. The people in the villages were the worst sufferers. They lost their hearth and home and everything was washed away together with that, they were faced with an actue food problem.

Let me say that the Government had failed to provide adequate relief to those persons. The pity was that it could not even arrange for boats to rescue the people. The figures which the Government had given about the loss of life and property caused by the floods were not correct, the loss was far greater than what had been stated by them. We must also realize that the problem of floods had to be tackled both on a long term as well as short term basis. As a long term measure, the Government must see that railway lines, roads, canals were constructed in such a manner that they did not prevent the flow of water. In the past, adequate attention had not been paid to that matter. The Government must utilise the knowledge and services of its scientific experts in the prevention of floods. The problem must be solved on the premament basis.

I would also like to urge that the steps should be taken for ensuring proper outlet of the excess water of the rivers, wherever necessary draging should be undertaken. Let me also state that the relief provided for the flood sufferers in Panjab was most inadequate. Proper compensations should be given to those cultivators whose crops have been destroyed. Also, all recoveries from them should be suspended. Arrangements should be made to provide food, clothing and medical aid to the flood victims and to supply fodder for the cattle. Seed should also be given free to the people of the affected areas.

I would at the end like to urge upon the Government to realize their responsibility. Whole cabinet should take up the matter seriously and immediately. People should be relaved of this great calamity. It is said that only a lakh or so are affected by the floods, but the reality is that more than 25 lakhs of people are affected by these floods. We must change this method of wrong figures.

**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासदुर) : यह जो संकट लगभग भारत में सभी राज्यों में आया है यह अपनी तरह का प्रथम ही है । मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि जब हमको हर वर्ष इस प्रकार के संकट से दो-चार होना पड़ता है तो सरकार इसका कोई स्थायी उपचार क्यों नहीं करती । मैं जानता हूं कि संकट के आ जाने पर सरकार लोगों की प्रत्येक प्रकार से सहायता करती है । इस पर भी काफी हानि उठानी पड़ती है । अतः यह सरकार का कर्त्तव्य है कि वह बाढ़ों को रोकने तथा लोगों को इन बाढ़ों के परिणामस्वरूप होने वाली विपत्ति से बचाने के लिये स्थायी अथवा अस्थायी व्यवस्था करनी चाहिये ।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि उन लोगों के परिवारों के लिये भी कुछ व्यवस्था करनी चाहिये जो बाढ़ के कारण मर गये हैं । बाढ़ों से किसानों की फसलों को तथा उनके घरों को हुई हानि को पूरा किया जाना चाहिये । सरकार ने इस समस्या को हमेशा उपेक्षा की दृष्टि से देखा है अतः इसे दंड का भागी होना चाहिये । इसे उन नगरों तथा गांवों के लिये एक अल्पकालीन योजना तैयार करनी चाहिये जहां प्रायः बाढ़ें आती रहती हैं । हमें इस बात का प्रयत्न करना चाहिये कि प्रत्येक नगर और गांव की सुरक्षा के लिये स्पष्ट योजना बना लेनी चाहिये ।

[ **डा० सरोजिनी महिषी** पीठासीन हुईं ।
DR. SAROJINI MAHISI *in the chair* ]

एक यह बात भी मैं पूछना चाहता हूं कि जब भी कोई इस प्रकार का संकट आता है तो हम सेना क्यों भेज देते हैं ? हमारी असैनिक जनसंख्या इन संकटों का मुकाबला क्यों नहीं कर पाती। हमें कुछ न कुछ करना है। बाढ़ आने का एक कारण यह भी है कि नालों को ठीक ढंग से नहीं बनाया गया है। मैं इस बात पर आग्रह करूंगा कि इस प्रकार के गलत निर्माण करने वालों को उचित सजा दी जानी चाहिये। सरकार को सारी स्थिति की बड़ी गम्भीरता के साथ विस्तारपूर्ण जांच करनी चाहिये। समस्या के तुरन्त सुलझाने की दिशा में उचित कार्यवाही की जानी चाहिये।

**Shri Naval Prabhakar** (Delhi-Karol Bagh) : The flood problem should be solved in a coordinated and integrated way for the whole of the country and a suitable scheme should be devised for that purpose. Drains No. 8 and 6 have been diverted by Punjab towards Delhi and the villages of Delhi get flooded when these drains are flooded by the rain water of Punjab. That is why I have urged that an integrated approach should be made to tackle this problem effectively.

The main problem in Delhi territory is that there is no outlet for the flood water that accumulates in the areas affected by it every year. In the Najafgarh block, there is six to ten feet deep water in the fields, at present. The farmers are in a great fix because they will not be able to sow the *rabi* crop also. They want that the flood water should be drained out somehow before the 15th October so that they can start the sowing operation.

To save the people of Delhi from floods and the hazards of contamination of water, effective steps should be taken to drain out the water from the Najafgarh lake and to clear the Najafgarh nullah of all the ups and downs that come in the way of the regular flow of water. In this connection, the proposal of Dr. K. L. Rao, the Union Minister of Irrigation and Power, regarding diversion of water of the Najafgarh lake into the river Jamuna through Palwal should be examined by the Government.

The relief of Rs. 100 to be provided to the flood victims per family as stated in answer to my question today morning is not adequate. A sum of at least Rs. 500 should be given to each family consisting of not more than five members. If a family has more than five members, Rs. 50/- extra should be given for every additional member. The poor villagers whose houses have been badly damaged by the floods should be given some help for the construction of their houses. Fodder for the cattle should also be supplied to the needy villagers.

**Shri Rameshwaranand** (Karnal) : Defective planning of the Government is responsible for the so frequent occurrence of floods in the country.

The Government has not paid serious attention to the need for outlet of rain water at the time of the construction of roads and canals. Bhakra Dam is the main cause of floods in Delhi territory and the Hariyana Prant of Panjab.

The situation in Karnal is very grave. A large number of villages and vast tracts of cultivable land are submerged under flood water. The people in the region are in extreme difficulty. Thousands of their cattle have died for want of fodder. Unless effective steps are taken to provide an outlet for flood water in that area, it would become a lake in course of time. It is unfortunate that the engineers and other officers are not taking practical difficulties into consideration. They should consult the villagers in those areas.

The first and foremost thing which the Government should do for that area is to see that the water is drained out. Instead of giving monetary help to the flood victims, the Government should make available to them clothes, food-grains and fodder.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the chair*]

The work of dredging and deepening of the rivers and other drains which have silted up, should be taken by the Central Government in their own hand. If this is done, it will make available Khadar area of several miles from Tajewala to Delhi for cultivation and also save the people of the area from the menace of floods every year.

**Shri G. S. Musafir** (Amritsar) : Lack of coordination and inability to finish the works in time and in a proper manner are the two factors which are responsible to a great extent for the present situatuon. The hon. Minister should, therefore, see to it that in future there are no complaints about a particular work having remained unfinished. Our engineers and other experts should be able to take all preventive measures to save the country from the extensive damage caused by the floods every year. Every year this complaint is there that the work of dredging and deepening the flood water drains could not be done in time and also in an effective manner. The experts should give earnest thought to this matter.

The problem of water-logging in the Amritsar district is very acute. It is one of the richest grain-producing areas in the Punjab State. Being situated on the border, special attention should be paid to that area by the Government.

The States should not blame each other for the flood damage caused in the States. There is the centre to judge all these things. In this connection, I would suggest that the Coordination Committee should be made more effective so that there may be no occasion in future for the states to blame each other.

**Shri S. N. Chaturvedi** (Firozabad) : Big schemes are not being taken up because of non-availability of finances and work on the smaller schemes is not started till June. Efforts are made only when the floods actually arrive. The havoc wrought by the floods is represented in the Government reports in a very mild form. The situation in the flood-affected areas, especially in the villages, is horrifying. Crops have been totally destroyed, the people are faced with disease and disaster because water is standing all round. The relief provided is not sufficient and even recoveries are being made from the farmers in some cases. It is really a great pity that the villagers are being asked to offer *shramdan* for digging drains etc., at a time when they are in so pitiable a condition.

The Bavarpur drain in Agra District should have been constructed from the point of outfall to its source and also not in a zigzag way but it is actually the reverse of it. There are so many cases of this natute. The havoc wrought by the Dhassa Bund and the Najafgarh drain is also due to this basic defect. But it is very sad that such defects are not being brought to book. Whenever there is any such lapse, the persons concerned should be penalised.

The dredging of the rivers, which have silted up, should be taken in hand without delay. While constructing railway lines, roads, etc. adequate outlet for the easy discharge of water should be provided. Lapses on the part of engineers in carrying out such works should be severely dealt with.

The Government should call for a correct and complete report of the damage caused by floods to the villagers and till then no recoveries should be made from them in the form of land revenue, etc. The Government should provide such relief to them which may really benefit them.

**Shri Yashpal Singh** (Kairana) : The present situation is purely man-made. Crores of people are suffering because of the inactivity of the Government. We do not understand why the Government fail to take any steps for prevention of floods when we are faced with this menace every year. It has done nothing either to harness the rivers or to deepen their beds.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

Due to the shortage of bullocks and tractors all the cultivable land in the country is not being tilled. The tilled land has greater capacity to absorb water. Crores of acres of land in the country has thus become barren and water-resistant. This and the construction of Dhassa Bund to save the people of Delhi from floods have counverted the Hariyana area of Punjab into a big lake. The forest have also been cut down and this is why that the flood waters spread at an alarming speed to far flung areas. The districts of Ballia, Deoria, Gorakhpur and Ghazipur have remained backward because they remain submerged under water for most of the time.

The Government should, therefore, increase the cattlewealth of the country and manufacture tractors in greater numbers, so that the unclutivated land may be cultivated. At the same time, endeavours should be made to increase the forest wealth of the country by raising forests and trees in the areas where they are needed most.

The worst sufferers of the floods are the poor villagers and they alone know where the shoe pinches. The Government should, therefore, take to task such officers who fail to take preventive measures against floods.

**Shri Gajraj Singh Rao** (Gurgaon) : Dhassa embankment alone cannot help check floods but a series of big embankments should have been constructed on the Sahibi river to check the recurrence of floods in Delhi, and in Rohtak and Gurgaon districts of Punjab.

The flood water of Ujina lake was to be diverted through Kama lake and Goverdhan drain. But the Goverdhan drain is still on paper. To check floods in the surrounding areas, it is very necessary that the construction of this drain should be taken in hand immediately. The natural flow of water should not be blocked without making alternate drainage system. Because the farmers cannot sow their crops unless the standing water is drained out. This water can very well be utilised for irrigation and other purposes but due to haphazard planning it is causing destruction everywhere in the country.

Adequate relief has not been provided to the flood victims, because the havoc wrought by floods is very large in magnitude.

A committee should be appointed to suggest a permanent solution of the recurring problem of floods, in this country. This committee should not be disbanded unless this problem is solved permanently.

**Shri Tan Singh** (Barmer) : A stage has now reached when criticism of this Government can be of no use. Every year floods occur, every year assurances are given by the Government. But the situation has failed to improve. Floods have become an unavoidable and regular feature. What is the use of criticising when criticisim will not have its desired effect? What is the use of technical advancement which is so much talked of when we are unable to save masses from the onslaughts of floods? What is the use of our Planning Commission which is considered a highly expert agency, when all its attempts to check floods have proved abortive? Every year Government assures us that arrangements are being made to check floods in Ghaggar River. But nothing has been done so far in this direction. Similarly nothing has been done to save turatgarh Farm from the onslaughts of floods. I hope Government will ake measures in this direction in future.

**Shri Sinhasan Singh** (Gorakhpur) : The recurrence of floods every year in Gorakhpur, Balia, Azamgarh and Deoria Districts of U.P. proves devastating but Government has failed to take adequate measure to check them. Government have also failed to provide boats in the rural areas to save the people affected by floods.

There was a scheme to raise the levels of villages in U.P. Shri Rao himself went there and issued sanctions to raise the levels of Gorakhpur villages. Crores of rupees were spent there. But the situations there remains as bad as ever. Every year Gorakhpur is affected by floods because the embankments constructed there broke down. The people of these areas had requested Shri Rao not to construct such embankments as they become a great meanace. A commission was appointed by the U.P. Government which recommended that embankments ought not to be constructed but they are being constructed in spite of that. I want to suggest that levels of villages be raised and to protect the produce from floods arrangements should be made to make irrigational facilities available to the farmers. The natural flow of waters should not be disturbed in any case. If these measure are taken farmers will not be much embarassed by floods.

**Shri Lehri Singh** (Rohtak) : The onslaughts of floods in Punjab have resulted in decrease in production and also in the number of cattle heads. If the situation is not made to improve much critical days are ahead for Punjab. Drains in adequate numbers ought to be provided in Punjab so that water may have an easy flow. The canals which are a main source of irrigation ought to be made concrete. Steps should also be taken to remove water logging. Our planning in regard to water logging is faulty and also adequate finances have not been made available. Flood waters entered Delhi areas because the Drain of Najafgarh Jheel was not sufficiently widened. Punjab cannot be blamed for these flood waters entering Delhi because the natural flow of water has ever been towards this Jheel. I want to propose that more funds should be allotted for the development of Punjab.

**श्री लीलाधर कटकी** (नवगांव) : आसाम में बाढ़ को रोकने के लिये जो भी उपाय किये गये उनका प्रत्याशित परिणाम नहीं निकला । माननीय मंत्री को देखना चाहिये कि 1958 में बाढ़ संबंधी जो उच्चस्तरीय समिति बनाई गयी थी क्या उसकी सिफारिशों को कार्यान्वित किया गया है । कालंग नहीं और उसकी कार्यान्विति को समाप्त करने से समूचे नवगांव जिले को बचा लिया गया जिसके लिये मैं मंत्री महोदय का आभारी हूं । बरक और ब्रह्मपुत्र में भी इसी प्रकार की कार्यवाही की जानी चाहिये थी । मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि वह मेरे राज्य में भूमि कटाव

को रोकने के लिये कुछ कार्यवाही करें। बाढ़ से तो भूमि कई बार अच्छी हो जाती है परन्तु भूमि कटाव से स्थायी हानि होती है। इस समस्या को हल करने के लिये विदेशी विशेषज्ञों की मंत्रणा ली जानी चाहिये।

**Shri K. N. Tiwary** (Bagha) : No. purpose is served by Government's repeating same figures and same arguments every year when floods occur. They should try to find out the progress they have made so far in checking floods I urge upon the Government to take as effective steps in regard to erosion as it takes in regard to checking floods. The figures that have been given regarding the loss sustained as a result of floods show how great the loss we have to bear every year, alhtough these figures are not complete. Champaran, Darbhanga and other Districts of North Bihar are the worst sufferers due to flood havoc. I urge upon the Government to give as much relief and assistance to the people of such areas as possible.

**Shri Kashi Ram Gupta** (Alwar): Sahibi River has been causing devastation for the last 50 years and Rajasthan, Punjab as well as Delhi are affected by its swirling flood waters. There was a suggestion to construct a dam at Alwar but that has not been accepted on one plea or the other. I again request that this proposed dam may be constructed.

The condition of the people at Alwar, due to floods, is very precareous. They have not been given adequate assistance yet. An M.L.A. went there and found a B.D.O. playing cards. We went there and found the office locked at 3 P.M. Such is the plight of administration.

In order to tackle Sahibi River the suggestion given by Shri Gajraj Singh should be accepted. The Coordinating Committee should also study the factors which may solve the problem. Unless crop insurance is introduced the lot of the poor peasants will not be improved. The assistance to be given to the peasants affected by floods should reach them withoutdelay. Flood problem is an All India problem but the states which are particularly affected by floods should be given some preferential treatment.

**Shri Yagendra Jha** (Madhubane) : Previously people suffered due to natural calamities whereas now they suffer due to defective methods of planning. I want to refer to western coast embankments of kosi which have became a source of limitless devastation for the peasants. These embankments have checked the flow of Tilguja, Ghorda, Panchi, Parvati and so many other rivers. Another problem which ought to be tackled first is that of silting up of earth inside the embankments with the result that the level of earth is raised and floods occur even when there is much less discharge of water. Kothar Dam Project should be implemented as early as possible to protect the Kosi Barrage. Embankments near Kunanli and Dalwan are affected due to wrongful planning of engineers. If the situation is not improved in regard to embankments which check the onflow of waters no purpose would be served by spending lakhs and lakhs of rupees on flood relief and other measures.

**Shri Jagdev Singh Siddhanti** (Jhajjar) : Punjab cannot be blamed for floods that occurred in Delhi. The natural flow of waters in Delhi was checked by constructing colonies and bunglows. Dhansa Dami is illegal and in order to save people from devastation it should be demolished. Arrangements should be made to clear the waters that are standing near about my constituency otherwise peasants will not be able to sow for the coming season and they will be compelled to act of their own accord.

**डा० च० भा० सिंह** (बिलासपुर) : यदि हम आंकड़ों को देखें तो पता चलता है कि पहले दिनों की तुलना में अब वर्षा अधिक नहीं हो रही है। परन्तु देश भर में जो सड़कें और रेलवे लाइनें बनाई गई हैं वह पानी के स्वाभाविक बहाव को रोकती हैं और तट बन्धी का काम देती हैं। जो बड़ी बड़ी नहरें और बांध बनाये गये हैं वह भी जल में स्वाभाविक बहाव के लिये रुकावट हैं। जल के भूमि में समाने की स्थिति में जो परिवर्तन हुआ है उससे समस्या अधिक गम्भीर हो गयी है। चूंकि अधिक जल भूमि में नहीं समाता इसलिये वह ऊपर ही अधिक मात्रा में बहेगा। वातावरण में नमी की स्थिति में परिवर्तन होने के कारण अधिक पानी सूखता भी नहीं है। बड़े बड़े शहरों में नीचे स्तर पर बस्तियां बन जाने से भी पानी खड़ा रहता है। वहां बीमारियां फैलती हैं जिनके लिये यह सरकार उत्तरदायी है। गांवों में भी चार-चार मास तक जल बंधा रहता है। उनकी दशा दयनीय हो जाती है। मैंने बिलासपुर जिले में देखा है कि घुटनों तक पानी खड़ा है जिसमें से पैदल चलना पड़ता है। 17 वर्ष के बाद भी आज हमारे देश की यह स्थिति है जिसके लिये मैं योजना आयोग के लोगों और प्रशासनिक अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराऊंगा जो वास्तविक समस्याओं से अनभिज्ञ हैं। उन्हें अपना दृष्टिकोण बदल कर नये सिरे से काम करना होगा। उस काम के लिये, देश की स्थिति में सुधार लाने के लिये, सभी लोगों के सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। मेरा सुझाव है कि एक "ग्रामीण विभाग" बनाया जाय जिसमें वित्त मंत्रालय, निर्माण विभाग, खाद्य तथा कृषि मंत्रालय आदि के प्रतिनिधि हों। इसे एक उच्च शक्ति प्राप्त निकाय का रूप दिया जाय जिसका फैसला अन्तिम हो। वह गांवों को आदर्श गांव बनायें। सब से पहले सड़कें बनाने और बाढ़ की रोकथाम आदि का काम किया जाए।

**Shri A. P. Sharma** (Buxar) : The Central Government have constructed embankments from Gazipur upto Ara on the northern banks of Ganges as a result of which the Southern side is flooded. Either concrete embankments be constructed on the Southern side also or the waters should be channelled for irrigational purpose. I hope the hon. Minister would pay heed to my suggestion.

**Shri Iqbal Singh** (Ferozepur) : We have failed to tackle the situation of floods because Central Government have not taken up this thing in right earnest. The hon. Minister should consider this problem in the Planning Commission and allocate funds to each state in according with its requirements. In Punjab also there are two problems of floods and water logging. At the time of division of Punjab the water-logged area was 9 lakh acres whereas now 40 lakh acres are water logged. Adequate funds ought to be given to Punjab to tackle these two problems. More funds are required for the drainage programme in Punjab. Controvercy between Punjab and Delhi over the capacity of Najafgarh Drain continued for over three years. If there is a capacity for 15,000 cussecs the flow of water should not be checked in any case otherwise it will result in increasing miseries of the people. There are also the problems of Dams and of increasing the water absorbing capacity of the land. I would urge upon the hon. Minister to give more electricity to my district. I would also plead with him that the problems of Punjab and of other States may be considered sympathetically.

**Shri Shree Narayan Das** (Darbhanga). No doubt, floods are natural calamities but the heavy loss of life and property caused by the floods is man made. There were floods in the past also but they had their natural flow and they did not create a havoc as is done these days. Railway, road and canal

departments are responsible for the damage caused by the floods because the constructions of railway lines, roads and canals by these departments obstruct the natural flow of flood water.

Floods are regular features in Bihar. A scheme of 'early crops' should be implemented in such areas of Bihar as are vulnerable to floods. During the current year floods caused a heavy damage to crops and there has arisen a grave situation in Bihar. Therefore, land ravenue and 'taccavi' loans should not be realised this year there in order to give relief to the people affected by the floods. I request the Government to supply more foodgrains to defecit areas of Bihar. The question of constructing embankments in Champaran, Saharsa and Monghyr should be considered at the high level.

**Shri Sheo Narain** (Bansi) : Mr. Speaker, the problem of floods is not only a problem of any particular area, it is a national problem and therefore it should be tackled on a national level. It is not proper to hold anybody responsible for these floods. The Central Government should take the whole responsibility in its own hands and formulate a comprehensive scheme for the prevention of floods. This scheme should be prepared to spend at least rupees seventy or eighty crores per year.

Food, forests and floods are inter-related. One of the reasons of floods is ruthless exploitation of forests. It should be stopped at once. Small dams should be constructed in hilly areas to check the flow of water.

In northern Basti area the Ghagra river has been causing large scale damage every year. If steps are taken to control that river they can produce foodgrains sufficient enough for the consumption for four years.

**Shri Hukam Chand Kachhavaiya** (Dewas) : The problem of floods is a national problem and it should be dealt with at the national level. The Government should ask the expert engineers to see that water does not accumulate in and around the villages and there should be proper outlets for the flow of the water. Water tanks should be constructed in large number to retain the flood water which can be used for small irrigation purposes throughout the year.

Minor irrigation is always better than big irrigation. Therefore, more emphasis should be laid on minor irrigation shemes.

People of the areas, where floods have become almost a regular feature, should be given proper training to tackle the flood situation boldly. They should shift themselves along with cattles and other belongings to some higher places.

The Government should make up the losses of cattle and other things caused to the people as a result of floods. They should be given seeds in sufficient quantity for agricultural production.

With these words I request the hon. Minister to give sympathatic consideration to the suggestions given by me.

**Shri S. M. Banerjee** (Kanpur) : Sir, it appears from the statement given by the hon. Minister regarding the floods that perhaps he is not fully aware of the flood situation in the country. The Government has no clear policy regarding the Master Plan for flood control. So far no satisfactory steps have been taken in this regard. The Master Plan should be implemented expeditiously so that lakhs of acres of land may be saved from floods and water logging. A high powered Commission such as Khosla Committee, comprising of experts

[Shri S. M. Banerjee]

and the Members of Parliament should be appointed to go into the problems of floods and suggest measures to prevent the recurrence of floods.

In order to give relief to the villagers affected by the floods they should be given interest-free loans. They should be exempted from the payment of land revenue.

**Shri Prakesh Vir Shastri** (Bijnor) : In several areas including Bijnor District of Uttar Pradesh a large number of villages are being destroyed every year as a result of floods and consequent soil erosion. Sand deposits have been accumulating in the river Ganges between Garh Mukteshwar and Anupshahar causing over flow of water of the river Ganges. It destroys a large cultivable area yearly.

Flood ravages can be reduced considerably if dradging operations are carried out in that area of the Ganges in which sand deposits have got accumulated.

**श्री कृष्णपाल सिंह** (जलेसर) : बाढ़ों की समस्या अत्यन्त गम्भीर समस्या है, प्रतिवर्ष बाढ़ों से भारी क्षति होती है, किन्तु हम अभी तक बाढ़ों पर नियंत्रण नहीं कर पाये हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इस कार्य के लिये सिंचाई और विद्युत् मंत्री की सहायता करने वाला कोई निकाय नहीं है। अतः एक विशेष आयोग स्थापित किया जाना चाहिये जो निरन्तर बाढ़ों की समस्या पर विचार करे तथा समस्या का कोई स्थायी हल निकालने के लिये प्रयत्नशील हो। इस प्रकार के निकाय, केन्द्र में तथा राज्यों में जिला स्तर तक बनाये जायें।

बाढ़ों के नियत्रण के लिये इस निकाय के पास पर्याप्त धनराशि होनी चाहिये और इसमें संबंधित विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों से प्रतिनिधि लिये जाने चाहियें। यह निकाय बाढ़ों को रोकने में काफी सीमा तक सफल रहेगा।

राज्य सरकारें बाढ़ों का नियंत्रण करने के बारे में गम्भीरतापूर्वक कार्य नहीं करती हैं। उदाहरणार्थ, उत्तर प्रदेश में मैंने कई बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया। वहां पर जान और माल की काफी हानि हुई है किन्तु स्थानीय अधिकारी इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाने को तैयार नहीं हैं।

बाढ़ ग्रस्त लोगों को 'तकावी' ऋण न देकर उपदान के रूप में यथासम्भव सहायता दी जाय क्योंकि 'तकावी' ऋणों में ऋण बांटने वाले अधिकारी अपना हिस्सा भी मांगते हैं जिससे लोगों को पूरी राशि नहीं मिल पाती है और उन्हें परेशानियां उठानी पड़ती हैं।

सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में मकानों के निर्माण के लिये एक योजना बनानी चाहिये। जब कभी बाढ़ से कोई गांव नष्ट हो जाता है सरकार को नया गांव बनाने के लिये तैयार रहना चाहिए।

**Shri Brij Raj Singh** (Kotah-Jhalawar) : The Government should adopt timely measures to ensure that water logging does not cause damages in Kotah region of Rajasthan. Unless proper precautions are taken right now, that area will have to face the same situation as Punjab and U.P. are facing at present.

**Shri Tulshidas Jadhav** (Nanded:) Long term loans should be advanced to flood victims in addition to subsidies.

The people of those villages which are vulnerable to floods should settle themselves in other areas which are more safe. Government should have a proper planning for this work.

**डा० मा० श्री अणे** (नागपुर) : देश में बाढ़ों की समस्या अत्यन्त गंभीर है । अत: इस पर अखिल भारतीय स्तर पर विचार किया जाना चाहिये, आज पंद्रह वर्षों से वित्त आयोग देश की अर्थ व्यवस्था का विकास करने के लिये कार्य कर रहा है । किन्तु यह आश्चर्य की बात है कि आयोग ने बाढ़ों से होने वाली हानि तथा बाढ़ पीढ़ितों को दी जाने वाली सहायता के प्रश्न की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया है । अत: सरकार को बाढ़ संबंधी विभिन्न समस्याओं पर विचार करने तथा निरोधात्मक उपयुक्त उपायों का सुझाव देने के लिय एक पृथक आयोग नियुक्त करना चाहिये ।

**Shri J. P. Joytishi** (Sagar) : Mr. Speaker, I do not agree with the suggestions that the only cause of floods is wrong planning on the part of the Government in respect of construction of roads, railways etc., because these suggestions are baseless and there is no truth in them. Floods are not new to the country. The history is witness that there have been floods sinch the times immemorial.

Government should see that proper measures are taken to check the water-logging and save the crops from destruction by floods every year. As far as possible the funds should be spent on more productive works. Dams should be constructed on rivers in Madhya Pradesh.

**सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव)**: अध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में उपयोगी सुझाव देने के लिये सभा के सदस्यों का आभारी हूं ।

**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं ।

**इसके पश्चात् लोक-सभा गुरुवार 1 अक्टूबर, 1964/9 आश्विन, 1886 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।**

*The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Thursday the 1st October 1964/Asvina 9, 1886 (Saka).*

---